डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2024-2026
लाइसेंस क्र. Tech/23-04/08/2024-2026
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

प्रति माह की प्रकाशित, सोमवार 29 जनवरी 2024 से 04 फरवरी 2024 | वर्ष-41 | अंक-05 | मूल्य ₹ 10.00

संक्षिप्त खबर

स्व. श्री ठाकुर को भारत रत्न का निर्णय प्रेरणादायी कदम

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के निर्णय पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार माना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बिहार के यशस्वी नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री ठाकुर ने पिछड़े वर्ग और वंचितों की लड़ाई में सामाजिक न्याय के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्व.श्री ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने का निर्णय लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने पूर्व में भी देश की कई महान हस्तियों को उनके योगदान और उपलब्धियों के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया है। श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का निर्णय अद्वितीय एवं प्रेरणादायी कदम है।

खनिज क्षेत्र में मध्यप्रदेश बन रहा अग्रणी

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बताया कि खनिज सम्मेलन में मध्यप्रदेश की प्रशंसा हुई है। सबसे ज्यादा माइनिंग ब्लॉक नीलाम करने पर मध्यप्रदेश को पुरस्कृत किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि भारत सरकार के मापदंडों के आधार पर खनिज क्षेत्र में मध्यप्रदेश आगे है। सम्मेलन में मध्यप्रदेश द्वारा खनिज क्षेत्र में की गई व्यवस्थाओं की तारीफ और समीक्षा की गई है। इससे मध्यप्रदेश इस क्षेत्र में अधिक आगे बढ़ते हुए बेहतर कार्य करेगा। उल्लेखनीय है कि खनिज साधन विभाग मध्यप्रदेश द्वारा देश में 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर प्रथम स्थान हासिल किया गया है।

प्रदेश के मास्टर अवनीश को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

भोपाल, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में मध्यप्रदेश के मास्टर अवनीश तिवारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने मास्टर अवनीश को पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिया। इंदौर के 9 वर्षीय मास्टर अवनीश को सामाजिक सेवा में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मास्टर अवनीश डाउन सिंड्रोम से प्रभावित विशेष बालक हैं। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ट्रैकिंग की है। समारोह में वीरता, कला और संस्कृति, नवाचार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, समाज सेवा और खेल क्षेत्रों में 5 से 18 वर्ष के 18 अन्य बच्चों को सम्मानित किया गया।

भीतर के पृष्ठों पर

- **पिछला सप्ताह** - देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण
- **चर्चा में** - चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **खेल चर्चा** - प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी** - देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में हुए शामिल

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका विकास लोकतंत्र का शरीर और रामराज्य लोकतंत्र की आत्मा : डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में परेड की सलामी ली

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र भारत के अमृत महोत्सव के अभूतपूर्व आयोजन के बाद अब गणतंत्र भारत के अमृत महोत्सव का शुभागमन हुआ है। राज्य सरकार की पहल पर पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए जिला पुलिस बैंड की धुन पर बजते देशभक्ति के तराने, देश के लिए जीने और देश के लिए मरने की प्रेरणा दे रहे हैं। उन्होंने भारत माता की आजादी के लिए सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर एवं अन्य सभी संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की।

धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में होगा विकसित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल से हुई भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा से भारत में राम राज्य की संकल्पना जीवंत और जयवंत हो गई। काल के केन्द्र भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से 5 लाख लड्डू प्रसाद के रूप में अयोध्या भेजे गए। प्रभु श्रीराम के चरणों में विनयांजलि के रूप में, राज्य सरकार ने श्रीराम वन गमन पथ के सभी प्रमुख स्थलों का विकास करते हुए चित्रकूट को विश्व-स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन स्थल का स्वरूप प्रदान करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार श्रीराम राजा लोक के विकास का पुनीत कार्य कर रही है।

निशुल्क खाद्यान्न का वितरण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के 35 लाख से अधिक तेन्दूपत्ता श्रमिकों को लाभ देते हुए सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण दर 3 हजार रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रति मानक बोरा कर दी है। प्रदेश के 5 करोड़ 30 लाख गरीब हितग्राहियों को निशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।

जनजातीय गौरव दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम-जन-मन) प्रारंभ कर विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास की क्रांतिकारी शुरुआत की गई है। प्रदेश की नई डबल इंजन सरकार ने गठन के 45 दिन पूरे कर लिए हैं। सरकार ने त्वरित लोक हितैषी निर्णय लेकर जनता के मन पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। इन्दौर की हुकुमचंद मिल के 4 हजार 800 से अधिक मजदूर भाई-बहनों के हक की 224 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान करने का बड़ा निर्णय लिया।

सरकार जो कहती है, वो करके दिखाती है

सरकार के कामकाज में हर स्तर पर शुचिता, पारदर्शिता, विकेन्द्रीकरण, त्वरित निर्णय, कार्य दक्षता, अनुशासन एवं संवेदनशीलता दिखाई दे, इस उद्देश्य से अनेक नए कदम उठाए गए हैं। विभागों की समीक्षा के माध्यम से हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माइक्रो प्लानिंग की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सभी संभागों के विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए स्थानीय चुनौतियों को समझकर मौके पर ही निर्णय लिए जा रहे हैं।

विकसित भारत-संकल्प यात्रा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने की मोदी जी की गारंटी का प्रतीक बनकर उभरी है। श्री मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव, नगर-नगर पहुंची और उन वंचितों की जिन्दगी बदलने का माध्यम बनी, जो अब तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए थे। 26 जनवरी को इस यात्रा का समापन हुआ और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि यात्रा के दौरान मध्यप्रदेश में 50 लाख से भी अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है।

ओरछा में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ओरछा में श्री रामराजा सरकार मंदिर में भगवान श्रीराम की विधिवत पूजा-अर्चना के साथ श्री रामलला की जन्मभूमि अयोध्या के भव्य, अलौकिक, दिव्य-नव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सजीव प्रसारण देखा। अयोध्या में श्री रामलला की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना के साथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई।

मुख्यमंत्री ने आदित्यादि नवग्रह मंडलम पीठ, सर्वोतोभद्र मंडलम पीठ, श्री गणेश गौरी पीठ, श्री षोडष मातृका पीठ का विधिपूर्वक पूजन किया। पूजा संपन्न होने के बाद भजन गायिका सुश्री माधवी मधुकर ने भगवान श्रीराम पर आधारित भजन प्रस्तुत किये। मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीराम से मध्यप्रदेश की समृद्धि और प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिये प्रार्थना की। मंदिर परिसर में ही उन्होंने श्री रामराजा लोक के मॉडल का अवलोकन किया तथा उसकी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने वहां आयोजित भंडारे में महिला श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी परोसी।

पद्म पुरस्कार के लिए चयनित प्रदेश की विभूतियों को दी बधाई

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित मध्यप्रदेश की चार विभूतियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री भगवती लाल राजपुरोहित, श्री ओम प्रकाश शर्मा, श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया और श्री कालूराम बामनिया ने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यकर मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इन सभी चयनित विभूतियों की उपलब्धियों पर मध्यप्रदेशवासियों को गर्व है। श्री भगवती लाल राजपुरोहित का मालवी संस्कृति और साहित्य पर पुस्तकों के लेखन के लिए चयन हुआ है।

लोक सेवा आयोग में चयनित अधिकारियों से संवाद

चुनौतियों के लिए समाधान खोजें, शत-प्रतिशत करें प्रयास

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 559 अधिकारियों से संवाद करते हुए कहा कि सभी युवा निरंतर नवाचार करते रहने की प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ें। चुनौतियों का डटकर सामना करें, समाधान खोजें और हल के लिये शत-प्रतिशत प्रयास करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना, सब स्वस्थ और सुखी हों यह प्रयास करना तथा मध्यप्रदेश सभी क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर हो इसके लिए समन्वित रूप से प्रयास करना ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। रवीन्द्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप कठोर परिश्रम, परिवारों की आशा, आकांक्षा और अपेक्षा के बलबूते परीक्षा में सफलता पाकर राज्य सेवा के लिए चयनित हुए हैं। प्रदेश सरकार ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा कराया है।

इन्हें मिले नियुक्ति पत्र

एमपी पीएससी वर्ष 2019-20 के कुल चयनित 686 अभ्यर्थियों में से 187 अनारक्षित, 157 अन्य पिछड़ा वर्ग, 150 अनुसूचित जनजाति, 110 अनुसूचित जाति और 82 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) में से आज 559 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किये गये।

युवा देश की धरोहर हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थी, मध्यप्रदेश लोक सेवा में चयन को अपना अंतिम पड़ाव नहीं मानें, आप आगे बढ़ने के लिए ललक बनाए रखें, प्रयास करते रहें शासन की ओर से हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थियों को किसी स्वीकृति की आवश्यकता होने पर उन्हें राज्य शासन द्वारा उदारतापूर्वक स्वीकृति उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी युवा हैं, आप देश की धरोहर हैं, भारत विश्व का सबसे युवा देश है।

20 जनवरी

दो फरवरी से आम जनता के लिए खुलेगा अमृत उद्यान

● राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 2 फरवरी से 31 मार्च, 2024 तक उद्यान उत्सव-I के तहत आम जनता के लिए खुला रहेगा। लोग सोमवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन इस उद्यान में जा सकेंगे। अमृत उद्यान 22 फरवरी को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, 23 फरवरी को रक्षा, अर्धसैनिक तथा पुलिस बलों के कर्मियों के लिए, 1 मार्च को महिलाओं तथा जनजातीय महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए एवं 5 मार्च को अनाथालयों के बच्चों के लिए खुला रहेगा। सभी आगंतुकों का प्रवेश और निकास राष्ट्रपति संपदा के गेट नंबर 35 से होगा, जहां नॉर्थ एवेन्यू राष्ट्रपति भवन से जुड़ता है। आप वेबसाइट https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in/visit/amrit-udyan/rE पर जाकर बुकिंग करा सकते हैं।

● केंद्रीय आयुष और पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल

ने भुवनेश्वर में आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी। भविष्य के आयुष पेशेवरों के लिए मानव संसाधन विकास के लिए यह अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। यह अत्याधुनिक केंद्र केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर के परिसर में विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में आयुष अभियान को काफी प्रसिद्धि मिली है। हम एक एकीकृत चिकित्सा दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं जहां आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के साथ-साथ एक सशक्त आयुष चिकित्सा प्रणाली का भी उपयोग किया जाएगा।

21 जनवरी

दिव्यांगों के अनुकूल बनाए जा रहे रेलवे स्टेशन

● सरकार ने पांच सौ सत्तानवें रेलवे स्टेशनों को लिफ्ट और एस्केलेटर उपलब्ध कराकर दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि सरकार सुगम भारत अभियान के तहत रेलगाड़ियों और स्टेशनों को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बुजुर्गों, बीमारों और दिव्यांगजनों की आसान आवाजाही के लिए स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि पिछले वर्ष दिसंबर तक 372 स्टेशनों पर एक हजार दो सौ से अधिक एस्केलेटर उपलब्ध कराए गए हैं।

● पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना में विमानों के लिए ईंधन का उत्पादन किया जा सकेगा। यह परियोजना पुणे के पास पिंपरगुट औद्योगिक एस्टेट में प्राज उद्योग समूह के अनुसंधान और विकास विभाग में स्थापित की गई है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि वैश्विक बाजार में विमानों के लिए जैव ईंधन की भारी मांग है। इसके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। जैव ईंधन को लेकर दुनिया को भारत से बड़ी उम्मीदे हैं।

22 जनवरी

कारगिल में एएन-32 कूरियर सेवा शुरू

● केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल में एएन-32 कूरियर सेवा की शुरुआत हुई।

पहली उड़ान के दौरान भारतीय वायु सेना ने 11 यात्रियों को कारगिल से जम्मू और सात यात्रियों को जम्मू से कारगिल पहुंचाया। इस पहल से क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद जफर अखून और नागर विमानन सचिव रविंदर डागी ने लोगों को सुविधा देने के लिए भारतीय वायु सेना का स्वागत किया। डॉक्टर जफर ने बाधारहित यातायात और सुविधाओं का निरीक्षण किया। एएन-32 कूरियर सेवा का उद्देश्य यात्रा को सुव्यवस्थित करना और कारगिल में संपर्क सुविधाओं में सुधार करना है।

● अयोध्या में भगवान श्रीराम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान चिकित्सा सुविधाओं के लिए स्वदेशी मोबाइल अस्पताल 'भीष्म' तैनात किया गया। आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब - भीष्म अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त मोबाइल अस्पताल है। यह क्यूब 'प्रोजेक्ट भीष्म'- भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित और मैत्री - नामक एक व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसे त्वरित प्रतिक्रिया और समग्र देखभाल पर बल देते हुए 200 हताहतों तक के उपचार के लिए तैयार किया गया है। यह ऐड क्यूब आपात स्थितियों के दौरान आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सा सहायता में वृद्धि करने के लिए निर्मित कई नवोन्मेषी उपकरणों से युक्त है।

23 जनवरी

जम्मू-कश्मीर में अंतिम मतदाता सूची जारी

● जम्मू-कश्मीर में कुल 86 लाख 93 हजार मतदाताओं की अंतिम मतदाता सूची

जारी कर दी गई है। जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पांडुरंग के पोले के अनुसार 86 लाख 93 हजार मतदाताओं में 44 लाख 34 हजार पुरुष और 42 लाख 58 हजार महिला मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि 2 लाख 31 हजार से अधिक मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया है। नई मतदाता सूची इस केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न चुनावों के लिए रास्ता साफ करती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार इस प्रक्रिया में एक लाख 45 हजार मतदाताओं के विवरण में सुधार करने के अलावा 86 हजार मतदाताओं के नाम मृत्यु, स्थानांतरण या अन्य कारणों से हटा दिये गये हैं। मतदाता संख्या अनुपात 0.59 से बढ़कर 0.60 और लैंगिक अनुपात 924 से बढ़कर 954 हो गया है।

● भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय-एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था सात दशमलव तीन प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। आने वाले वर्षों में भारत की विकास गति बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि आरबीआई मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत के लक्ष्य तक लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऊर्जा और खाद्य पदार्थों को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं की मुद्रास्फीति लगातार कम होने लगी है, जिससे यह भरोसा हुआ है कि मौद्रिक नीति सही दिशा में काम कर रही है। श्री दास ने कहा कि भारत ने रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की शुरुआत की है, क्योंकि वैश्विक व्यापार के लिए एक मुद्रा पर निर्भरता जोखिम भरी थी।

24 जनवरी

भारत और जापान के बीच हरित अमोनिया आपूर्ति के लिए समझौता

● भारत की अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी एसीएमई और जापान के एकीकृत

भारी उद्योग समूह आईएचआई कॉर्पोरेशन ने आफटेक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किये। दोनों कंपनियों के बीच इस टर्म शीट के तहत ओडिशा की गोपालपुर परियोजना के फेज-1 से दीर्घकालिक आधार पर 0.4 एमएमटीपीए (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) हरित अमोनिया की आपूर्ति की जाएगी। दोनों कंपनियां उत्पादन से लेकर लॉजिस्टिक, आपूर्ति और उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास करेंगी। साथ ही विद्युत उत्पादन के विभिन्न अनुप्रयोगों तथा जापान में विभिन्न औद्योगिक उपयोगों में हरित अमोनिया के लिये बाजार सृजन के लिए भागीदारी करना चाहती हैं।

● राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नए भवन कौशल भवन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री जनमन, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल प्राप्ति और ज्ञान जागरूकता (संकल्प), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जैसी सरकार की विभिन्न पहलों के लाभार्थियों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टालों को देखा और लाभार्थियों के साथ बातचीत की। कौशल भवन की आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई थी। यह भवन मंत्रालय के साथ-साथ इससे संबद्ध संगठनों-प्रशिक्षण महानिदेशालय, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के लिए कार्यालय स्थान प्रदान करेगा।

25 जनवरी

60 हजार से अधिक छात्रों ने चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया

● परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से पहले छात्रों के बीच राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता

का आयोजन किया गया। देश के 774 जिलों के 657 केंद्रीय विद्यालयों और 122 नवोदय विद्यालयों में इसका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 60 हजार से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। इस चित्रकला प्रतियोगिता की थीम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के परीक्षा मंत्रों पर आधारित थी। इसके अलावा छात्रों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के सभी स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता सहित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया। 12 जनवरी (राष्ट्रीय युवा दिवस) से 23 जनवरी तक मैराथन दौड़, संगीत प्रतियोगिता, मीम प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर मेकिंग और योग-सह-ध्यान सत्रों जैसी गतिविधियां आयोजित की गई।

● भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विस्ट्रॉन इन्फोकॉम मेन्युफैक्चरिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के शत-प्रतिशत अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। अधिग्रहणकर्ता टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड का एक ग्रीनफील्ड उद्यम है। यह स्मार्टफोन एनक्लोजर (यानी फोन का फ्रेम जिस पर स्मार्टफोन के अन्य कलपुर्जों को स्थित किया जाता है) बनाती है। अधिग्रहण की जाने वाली कंपनी एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनी है, जो भारत में अपने कर्नाटक संयंत्र में स्मार्टफोन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाओं (यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुबंध निर्माण) में संलग्न है। इसे 2017 में विस्ट्रॉन समूह द्वारा निगमित किया गया था।

26 जनवरी

भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच स्थापित होगी संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति

● केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग और डोमिनिकन गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (जेईटीसीओ) की स्थापना से संबंधित प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी। भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच द्विपक्षीय संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं तथा ये संबंध सभी क्षेत्रों में लगातार गहरे होते जा रहे हैं। वर्तमान में, भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित कोई द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र नहीं है। भारत मुख्य रूप से डोमिनिकन गणराज्य से सोना आयात करता है और उन्हें फार्मास्यूटिकल्स, समुद्री उत्पाद, मोटर वाहन, दोपहिया एवं तिपहिया वाहन आदि का निर्यात करता है। जेईटीसीओ की स्थापना से भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होंगे।

● केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 'समेकित टाइम-सीरीज डेटा' जारी किया है। इसके अनुसार प्रत्यक्ष करों का शुद्ध संग्रह वित्त वर्ष 2013-14 के 6,38,596 करोड़ रुपये से 160.52 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 16,63,686 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में 19,72,248 करोड़ रुपये के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह ने वित्त वर्ष 2013-14 के 7,21,604 करोड़ रुपये के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह की तुलना में 173.31 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की है। जबकि प्रत्यक्ष कर-जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2013-14 के 5.62 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 6.11 प्रतिशत हो गया है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित
फोटो : गूगल से साभार)

वर्ष 41, अंक 05 29.01.2024 से 04.02.2024
रोज़गार और निर्माण
rojgaraurnirman.in

● प्रबंध संचालक - संदीप यादव
● सम्पादक - रंजना चितले
● प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
● प्रबंधक - सुभाष चन्द्र जोशी (मुद्रण)
● आकल्पन - अरविन्द टोप्पो
● वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें :-
रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011
फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, **e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com**
रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इससे सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

मध्यप्रदेश को मिली देश के प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस की सौगात

देश में शोध आधारित प्रथम आईआईटी सैटेलाइट परिसर की स्थापना उज्जैन में होगी। देश का अपने तरह का यह अनूठा संस्थान होगा। आईआईटी इंदौर का डीप-टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस (डीआरडीसी) जल्दी ही उज्जैन में शुरू होने जा रहा है। उज्जैन भविष्य की प्रौद्योगिकी में विश्वस्तरीय अनुसंधान केंद्र होगा, जिसमें आईआईटी इंदौर का डीप-टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस स्थापित किया जाएगा। इस सैटेलाइट केन्द्र की लागत 474 करोड़ रुपए होगी। इससे जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले डेढ़ से दो वर्ष की अवधि में यह कार्य पूर्ण हो जायेगा।

यह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की इच्छाशक्ति और सतत प्रयास का परिणाम है कि प्रदेश के उज्जैन में सैटेलाइट परिसर की स्थापना हो रही है। उल्लेखनीय है कि यह परियोजना वर्ष 2023 में शिक्षा मंत्रालय को स्वीकृति के लिये भेजी गई थी। उज्जैन सैटेलाइट परिसर एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिससे पूरे भारत और विशेष रूप से मध्यप्रदेश के छात्रों, शिक्षकों और औद्योगिक कर्मियों को लाभ मिलेगा।

सैटेलाइट परिसर में डीप-टेक रिसर्च एंड लेबोरेटरी डिस्कवरी सेंटर, डिस्कवरी सेंटर, लैब टू मार्केट सेंटर और एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विविध गतिविधियां होंगी। इसका व्यापक लाभ विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और आमजन को मिलेगा। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में आईआईटी सक्रिय है। कृषि के विविध रूपों और नवीन तकनीक के संबंध में भी शोध कार्य हो रहे हैं। डीप-टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस के प्रस्तावित संगठन डीप-टेक रिसर्च प्रयोगशालाओं और खोज केंद्र के लिए उपयोगी होंगे। नए आयामों के अनुसंधान को अनुवाद और इसके प्रयोग के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए लैब-टू-मार्केट सेंटर को शामिल किया जायेगा। जिसमें स्टार्टअप संस्कृति और उद्यमिता भी शामिल होंगे। आईआईटी इंदौर अनुसंधान के उन्नत क्षेत्रों में नेतृत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। डीप-टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस में हाई-टेक प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का विकास संभव होगा। कई उच्च-तकनीकी प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को विकसित किया जायेगा जो क्षेत्र को तकनीकी क्षेत्र उद्यमों में ले जा सकता है।

यह उज्जैन में गहन तकनीकी अनुसंधान और अनुसंधान कैम्पस को बनाने के लिए एक विशेष संरचना बनाएगा, जो अनुवादात्मक अनुसंधान की संस्कृति के विकास के लिए उच्चतम स्तर पर गहन तकनीकी उत्पाद को बाजार में पहुंचाएगा। कैम्पस में गहन तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केंद्र, और लैब-टू-मार्केट केंद्र का एक समूह होगा, जिसमें उन्नत साधन और सुविधाओं के साथ आवश्यक इमारतें होंगी। गहन तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशालाएं कटिंग-एज क्षेत्र में उच्चस्तरीय अनुसंधान करेंगी। उद्योग और समाज के लिए नई तकनीकों को विकसित करेंगी जो प्रोटोटाइप विकास और उद्यमिता उद्योगों के लिए आगे लाया जा सकता है। अनुसंधान से समाज के लिए उपयुक्त तकनीकों को स्थापित किया जा सकेगा। इसमें वैज्ञानिकों, उद्योग विशेषज्ञों और प्रौद्योगिकी परिवर्तन विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी जो अनुसंधान गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे। उच्चस्तरीय सिमुलेशन, पैकेजिंग, सेंसर, आईओटी और सेमीकंडक्टर उपकरणों के निर्माण, इंटीग्रेशन, संचार प्रौद्योगिकियों और संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जायेगा। लैब-से-बाजार परियोजना में प्रयोगशाला स्तरीय मॉडल से प्रोटोटाइप्स और उत्पादों को शामिल किया जायेगा। यह उद्यमिता संचालन विशेषज्ञों की सलाह और उद्यम सृजन के लिए, व्यापार आधारित योजनाओं को विकसित करने के लिए वाणिज्यिक विशेषज्ञों की सहायता और भागीदारी पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में मानव श्रम के कौशल में सहायता करने के लिए मासिक ऑनलाइन और हाइब्रिड कार्यक्रमों के आयोजन को बढ़ावा दिया जायेगा। ऐसे पाठ्यक्रम की योजना बनाई जा रही है जिनमें बायो-मेडिकल डिवाइस विकास, औद्योगिक लेजर और ऑप्टिक्स प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं।

देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सबसे अधिक तमिलनाडु के लोगों को मिला

भारत सरकार ने वर्ष 2024 का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की घोषणा कर दी है। इस वर्ष यह सम्मान बिहार के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके श्री कर्पूरी ठाकुर को दिये जाने की घोषणा हुई है। कर्पूरी ठाकुर बिहार से चौथे व्यक्ति हैं, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है, जो 70 सालों में भारत के 49 लोगों को मिला है। खास बात यह है कि यह सम्मान अब तक देश के 12 राज्यों और दो विदेशी देशों पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जा चुका है। यही नहीं अब तक सबसे ज्यादा 8 बार तमिलनाडु के लोगों को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पांच राज्यों तेलंगाना, ओडिशा, पंजाब, मध्यप्रदेश और असम को एक-एक बार भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बिहार को 4 बार, उत्तर प्रदेश को 9 बार, महाराष्ट्र को 8 बार, कर्नाटक को 3 बार, पश्चिम बंगाल को 6 बार, गुजरात को 2 बार भारत रत्न मिलने का गौरव प्राप्त है।

आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। दरअसल अब्दुल गफ्फार खान ने भारत की आजादी के लिए अपना योगदान दिया था। स्वतंत्रता आन्दोलन में गांधी जी के साथ कार्य किया। वहीं नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किए गए नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा गया था। उन्होंने रंग भेद मिटाने के लिए जीवनभर संघर्ष किया।

- विकास तिवारी

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विषयों पर लेखन करते हैं।)

किसान कल्याण योजनाएं

अन्नदाता की खुशहाली ही समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का आधार

समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जो 'जान का सम्मान' मंत्र दिया है उसमें गरीब उत्थान, युवाओं का सशक्तिकरण के बाद तीसरा आधार स्तंभ अन्नदाता अर्थात किसान हैं। भारत कृषि उत्पादन में अग्रणी हो और किसान खुशहाल हों इसके लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की गई हैं।

प्राणी की आधारभूत आवश्यकता भोजन होता है, जो प्रकृति से मिलता है। समय के साथ विकास हुआ और मनुष्य ने खेती करना सीखा। एक समय भारत की कृषि विश्व में सर्वाधिक उन्नत थी। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही था। लेकिन लगातार विदेशी आक्रमणों से उत्पन्न परिस्थितियों के चलते कृषि में इतनी गिरावट आई कि निर्यातक देश भारत को खाद्यान्न आयात करने पर विवश होना पड़ा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत के लिये किसान और किसानी को समृद्ध बनाने के लिये अनेक योजनाएं आरंभ की हैं।

किसान और किसानी के विकास के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का चिंतन चारों पायदानों पर है। कृषि उत्पाद उन्नत हों और भरपूर हों, किसान की आर्थिक सहायता कैसे हो, वृद्धावस्था में किसान किसी के आश्रित न हों और किसान खाली समय का कैसे उपयोग करके अपनी आर्थिक स्थिति उन्नत कर सकें, इसके अथक प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

इस योजना के अंतर्गत छोटे और मध्यमवर्गीय किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह योजना 24 फरवरी, 2019 को लागू की थी। किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिये इस किसान सम्मान योजना के माध्यम से हितग्राही किसान को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये देने का प्रावधान है जो दो दो हजार रुपये की तीन किस्तों में दिये जाते हैं।

इस योजना में मध्यप्रदेश सरकार ने भी प्रत्येक हातग्राही किसान को अपनी ओर से भी छह हजार रुपये अतिरिक्त जोड़ दिए हैं। इस प्रकार मध्यप्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये सम्मान निधि के रूप में दिये जा रहे हैं।

आरंभ में इस योजना के अंतर्गत ऐसे छोटे और सीमांत किसान पात्र माने जाते थे जिनके पास केवल दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि होती थी। जून 2019 से योजना का दायरा बढ़ाकर सभी भूमि धारक किसानों को शामिल कर लिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत पंजीयन प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है। अब किसान मोबाइल एप, पीएम किसान पोर्टल और सामान्य सेवा केंद्रों में वॉक-इन के माध्यम से स्वयं अपना पंजीकरण कर सकते हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 24 फरवरी 2020 को PM-KISAN मोबाइल एप लॉन्च किया है, ताकि प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो और अधिकतम किसानों तक पहुंच सके। 21 सितम्बर 2023 को किसानों की सुविधा के लिए एक चैट बोट को भी लॉन्च किया गया है जो अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, ओड़िया और तमिल में उपलब्ध है। अब भारत सरकार प्रयास कर रही है कि यह चैट बोट भारत की सभी 22 प्रांतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो जाये।

किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण प्रबंधन इकाई की स्थापना की गई है ताकि हितग्राहियों के सामने आने वाली समस्याओं का निराकरण समय-सीमा में हो सके।

इस योजना के अंतर्गत लगभग 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.60 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई है।

पीएम प्रणाम योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरक को कम करना तथा वैकल्पिक उर्वरक को प्रोत्साहन देना है। रासायनिक उर्वरक के अधिक उपयोग से धरती की नैसर्गिक उत्पादकता में भारी गिरावट आती है। सरकार जैविक खाद एवं अन्य विकल्प पर जोर दे रही है। दूसरा रासायनिक खाद पर दिया जाने वाला अनुदान भी निरंतर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि यदि रासायनिक खाद का उपयोग कम होगा तो अनुदान राशि की बचत होगी। इसी बचत राशि का उपयोग धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम) में किया जायेगा।

रासायनिक उर्वरकों पर बढ़ते अनुदान बोझ को कम करने के लिए बनाई गई इस योजना में अनुदान से बची राशि का पचास प्रतिशत उन राज्यों को अनुदान के रूप में दी जायेगी जो इसे क्रियान्वित करेंगे। राज्य सरकारें इस अनुदान राशि का 70 प्रतिशत गांव, ब्लॉक, और जिला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों को तकनीक अपनाने एवं वैकल्पिक रूप से संपत्ति निर्माण के लिए उपयोग कर सकेंगे और शेष 30 प्रतिशत अनुदान का उपयोग उन किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूह को पुरस्कार देने एवं प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा जो उर्वरक के उपयोग में कमी करने और जागरूकता पैदा करने की दिशा में व्यय की जायेगी।

प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के अंतर्गत 3.68 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया। यह योजना 28 जून, 2023 को लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से 3000 करोड़ रुपये की अनुदान बचत होगी। इस राशि का उपयोग वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। जिसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

केंद्रीय बजट 2021-22 में केमिकल फर्टिलाइजर अनुदान के रूप में 79,530 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जो संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 1.40 लाख करोड़ रुपये हो गए। 2021-22 में अंतिम आंकड़ा 1.62 लाख करोड़ रुपये को छू गया, जबकि 2022-23 में सरकार ने 1.05 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा, किंतु अनुदान का आंकड़ा 2.25 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया। इस योजना का सीधा लाभ केंद्र सरकार को भी मिलेगा और किसानों को भी।

इसके लिये उर्वरक मंत्रालय के डैशबोर्ड, एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (Integrated Fertilizer Management System-IFMS) पर उपलब्ध डेटा का उपयोग किया जाएगा।

किसान अपनी सामान्य आपूर्ति और आवश्यकता आधारित बाज़ार दरों या उनके उत्पादन, आयात की लागत से कम अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर उर्वरक खरीदते हैं। उदाहरण के लिये, नीम लेपित यूरिया की MRP सरकार द्वारा 5,922.22 रुपये प्रति टन तय की गई है, जबकि घरेलू निर्माताओं और आयातकों को देय इसकी औसत लागत-प्लस कीमत क्रमशः लगभग 17,000 रुपये और 23,000 रुपये प्रति टन है।

गैर-यूरिया उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) कंपनियों द्वारा नियंत्रित या तय किया जाता है। हालांकि उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिये केंद्र इन पोषक तत्त्वों पर एक समान प्रति टन सब्सिडी का भुगतान करता है। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के लिये प्रति टन सब्सिडी 10,231 से 24,000 रुपये है।

केंद्र सरकार प्रत्येक संयंत्र में उत्पादन लागत के आधार पर उर्वरक निर्माताओं को यूरिया पर सब्सिडी का भुगतान करती है और इकाइयों को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य पर उर्वरक बेचना आवश्यक है।

वर्ष 2020-21 के दौरान देश में चार उर्वरकों-यूरिया, DAP (डाई-अमोनियम फॉस्फेट), MOP (म्यूरिएट ऑफ पोटाश), NPKS (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम) की कुल आवश्यकता 21 प्रतिशत बढ़कर 640.27 लाख मीट्रिक टन (LMT) हो गई जो वर्ष 2017-18 में 528.86 लाख मीट्रिक टन थी।

अधिकतम 25.44 प्रतिशत की वृद्धि DAP की आवश्यकता में दर्ज की गई है। यह वर्ष 2017-18 के 98.77 LMT से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 123.9 LMT के स्तर पर पहुंच गई।

देश में सबसे अधिक इस्तेमाल किये जाने वाले रासायनिक उर्वरक यूरिया ने पिछले पांच वर्षों में 19.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इसकी आवश्यकता 2017-18 के 298 LMT से बढ़कर 2021-22 में 356.53 LMT हो गई। इस बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर ही यह योजना आरंभ की गई है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

एक प्रकार से किसानों के लिये यह एक पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत सभी छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में पेंशन दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 2019 से हुई है। इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद मानधन के रूप में तीन हजार रुपये प्रतिमाह दिये जाते हैं। इस योजना का लाभ वे किसान भी ले सकते हैं, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राही हैं। वर्तमान में लाखों किसान प्रधानमंत्री मानधन योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत पंजीयन कराने की पात्रता 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के किसानों को है। लाभार्थी किसान को प्रतिमाह 3000 रुपये और प्रतिवर्ष 36000 रुपये की पेंशन राशि दी जाती है, जो सीधे बैंक खाते में ट्रान्सफर होती हैं। लाभार्थी किसान को यह राशि 60 वर्ष की उम्र के बाद दी जाती है।

रमेश शर्मा

(लेखक- वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार हैं।)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

एफसी-18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, कड़कड़डूमा, दिल्ली-110092

https://dsssbonline.nic.in

क्रमांक एफ-1 (230)/पीएंडपी-I/डीएसएसएसबी/2023/4112 दिनांक : 22/12/2023

रिक्ति सूचना/विज्ञापन सं. 07/2023

पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पद के लिए संयुक्त परीक्षा, 2023

ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि नीचे दी गई है :-

आवेदन शुरू होने की तिथि :	09/01/2024 (9 जनवरी, 2024)
आवेदन की अंतिम तिथि :	07/02/2024 (7 फरवरी, 2024) (रात 11.59 बजे तक)

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) की ओर से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के निम्नलिखित विभागों/ स्वायत्त /स्थानीय निकाय में रिक्तियों के लिए **पोस्ट ग्रेजुएट टीचर** के पद पर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं :-

पोस्ट ग्रेजुएट टीचर

क्र. सं.	पोस्ट कोड	पद का नाम	विभाग का नाम	वेतन स्तर	रिक्तियां * (बैकलॉग रिक्तियों सहित)						
					अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी (सहित)
1.	804/23	पीजीटी (हिंदी) पुरुष	शिक्षा निदेशालय	8	0	0	0	1	0	1	0
2.		पीजीटी (हिंदी) महिला	शिक्षा निदेशालय	8	3	0	1	0	0	4	3
3.		पीजीटी (हिन्दी)	नई दिल्ली पालिका परिषद	8	3	1	1	1	1	7	0
1.	805/23	पीजीटी (गणित) पुरुष	शिक्षा निदेशालय	8	2	2	2	0	1	7	2
2.		पीजीटी (गणित) महिला	शिक्षा निदेशालय	8	4	1	4	1	1	11	4
3.		पीजीटी (गणित)	नई दिल्ली पालिका परिषद	8	2	1	1	0	0	4	0
1.	806/23	पीजीटी (भौतिकी) पुरुष	शिक्षा निदेशालय	8	1	2	0	1	0	4	1
2.		पीजीटी (भौतिकी) महिला	शिक्षा निदेशालय	8	1	1	2	0	0	4	2
3.		पीजीटी (भौतिकी)	नई दिल्ली पालिका परिषद	8	1	0	0	0	0	1	0
1.	807/23	पीजीटी (रसायन विज्ञान) पुरुष	शिक्षा निदेशालय	8	5	3	3	2	1	14	2
2.		पीजीटी (रसायन विज्ञान) महिला	शिक्षा निदेशालय	8	5	2	2	0	1	10	2
3.		पीजीटी (रसायन विज्ञान)	नई दिल्ली पालिका परिषद	8	1	1	0	0	0	2	0
1.	808/23	पीजीटी (जीव विज्ञान) पुरुष	शिक्षा निदेशालय	8	8	5	2	1	2	18	2
2.		पीजीटी (जीवविज्ञान) महिला	शिक्षा निदेशालय	8	5	2	1	0	1	9	2
3.		पीजीटी (जीव विज्ञान)	नई दिल्ली पालिका परिषद	8	1	1	0	0	0	2	0
1.	809/23	पीजीटी (अर्थशास्त्र) पुरुष	शिक्षा निदेशालय	8	14	2	1	2	4	23	4
2.		पीजीटी (अर्थशास्त्र) महिला	शिक्षा निदेशालय	8	0	0	0	0	0	0	0
3.		पीजीटी (अर्थशास्त्र)	नई दिल्ली पालिका परिषद	8	2	2	0	1	0	5	0
1.	810/23	पीजीटी (वाणिज्य) पुरुष	शिक्षा निदेशालय	8	4	0	1	0	3	8	2
2.		पीजीटी (वाणिज्य) महिला	शिक्षा निदेशालय	8	4	0	0	1	3	8	2
3.		पीजीटी (वाणिज्य)	नई दिल्ली पालिका परिषद	8	2	2	1	1	0	6	0
1.	811/23	पीजीटी (इतिहास) पुरुष	शिक्षा निदेशालय	8	2	3	5	1	3	14	3
2.		पीजीटी (इतिहास) महिला	शिक्षा निदेशालय	8	4	0	0	1	1	6	3
3.		पीजीटी (इतिहास)	नई दिल्ली पालिका परिषद	8	1	1	1	0	1	4	0
1.	812/23	पीजीटी (भूगोल) पुरुष	शिक्षा निदेशालय	8	7	8	0	0	5	20	3
2.		पीजीटी (भूगोल) महिला	शिक्षा निदेशालय	8	1	0	0	0	0	1	1
3.		पीजीटी (भूगोल)	नई दिल्ली पालिका परिषद	8	1	1	0	0	1	3	0
1.	813/23	पीजीटी (राजनीति विज्ञान) पुरुष	शिक्षा निदेशालय	8	15	4	1	4	5	29	4
2.		पीजीटी (राजनीति विज्ञान) महिला	शिक्षा निदेशालय	8	4	0	0	1	1	6	3
3.		पीजीटी (राजनीति विज्ञान)	नई दिल्ली पालिका परिषद	8	1	2	1	0	0	4	0
1.	814/23	पीजीटी (समाजशास्त्र) पुरुष	शिक्षा निदेशालय	8	6	1	2	1	0	10	2
2.		पीजीटी (समाजशास्त्र) महिला	शिक्षा निदेशालय	8	2	2	0	1	0	5	3
3.		पीजीटी (समाजशास्त्र)	नई दिल्ली पालिका परिषद	8	0	0	0	0	0	0	0
1.	815/23	पीजीटी (शारीरिक शिक्षा) पुरुष	शिक्षा निदेशालय	8	5	0	4	2	3	14	0
2.		पीजीटी (शारीरिक शिक्षा) महिला	शिक्षा निदेशालय	8	5	0	2	7	0	14	0
3.		पीजीटी (शारीरिक शिक्षा)	नई दिल्ली पालिका परिषद	8	2	1	0	0	0	3	0
1.	816/23	पीजीटी (गृह विज्ञान) पुरुष	शिक्षा निदेशालय	8	0	0	0	0	0	0	0
2.		पीजीटी (गृह विज्ञान) महिला	शिक्षा निदेशालय	8	1	3	0	11	0	15	6
3.		पीजीटी (गृह विज्ञान/घरेलू विज्ञान)	नई दिल्ली पालिका परिषद	8	1	0	0	0	0	1	1
			कुल योग		126	54	38	41	38	297	57

* उपरोक्त रिक्तियां अस्थायी हैं और मांग करने वाले विभागों/निकायों के इनपुट पर आधारित हैं.

उम्मीदवारों को वेबसाइट **https://dsssbonline.nic.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 07/02/2024 (रात 11:59 बजे तक)** है, जिसके बाद लिंक असक्षम हो जाएगा.

डीएसएसएसबी ऊपर अधिसूचित रिक्तियों के तहत भर्ती करने के लिए परीक्षा आयोजित करेगा. परीक्षाओं के आयोजन की तारीख उचित समय पर बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही सूचित की जाएगी. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत विज्ञापन की जांच करने और इंडेंटिंग विभागों के भर्ती नियमों के आधार पर उपरोक्त रिक्तियों के लिए अपनी पात्रता की पुष्टि करने के लिए डीएसएसएसबी की वेबसाइट यानी **https://dsssbonline.nic.in** पर जाएं.

महत्वपूर्ण नोट :- केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे. डाक/हाथों-हाथ/मेल आदि द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और सरसरी तौर पर खारिज कर दिये जायेंगे. इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.

उप सचिव (पी एंड पी-I)
डीएसएसएसबी

विज्ञापन सं. 07/2023

उपयोगकर्ता/मांग करने वाले विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए भर्ती नियमों के अनुसार पद का नाम, पोस्ट कोड, रिक्तियों की संख्या, शैक्षिक योग्यता (आवश्यक/वांछनीय), आवश्यक अनुभव (आवश्यक/वांछनीय), वेतनमान, आयु सीमा आदि से संबंधित विवरण नीचे सारणीबद्ध हैं :-

क्र. सं.											
1.	पद का नाम – पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (हिंदी) (पुरुष/महिला) /पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (हिंदी) पोस्ट कोड-804/23 विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (हिंदी) (पुरुष) आर.नं. डीई-2(8)(12)/ई.IIरिक्विजिशन/387 दिनांक : 12/04/2021 रिक्तियों की संख्या										
	अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)				
							श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)	
	00	00	00	01	00	01	00	00	00	00	
	यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.										
	शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री (या पीजीटी हिंदी के मामले में इसके समकक्ष ओरिएंटल डिग्री). 2. शिक्षा में डिग्री. नोट- ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.									
		वांछनीय	शून्य								
	अनुभव	अनिवार्य	शून्य								
		वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.								
	वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).									
	आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**									
2.	विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (हिंदी) (महिला) आर.नं. डीई-2(8)(12)/ई.IIरिक्विजिशन/387 दिनांक : 12/04/2021 रिक्तियों की संख्या										
	अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)				
							श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)	
	03	00	01	00	00	04	01**	01**	01**	00	
	** बैकलॉग रिक्ति यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.										
	शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री (या पीजीटी हिंदी के मामले में इसके समकक्ष ओरिएंटल डिग्री). 2. शिक्षा में डिग्री. नोट- ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.									
		वांछनीय	शून्य								
	अनुभव	अनिवार्य	शून्य								
		वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.								
	वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).									
	आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**									
3.	विभाग का नाम : नई दिल्ली पालिका परिषद पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (हिंदी) (पुरुष) आर.नं. डी/230-ए/पी.ए.डीआईआर(एडीएन)/2020 दिनांक : 03/12/2020 रिक्तियों की संख्या										
	अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)				
							श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)	
	03	01	01	01	01	07	00	00	00	00	
	यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र क्रमांक डी.10 दिनांक 10/04/2023 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) एचएच (सी) ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी, एसएलडी, एमआई (ई) एमडी (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.										
	शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री (या पीजीटी हिंदी के मामले में इसके समकक्ष ओरिएंटल डिग्री). 2. शिक्षा में डिग्री. नोट- ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. एचआर में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के बाद सेकेंडरी परीक्षा, स्नातक और स्नातकोत्तर और इसके बाद इस अनिवार्य शर्त के साथ कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता हासिल कर लेगा **या** iii. दिल्ली प्रशासन में टीजीटी/एलटी के रूप में 10 साल के अध्यापन अनुभव के साथ 1975 से पहले नियुक्त टीजीटी/भाषा शिक्षक [आदेश क्रमांक एफ-2(24)डीआर/ई-II/84/21575-21589, दिनांक 31.05.1985 द्वारा रियायत.]									
		वांछनीय	शून्य								
	अनुभव	अनिवार्य	शून्य								
		वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.								
	वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).									
	आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**									
1.	पद का नाम – पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (गणित) (पुरुष /महिला) /पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (गणित) पोस्ट कोड -805/23 विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (गणित) (पुरुष) आर.नं. डीई.2(8)(12)/ई-II/रिक्विजिशन/387 दिनांक : 12/04/2021 रिक्तियों की संख्या										
	अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)				
							श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)	
	02	02	02	00	01	07	01**	00	00	01**	
	** बैकलॉग रिक्ति यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.										
	शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (गणित) में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. नोट- ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है.									

			i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.
		वांछनीय	शून्य
	अनुभव	अनिवार्य	शून्य
		वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
	वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
	आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

2. विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (गणित) (महिला)

आर.नं. डीई-2(8)(12)/ई-II/रिक्विजिशन/387 दिनांक : 12/04/2021

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
04	01	04	01	01	11	01**	02**	00	01**

** बैकलॉग रिक्ति

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (गणित) में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. नोट- ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**

3. विभाग का नाम : नई दिल्ली पालिका परिषद

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (गणित)

आर. नं. डी/230-ए/पी.ए.डीआईआर(एडीएन)/2020 दिनांक : 03/12/2020

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
02	01	01	00	00	04	00	00	00	00

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र क्रमांक डी.10 दिनांक 10/04/2023 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में (गणित) डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. नोट- ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा. iii. दिल्ली प्रशासन में टीजीटी/एलटी के रूप में 10 साल के अध्यापन अनुभव के साथ 1975 से पहले नियुक्त टीजीटी/भाषा शिक्षक [आदेश क्रमांक एफ-2(24)डीआर/ई-II/84/21575-21589, दिनांक 31.05.1985 द्वारा रियायत.]
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**

पद का नाम-पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (भौतिकी) (पुरुष/महिला) /पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भौतिकी) पोस्ट कोड-806/23

1. विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (भौतिकी) (पुरुष)

आर.नं. डीई.2(8)(12)/ई-II/रिक्विजिशन/387 दिनांक : 12/04/2021

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
01	02	00	01	00	04	00	01**	00	00

** बैकलॉग रिक्ति

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (भौतिकी) में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. नोट- ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**

2. विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (भौतिकी) (महिला)

आर.नं. डीई.2(8)(12)/ई-II/रिक्विजिशन/387 दिनांक : 12/04/2021

रिक्तियों की संख्या									
अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
01	01	02	00	00	04	00	01**	01**	00

** बैकलॉग रिक्ति

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीबीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (भौतिकी) में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. **नोट-** ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

3. **विभाग का नाम : नई दिल्ली पालिका परिषद**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (भौतिकी)

आर.नं. डी/230-ए/पी.ए.डीआईआर(एडीएन)/2020 दिनांक : 03/12/2020

रिक्तियों की संख्या									
अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
01	00	00	00	00	01	00	00	00	00

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र क्रमांक डी.10 दिनांक 10/04/2023 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई), एमडी (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (भौतिकी) में मास्टर डिग्री 2. शिक्षा में डिग्री. **नोट-** ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा. iii. दिल्ली प्रशासन में टीजीटी/एलटी के रूप में 10 साल के अध्यापन अनुभव के साथ 1975 से पहले नियुक्त टीजीटी/भाषा शिक्षक [आदेश क्रमांक एफ-2(24)डीआर/ई-II/84/21575-21589, दिनांक 31.05.1985 द्वारा रियायत.]
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.	
		समान विभाग के संविदा कर्मचारी : सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**

पद का नाम-पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (रसायन विज्ञान) (पुरुष /महिला)/
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (रसायन विज्ञान)
पोस्ट कोड -807/23

1. **विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (रसायन विज्ञान) (पुरुष)

आर.नं. डीई.2(8)(12)/ई-II/रिक्रिजिशन/387 दिनांक : 12/04/2021

रिक्तियों की संख्या									
अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
05	03	03	02	01	14	00	01**	01	00

** बैकलॉग रिक्ति

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (रसायन विज्ञान) में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. **नोट-** ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

2. **विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (रसायन विज्ञान) (महिला)

आर.नं. डीई.2(8)(12)/ई-II/रिक्विजिशन/387 दिनांक : 12/04/2021

रिक्तियों की संख्या									
अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
05	02	02	00	01	10	01**	01**	00	00

** बैकलॉग रिक्ति

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (रसायन विज्ञान) में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. **नोट-** ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.
	वांछनीय	शून्य

	अनुभव	अनिवार्य	शून्य
		वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
	वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिफकीय, अराजपत्रित).	
	आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

3. **विभाग का नाम : नई दिल्ली पालिका परिषद**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (रसायन विज्ञान)

आर. नं. डी/230-ए/पी.ए.डीआईआर(एडीएन)/2020 दिनांक : 03/12/2020

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
01	01	00	00	00	02	00	00	00	00

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र क्रमांक डी-10 दिनांक 10/04/2023 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीबीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएनडी, एमआई (ई) एमडी (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (रसायन विज्ञान) में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. **नोट-** ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा. iii. दिल्ली प्रशासन में टीजीटी/एलटी के रूप में 10 साल के अध्यापन अनुभव के साथ 1975 से पहले नियुक्त टीजीटी/भाषा शिक्षक [आदेश क्रमांक एफ-2(24)डीआर/ई-II/84/21575-21589, दिनांक 31.05.1985 द्वारा रियायत.]
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिफकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

पद का नाम - पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (जीव विज्ञान) (पुरुष/महिला) / पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (जीव विज्ञान)
पोस्ट कोड- 808/23

1. **विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (जीव विज्ञान) (पुरुष)

आर.नं. डीई-2(8)(12)/ई-II/रिक्विजिशन/387 दिनांक : 12/04/2021

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
08	05	02	01	02	18	01**	01**	00	00

**** बैकलॉग रिक्ति**

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीबीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएनडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. **नोट-** ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिफकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

	शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. **नोट-** ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.
		वांछनीय	शून्य
	अनुभव	अनिवार्य	शून्य
		वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
	वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिफकीय, अराजपत्रित).	
	आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

2. **विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (जीव विज्ञान) (महिला)

आर.नं. डीई-2(8)(12)/ई-II/रिक्विजिशन/387 दिनांक : 12/04/2021

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
05	02	01	00	01	09	01**	01**	00	00

**** बैकलॉग रिक्ति**

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीबीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएनडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. **नोट-** ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिफकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

3. **विभाग का नाम : नई दिल्ली पालिका परिषद**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (जीव विज्ञान)

आर.नं. डी/230-ए/पी.ए.डीआईआर(एडीएन)/2020 दिनांक : 03/12/2020

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
01	01	00	00	00	02	00	00	00	00

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र क्रमांक डी-10 दिनांक 10/04/2023 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीबीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी, एसएलडी, एमआई (ई) एमडी (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष. 2. शिक्षा में डिग्री. **नोट-** ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा. iii. दिल्ली प्रशासन में टीजीटी/एलटी के रूप में 10 साल के अध्यापन अनुभव के साथ 1975 से पहले नियुक्त टीजीटी/भाषा शिक्षक [आदेश क्रमांक एफ-2(24)डीआर/ई-II/84/21575-21589, दिनांक 31.05.1985 द्वारा रियायत.]
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. (अनुलग्नक-I).	

पद का नाम - पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (अर्थशास्त्र) (पुरुष/महिला) / पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (अर्थशास्त्र) पोस्ट कोड -809/23

1. **विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (अर्थशास्त्र) (पुरुष)

आर.नं. डीई-2(8)(12)/ई-II/रिक्विजिशन/387 दिनांक : 12/04/2021

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
14	02	01	02	04	23	01**	01**	01**	01

** बैकलॉग रिक्ति

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में (अर्थशास्त्र) में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. **नोट-** ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. (अनुलग्नक-I).	

2. **विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (अर्थशास्त्र) (महिला)

आज तक कोई रिक्विजिशन प्राप्त नहीं हुआ

3. **विभाग का नाम : नई दिल्ली पालिका परिषद**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (अर्थशास्त्र)

आर.नं. डी/230-ए/पी.ए.डीआईआर(एडीएन)/2020 दिनांक : 03/12/2020

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
02	02	00	01	00	05	00	00	00	00

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र क्रमांक डी-10 दिनांक 10/04/2023 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) एचएच (सी) ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एसएलडी, एमआई (ई) एमडी (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या संबंधित विषय (अर्थशास्त्र) में इसके समकक्ष. 2. शिक्षा में डिग्री. **नोट-** ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा. iii. दिल्ली प्रशासन में टीजीटी/एलटी के रूप में 10 साल के अध्यापन अनुभव के साथ 1975 से पहले नियुक्त टीजीटी/भाषा शिक्षक [आदेश क्रमांक एफ-2(24)डीआर/ई-II/84/21575-21589, दिनांक 31.05.1985 द्वारा रियायत.]
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. (अनुलग्नक-I).	

पद का नाम - पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (वाणिज्य) (पुरुष/महिला) / पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (वाणिज्य) पोस्ट कोड - 810/23

1. **विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (वाणिज्य) (पुरुष)

आर.नं. डीई-2(8)(12)/ई-II/रिक्विजिशन/387 दिनांक : 12/04/2021

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
04	00	01	00	03	08	00	01**	00	01**

** बैकलॉग रिक्ति

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (वाणिज्य) में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. **नोट-** ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी

			प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.
		वांछनीय	शून्य
	अनुभव	अनिवार्य	शून्य
		वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
	वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
	आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

2. **विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (वाणिज्य) (महिला)

आर.नं. डीई-2(8)(12)/ई-II/रिक्विजिशन/387 दिनांक : 12/04/2021

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
04	00	00	01	03	08	01**	01**	00	00

**** बैकलॉग रिक्ति**

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (वाणिज्य) में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. नोट- ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

3. **विभाग का नाम : नई दिल्ली पालिका परिषद**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (वाणिज्य)

आर.नं. डी/230-ए/पी.ए.डीआईआर(एडीएन)/2020 दिनांक : 03/12/2020

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
02	02	01	01	00	06	00	00	00	00

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र क्रमांक डी-10 दिनांक 10/04/2023 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) एचएच (सी) ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एसएलडी, एमआई (ई) एमडी (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (वाणिज्य) में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. नोट- ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा. iii. दिल्ली प्रशासन में टीजीटी/एलटी के रूप में 10 साल के अध्यापन अनुभव के साथ 1975 से पहले नियुक्त टीजीटी/भाषा शिक्षक [आदेश क्रमांक एफ-2(24)डीआर/ई-II/84/21575-21589, दिनांक 31.05.1985 द्वारा रियायत.]
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

पद का नाम- पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (इतिहास) (पुरुष/महिला)/पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (इतिहास) पोस्ट कोड- 811/23

1. **विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (इतिहास) (पुरुष)

आर.नं. डीई-2(8)(12)/ई-II/रिक्विजिशन/387 दिनांक : 12/04/2021

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
02	03	05	01	03	14	00	01**	01**	01**

**** बैकलॉग रिक्ति**

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (इतिहास) में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. नोट- ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

2. **विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (इतिहास) (महिला)

आर.नं. डीई-2(8)(12)/ई-II/रिक्विजिशन/387 दिनांक : 12/04/2021

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
04	00	00	01	01	06	01**	01**	01**	00

** बैकलॉग रिक्ति

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (इतिहास) में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. **नोट-** ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

3. **विभाग का नाम : नई दिल्ली पालिका परिषद**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (इतिहास)

आर.नं. **डी/230-ए/पी.ए.डीआईआर(एडीएन)/2020** **दिनांक : 03/12/2020**

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
01	01	01	00	01	04	00	00	00	00

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र क्रमांक डी-10 दिनांक 10/04/2023 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (इतिहास) में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. **नोट-** ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा. iii. दिल्ली प्रशासन में टीजीटी/एलटी के रूप में 10 साल के अध्यापन अनुभव के साथ 1975 से पहले नियुक्त टीजीटी/भाषा शिक्षक [आदेश क्रमांक एफ-2(24)डीआर/ई-II/84/21575-21589, दिनांक 31.05.1985 द्वारा रियायत.]
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य.
	वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

पद का नाम-पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (भूगोल) (पुरुष/महिला)/पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (भूगोल) पोस्ट कोड-812/23

1. **विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (भूगोल) (पुरुष)

आर.नं. **डीई-2(8)(12)/ई-II/रिक्विजिशन/387** **दिनांक : 12/04/2021**

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
07	08	00	00	05	20	01**	01**	01**	00

** बैकलॉग रिक्ति

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (भूगोल) में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. **नोट-** ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

2. **विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (भूगोल) (महिला)

आर.नं. **डीई-2(8)(12)/ई-II/रिक्विजिशन/387** **दिनांक : 12/04/2021**

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
01	00	00	00	00	01	00	00	00	01**

** बैकलॉग रिक्ति

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (भूगोल) में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. **नोट-** ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य

		वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
	वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
	आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

3. **विभाग का नाम : नई दिल्ली पालिका परिषद**

पद का नाम: पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (भूगोल)

आर.नं. डी/230-ए/पी.ए.डीआईआर(एडीएन)/2020 **दिनांक : 03/12/2020**

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
01	01	00	00	01	03	00	00	00	00

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र क्रमांक डी-10 दिनांक 10/04/2023 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई), एमडी (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	**अनिवार्य**	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (भूगोल) में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. **नोट-** ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा. iii. दिल्ली प्रशासन में टीजीटी/एलटी के रूप में 10 साल के अध्यापन अनुभव के साथ 1975 से पहले नियुक्त टीजीटी/भाषा शिक्षक [आदेश क्रमांक एफ-2(24)डीआर/ई-II/84/21575-21589, दिनांक 31.05.1985 द्वारा रियायत.]
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	**अनिवार्य**	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

पद का नाम - पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (राजनीति विज्ञान) (पुरुष/महिला) / पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (राजनीति विज्ञान)
पोस्ट कोड-813/23

1. **विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (राजनीति विज्ञान) (पुरुष)

आर.नं. डीई-2(8)(12)/ई-II/रिक्विजिशन/387 **दिनांक : 12/04/2021**

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
15	04	01	04	05	29	01**	01	01**	01**

**** बैकलॉग रिक्ति**

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी), एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	**अनिवार्य**	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (राजनीति विज्ञान) में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. **नोट-** ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	**अनिवार्य**	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

2. **विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (राजनीति विज्ञान) (महिला)

आर.नं. डीई-2(8)(12)/ई-II/रिक्विजिशन/387 **दिनांक : 12/04/2021**

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
04	00	00	01	01	06	01**	02**	00	00

**** बैकलॉग रिक्ति**

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	**अनिवार्य**	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (राजनीति विज्ञान) में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. **नोट-** ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	**अनिवार्य**	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/हायर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

3. **विभाग का नाम : नई दिल्ली पालिका परिषद**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (राजनीति विज्ञान)

आर.नं. डी/230-ए/पी.ए.डीआईआर(एडीएन)/2020 **दिनांक : 03/12/2020**

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
01	02	01	00	00	04	00	00	00	00

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र क्रमांक डी-10 दिनांक 10/04/2023 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) एचएच (सी) ओए, ओएल, बीएल, ओएएल,

सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी, एसएलडी, एमआई (ई) एमडी (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (राजनीति विज्ञान) में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष. 2. शिक्षा में डिग्री. नोट- ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा. iii. दिल्ली प्रशासन में टीजीटी/एलटी के रूप में 10 साल के अध्यापन अनुभव के साथ 1975 से पहले नियुक्त टीजीटी/भाषा शिक्षक [आदेश क्रमांक एफ-2(24)डीआर/ई-II/84/21575-21589, दिनांक 31.05.1985 द्वारा रियायत.]
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/ह्यर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-चार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

पद का नाम-पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (समाजशास्त्र) (पुरुष/महिला)/पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (समाजशास्त्र)
पोस्ट कोड-814/23

1. **विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (समाजशास्त्र) (पुरुष)

आर.नं. डीई-2(8)(12)/ई-II/रिक्विजिशन/387 दिनांक : 12/04/2021

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
06	01	02	01	00	10	00	01**	01**	00

**** बैकलॉग रिक्ति**

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (समाजशास्त्र) में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. नोट- ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/ह्यर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-चार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

2. **विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (समाजशास्त्र) (महिला)

आर.नं. डीई-2(8)(12)/ई-II/रिक्विजिशन/387 दिनांक : 12/04/2021

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
02	02	00	01	00	05	01**	01**	01**	00

**** बैकलॉग रिक्ति**

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (समाजशास्त्र) में मास्टर डिग्री. 2. शिक्षा में डिग्री. नोट- ऊपर क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित योग्यता निम्नलिखित उम्मीदवारों के मामले में छूट योग्य है. i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की हो. ii. उच्चतर माध्यमिक, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर बी.एड योग्यता प्राप्त करेगा.
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	किसी कॉलेज/ह्यर सेकेंडरी स्कूल/हाई स्कूल में संबंधित विषय में पढ़ाने का 03 वर्ष का अनुभव.
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-चार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

3. **विभाग का नाम : नई दिल्ली पालिका परिषद**

पद का नाम . पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (समाजशास्त्र)

आज तक कोई रिक्विजिशन प्राप्त नहीं हुआ

पद का नाम -पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (शारीरिक शिक्षा) (पुरुष/महिला)/पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (शारीरिक शिक्षा)
पोस्ट कोड-815/23

1. **विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय**

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (शारीरिक शिक्षा) (पुरुष)

आर.नं. डीई-2(8)(12)/ई-II/रिक्विजिशन/387 दिनांक : 12/04/2021

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
05	00	04	02	03	14	00	00	00	00

उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 559 दिनांक 13/03/2023 के अनुसार यह पद पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बी.पी.एड) या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बीपीई) या बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में और खेल में डिग्री, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार कम से कम 55 प्रतिशत अंक). **या** बी.पी.एड में कम से कम 50 प्रतिशत अंक. 10 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2007 के अनुसार डिग्री/बी.पी.एड (एकीकृत) चार साल की व्यावसायिक डिग्री. **या** बी. पी.एड. कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ तीन साल की अवधि का बी. पी. ई. पाठ्यक्रम (या इसके समकक्ष) (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की समय सीमा. निर्धारण) शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता और नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति के लिए मानदंड और मानक) विनियम, 2002 13 नवंबर, 2002 को अधिसूचित किए गए.

		और एम.पी.एड. किसी भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता-प्राप्त संस्थान से कम से कम दो वर्ष की अवधि. **ध्यान दें :** असाधारण तौर पर योग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर योग्यता में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर छूट दी जा सकती है.	
		वांछनीय	शून्य
	अनुभव	अनिवार्य	शून्य
		वांछनीय	शून्य
	वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
	आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं. (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. (अनुलग्नक-I).	

2. विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय

पद का नाम : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (शारीरिक शिक्षा) (महिला)

आर.नं. डीई-2(8)(12)/ई-II/रिक्विजिशन/387 दिनांक : 12/04/2021

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
05	00	02	07	00	14	00	00	00	00

उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 557 दिनांक 13/03/2023 के अनुसार यह पद पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बी.पी.एड) या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बीपीई) या बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में और खेल में डिग्री, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार कम से कम 55 प्रतिशत अंक). **या** बी.पी.एड में कम से कम 50 प्रतिशत अंक. 10 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2007 के अनुसार डिग्री/बी.पी.एड (एकीकृत) चार साल की व्यावसायिक डिग्री. **या** बी.पी.एड. कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ तीन साल की अवधि का बी. पी. ई. पाठ्यक्रम (या इसके समकक्ष) (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की समय सीमा- निर्धारण) शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता और नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति के लिए मानदंड और मानक) विनियम, 2002 13 नवंबर, 2002 को अधिसूचित किए गए. **और** एम.पी.एड. किसी भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता-प्राप्त संस्थान से कम से कम दो वर्ष की अवधि. **ध्यान दें :** असाधारण तौर पर योग्य उम्मीदवारों के मामले में, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर योग्यता में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर छूट दी जा सकती है.
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	शून्य
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं. (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. (अनुलग्नक-I).	

3. विभाग का नाम : नई दिल्ली पालिका परिषद

पद का नाम : स्नातकोत्तर शिक्षक (शारीरिक शिक्षा)

आर.नं. डी/230-ए/पी.ए.डीआईआर(एडीएन)/2020 दिनांक : 03/12/2020

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
02	01	00	00	00	03	00	00	00	00

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र क्रमांक डी-10 दिनांक 10/04/2023 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एसएलडी, एमआई (ई) एमडी (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री.
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	शून्य
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. (अनुलग्नक-I).	

पद का नाम-पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (गृह विज्ञान) (पुरुष/महिला)/
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (गृह विज्ञान/घरेलू विज्ञान)
पोस्ट कोड-816/23

1. विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय

पद का नाम : स्नातकोत्तर शिक्षक (गृह विज्ञान) (पुरुष)

अब तक कोई रिक्विजिशन प्राप्त नहीं हुआ

2. विभाग का नाम : शिक्षा निदेशालय

पद का नाम : स्नातकोत्तर शिक्षक (गृह विज्ञान) (महिला)

आर.नं. डीई-2(8)(12)/ई-II/रिक्विजिशन/ दिनांक : 22/12/2022
पीजीटी/17/2343-47

रिक्तियों की संख्या

अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
01	03	00	11	00	15	01**	02**	01**	02 (01+01**)

** बैकलॉग रिक्ति

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र संख्या 297-304 दिनांक 08/03/2022 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) एलवी (बी) डी, एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई (ई) एमडी में (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी (गृह विज्ञान). **या** ii. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी (गृह विज्ञान), बी.एड., बशर्ते कि शिक्षक ने लगातार तीन ग्रीष्मकालीन संस्थानों या एक साल के शाम के पाठ्यक्रम के माध्यम से गृह विज्ञान में एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम संतोषजनक ढंग से किया हो.
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	शून्य
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. (अनुलग्नक-I).	

3. विभाग का नाम : नई दिल्ली पालिका परिषद

पद का नाम : स्नातकोत्तर शिक्षक (गृह विज्ञान/घरेलू विज्ञान)

आर.नं. डी/230-ए/पी.ए.डीआईआर(एडीएन)/2020 दिनांक : 03/12/2020

(शेष पृष्ठ 19 पर)

राष्ट्रपति का 75वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन

नई दिल्ली, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में देश के 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण के संपादित अंश 'रोज़गार और निर्माण' में प्रकाशित किए जा रहे हैं -

हमारे गणतंत्र का पचहत्तरवां वर्ष, कई अर्थों में, देश की यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। यह उत्सव मनाने का विशेष अवसर है, जैसे हमने, स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने पर, 'आजादी का अमृत महोत्सव' के दौरान अपने देश की अतुलनीय महानता और विविधतापूर्ण संस्कृति का उत्सव मनाया था। कल के दिन हम संविधान के प्रारंभ का उत्सव मनाएंगे। संविधान की प्रस्तावना 'हम, भारत के लोग', इन शब्दों से शुरू होती है। ये शब्द, हमारे संविधान के मूल भाव अर्थात् लोकतंत्र को रेखांकित करते हैं।

एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद 15 अगस्त, 1947 को हमारा देश विदेशी शासन से मुक्त हो गया। लेकिन, उस समय भी, देश में सुशासन तथा देशवासियों में निहित क्षमताओं और प्रतिभाओं को उन्मुक्त विस्तार देने के लिए, उपयुक्त मूलभूत सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को स्वरूप प्रदान करने का कार्य चल ही रहा था। संविधान सभा ने सुशासन के सभी पहलुओं पर लगभग तीन वर्ष तक विस्तृत चर्चा की और हमारे राष्ट्र के महान आधारभूत ग्रंथ, यानी भारत के संविधान की रचना की।

हमारा देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृत काल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। यह एक युगांतरकारी परिवर्तन का कालखंड है। हमें अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सुनहरा अवसर मिला है। हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान, महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए, मैं सभी देशवासियों से संविधान में निहित हमारे मूल कर्तव्यों का पालन करने का अनुरोध करूंगी। ये कर्तव्य, आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में, प्रत्येक नागरिक के आवश्यक दायित्व हैं।

हमारे राष्ट्रीय त्योहार ऐसे महत्वपूर्ण अवसर होते हैं जब हम अतीत पर भी दृष्टिपात करते हैं और भविष्य की ओर भी देखते हैं। पिछले गणतंत्र दिवस के बाद के एक वर्ष पर नजर डालें तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में G-20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। G-20 से जुड़े आयोजनों में जन-सामान्य की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन आयोजनों में विचारों और सुझावों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर था। उस भव्य आयोजन से यह सीख भी मिली है कि सामान्य नागरिकों को भी ऐसे गहन तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे में भागीदार बनाया जा सकता है जिसका प्रभाव अंततः उनके अपने भविष्य पर पड़ता है।

जब संसद ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया तो हमारा देश, स्त्री-पुरुष समानता के आदर्श की ओर आगे बढ़ा। मेरा मानना है कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम', महिला सशक्तिकरण का एक क्रांतिकारी माध्यम सिद्ध होगा। इससे हमारे शासन की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में भी बहुत सहायता मिलेगी।

इसी अवधि में भारत, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र पर उतरने वाला पहला देश बना। चंद्रयान-3 के बाद ISRO ने एक सौर मिशन भी शुरू किया। हाल ही में आदित्य L1 को सफलतापूर्वक 'Halo Orbit' में स्थापित किया गया है। भारत ने अपने पहले एक्स-रे Polarimeter Satellite, जिसे एक्सपोसैट कहा जाता है, के प्रक्षेपण के साथ नए साल की शुरुआत की है। यह सैटेलाइट, अंतरिक्ष के 'ब्लैक होल' जैसे रहस्यों का अध्ययन करेगा। वर्ष 2024 के दौरान अन्य कई अंतरिक्ष अभियानों की योजना बनाई गई है। यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में अनेक नई उपलब्धियां हासिल की जाने वाली हैं। हमारे प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, 'गगनयान मिशन' की तैयारी सुचारु रूप से आगे बढ़ रही है। हमें अपने वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों पर सदैव गर्व रहा है, लेकिन अब वे पहले से कहीं अधिक ऊंचे लक्ष्य तय कर रहे हैं और उनके अनुरूप परिणाम भी हासिल कर रहे हैं।

आज का भारत, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। सुदृढ़ और स्वस्थ अर्थव्यवस्था इस आत्मविश्वास का कारण भी है और परिणाम भी। हाल के वर्षों में, सकल घरेलू उत्पाद की हमारी वृद्धि दर, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक रही है। ठोस आकलन के आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि यह असाधारण प्रदर्शन, वर्ष 2024 और उसके बाद भी जारी रहेगा। यह बात मुझे विशेष रूप से उल्लेखनीय लगती है कि जिस दृरगामी योजना-दृष्टि से अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त हुई है, उसी के तहत विकास को हर दृष्टि से समावेशी बनाने के लिए सुविचारित जन कल्याण अभियानों को भी बढ़ावा दिया गया है। साथ ही, सभी नागरिकों के जीवन-यापन को सुगम बनाने के लिए अनेक समयबद्ध योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं। घर में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता से लेकर अपना घर होने के सुरक्षा-जनक अनुभव तक, ये सभी बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, न कि विशेष सुविधाएं। ये मुद्दे, किसी भी राजनीतिक या आर्थिक विचारधारा से परे हैं और इन्हें मानवीय दृष्टिकोण से ही देखा जाना चाहिए। सरकार ने, केवल जन-कल्याण योजनाओं का विस्तार और संवर्धन ही नहीं किया है, अपितु जन-कल्याण की अवधारणा को भी नया अर्थ प्रदान किया है। हम सभी उस दिन गर्व का अनुभव करेंगे जब भारत ऐसे कुछ देशों में शामिल हो जाएगा जहां शायद ही कोई बेघर हो।

वैश्विक पर्यावरण संकट से उबरने में भी भारत का प्राचीन ज्ञान, विश्व-समुदाय का मार्गदर्शन कर सकता है। भारत को ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने में अग्रणी योगदान देते हुए और Global Climate Action को नेतृत्व प्रदान करते हुए देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। भारत ने, पर्यावरण के प्रति सचेत जीवन-शैली अपनाने के लिए, 'LiFE Movement' शुरू किया है। हमारे देश में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का सामना करने में व्यक्तिगत व्यवहार-परिवर्तन को प्राथमिकता दी जा रही है तथा विश्व समुदाय द्वारा इसकी सराहना की जा रही है।

वास्तव में, हमारे युवाओं के आत्मविश्वास के बल पर ही भावी भारत का निर्माण हो रहा है। युवाओं के मनोमस्तिष्क को संवारने का कार्य हमारे शिक्षकगण करते हैं जो सही अर्थों में राष्ट्र का भविष्य बनाते हैं। मैं अपने उन किसानों और मजदूर भाई-बहनों के प्रति आभार व्यक्त करती हूं जो, चुपचाप मेहनत करते हैं तथा देश के भविष्य को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अपनी वाणी को विराम देने से पहले, मैं न्यायपालिका और सिविल सेवाओं के सदस्यों को भी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। विदेशों में नियुक्त भारतीय मिशनों के अधिकारियों और प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों को मैं गणतन्त्र दिवस की बधाई देती हूं।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए

आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाए

बालाघाट, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बालाघाट में आयोजित एक बैठक में ग्रामीण विकास को नई ऊंचाइयां देने के लिये प्रयोगधर्मी होने की आवश्यकता बतायी। उन्होंने कहा कि अर्द्धशहरी मॉडल को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने का समय आ गया है। प्रयोगधर्मी होकर अच्छे कार्य से ग्रामीण विकास को नई दिशा दी जा सकती है। आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा गया है यह भविष्य में सबसे अच्छा मॉडल साबित हो सकता है। पिछले वर्षों में प्रारंभ की गई ऐसी गतिविधियों के निरंतर आकलन और अवलोकन की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देशित किया कि पीएम आवास योजना और आवास प्लस के बावजूद कोई गांव अगर छूट गये हैं तो सभी जनपद सीईओ पंचायत एवं ग्रामीण विकास की विशेष बैठक आयोजित कर जानकारी निकालें। श्री पटेल ने श्रम विभाग की समीक्षा में निर्देश दिये कि पलायन कर गये श्रमिकों की जानकारी हमारे पास होनी चाहिये कि वे किस कार्य के लिये कहां गये हैं। विभाग इसकी चिंता करते हुये पूर्व में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे।

श्री पटेल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा जिले में बनायी गई सड़कों के मामले में स्पष्ट निर्देश दिये कि जिले की कनेक्टिविटी और बारहमासी सड़कों पर पुल निर्माण विभागीय स्तर पर पूर्ण करें। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों पर बने रपटों के स्थान पर पुल निर्माण, वनग्राम होने से छूटे गांव के साथ-साथ सड़कों की स्थितियों के बारे में समीक्षा की। मंत्री श्री पटेल ने जिले की नक्सल प्रभावित गांव में सड़कों की स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सामुदायिक स्वच्छता परिसर की समीक्षा करते हुये ग्रामीण विकास के अमले को प्रयोगधर्मी बनने को कहा। उन्होंने कहा कि कई गांव में पूर्व में निर्मित सीएससी अनुपयोगी साबित हो रहे हैं और इनको खंडहर होने से पहले कमर्शियल तौर पर उपयोग में लायें। आवश्यकता समझें तो इसका कमर्शियल मॉडल स्थापित करते हुये 'यूज एंड पे' की तर्ज पर स्व-सहायता समूहों या अन्य को प्रदान करें। जिले में ऐसे 126 सीएससी बनकर तैयार हैं।

श्री पटेल ने निर्देश दिये कि विभाग को जिले में स्थापित अति खतरनाक और कम खतरनाक उद्योगों की जानकारी रखनी चाहिये। अगर कहीं हादसा होने की संभावना है तो उससे पूर्व योजना बनाई जा सकती है।

मध्यप्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में दें सर्वश्रेष्ठ योगदान - राज्यपाल

भोपाल, राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने 75वें गणतंत्र दिवस पर राजधानी भोपाल में आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों का आह्वान किया है कि भारत के गौरवपूर्ण अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुरूप निरंतर कर्म पथ पर चलते हुए मध्यप्रदेश को विकसित एवं आत्मनिर्भर बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। यह गर्व का विषय है कि हम भारत के लोग संविधान में अंतर्निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता, एकता, अखंडता और बंधुता के मार्ग पर चलते हुए निरंतर प्रगति-पथ पर अग्रसर हैं। सरकार का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के भारत को अमृत काल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प की पूर्ति के लिए राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 45 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक ले जाने का है। मध्यप्रदेश में सांस्कृतिक अभ्युदय का एक महापर्व गतिमान है। श्री महाकाल महालोक परिसर की तर्ज पर 18 लोकों के निर्माण के रोडमैप पर तेजी से काम किया जा रहा है। संत शिरोमणि श्री रविदास स्मारक, रानी दुर्गावती स्मारक और श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक भावी पीढ़ियों के लिए नए प्रेरणा पुंज के रूप में स्थापित होंगे। केन्द्र सरकार से भोपाल में 15 करोड़ रुपये की लागत से सिटी म्यूजियम की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्रदेश के चित्रकूट, खजुराहो, उज्जैन एवं भोपाल में सांस्कृतिक वन बनाए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण और जैव-विविधता के संवर्धन के लिए 100 नगर वन क्षेत्र स्थापित करने का लक्ष्य है।

राज्यपाल ने कहा कि पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत साढ़े 3 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की 3 जिलों की इण्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स का लोकार्पण और 13 जिलों की लैब्स का भूमि-पूजन किया गया है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में 132 प्रकार की, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 45 प्रकार की और उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में 12 प्रकार की निःशुल्क जांचें उपलब्ध हैं। मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है जहां पब्लिक हेल्थ कैडर बनाया गया है। श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप दिनांक 10 से 15 जनवरी-2024 तक संचालित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख पात्र बहनों के खातों में 1 हजार 576 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना से अब तक 46 लाख 74 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल गणतंत्र दिवस समारोह में परेड की सलामी लेते हुए

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

आलेख : 22 जनवरी, 2024 विशेष

देश के स्वाभिमान की पुनर्स्थापना है श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा

●डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

आज सौभाग्य का पावन अवसर है। सैकड़ों वर्षों बाद यह शुभ घड़ी आई है... अयोध्या में अपने जन्मस्थान पर रामलला विराजमान हो रहे हैं। पूरे संसार के सनातनी हर्षित, आनंदित और प्रफुल्लित हैं। समूचे विश्व में जय श्रीराम गुंजायमान है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह सुखद दृश्य देखने का अवसर मिला है। श्रीरामजी की गरिमा के अनुरूप मंदिर निर्माण के लिये पीढ़ियों ने पांच सौ वर्ष तक संघर्ष किया इसमें अनगिनत बलिदान हुए।

राम मंदिर हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, राष्ट्रीयत्व और सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। यह सनातन समाज के संकल्प, संघर्ष और जिजीविषा का ही परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रीराम मंदिर निर्माण का सपना साकार हो रहा है। यह उमंग और उत्सव का अवसर है, समूचा समाज उल्लास के साथ खुशियां मना रहा है।

राजा राम प्रत्येक भारतीय और विश्व में व्याप्त सनातनियों के आदर्श हैं। वे सत्यनिष्ठा के प्रतीक, सदाचरण और आदर्श पुरुष के साकार रूप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। श्रीराम जन्मस्थान मंदिर निर्माण के हर्षोल्लास के साथ हमें भगवान राम के जीवन से प्रेरणा भी लेनी चाहिए। कर्तव्यपथ पर प्रतिबद्ध श्रीराम के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे सबके थे और सबको साथ लेकर चलते थे। सबका विश्वास अर्जित करने के लिये अपने सुखों का भी त्याग कर देते थे। वे जितने वीर थे, मेधावी थे उतने ही सहनशील भी। उन्होंने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और विपरीत परिस्थिति कभी उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी।

प्रजावत्सल राजा राम के लिये न्याय और राजधर्म सर्वोपरि थी। इन्हीं अद्भुत विशिष्टताओं के कारण श्रीराम को आदर्श राजा कहा जाता है। उनकी राज व्यवस्था में न कोई छोटा था न कोई बड़ा था, सभी समान सम्मान के अधिकारी थे। सबको उनकी योग्यता, क्षमता और मेधा के अनुसार काम के अवसर प्राप्त थे। भेदभाव रहित समाज व्यवस्था के लिए रामराज्य का उदाहरण दिया जाता है।

रामराज्य में प्रजा की सुखद स्थिति का रामचरित मानस के उत्तरकांड में उल्लेख है - "दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहिं काहुहि ब्यापा।" अर्थात् राम राज्य में शासन व्यवस्था इतनी आदर्श थी कि प्रजा समृद्ध, रोग रहित और आपदा रहित थी।

राष्ट्र के सांस्कृतिक एकत्व के लिए श्रीराम जी ने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया। वे अपना वनवासकाल पूर्ण करके लंका से सीधे अयोध्या नहीं आये। वे उन सभी स्थानों पर गये जो उनका वन गमन मार्ग था। लौटते समय निषाद, किरात, केवट और वनवासी समाज के सभी प्रमुख बंधुओं को अपने साथ लाये थे। अपने राजकाल में श्रीरामजी ने एक-एक व्यक्ति का विश्वास अर्जित किया और उन्हें संगठित किया। उनका पूरा जीवन राष्ट्र और समाज के लिये समर्पित रहा। हमें ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण करना है।

लगभग पांच सौ वर्षों की दीर्घ प्रतीक्षा और धैर्य के बाद रामलला पूर्व प्रतिष्ठा के साथ अयोध्या आ रहे हैं। यह प्रगति और परंपरा का उत्सव है। इसमें विकास की भव्यता और विरासत की दिव्यता है। यही भव्यता और दिव्यता हमें प्रगति पथ पर आगे ले जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ समाज के संघर्ष और आत्मशक्ति का परिणाम है कि आज रामलला विराजमान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आग्रह किया है कि 'जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हों, तब हर घर में श्रीराम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं' रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा अवसर पर हमने प्रदेश के शहरों और ग्रामों में रोशनी और दीप जलाने की तैयारी की है। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में श्रीराम कथा सप्ताह मनाया जा रहा है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने भव्य राम मंदिर निर्माण के निमित्त एक सप्ताह तक देश के सभी मंदिरों तथा तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया है। हमने मध्यप्रदेश में स्वच्छता से स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से समृद्धि के लिए सभी तीर्थ स्थलों, मंदिरों तथा नदियों में स्वच्छता अभियान चलाया है। प्रभु श्रीराम ने वनवासकाल के लगभग 11 वर्ष चित्रकूट में व्यतीत किये हैं। हमने तीर्थ स्थल चित्रकूट सहित रामवन पथ गमन मार्ग के 1450 किलोमीटर के 23 प्रमुख धार्मिक स्थलों का विकास करने का निर्णय लिया है। इसमें अधोसंरचना विकास के कार्यों के साथ-साथ धार्मिक चेतना, आध्यात्मिक विकास और राम कथा से जुड़े आयामों को भी शामिल किया जाएगा। भगवान कामतानाथ के परिक्रमा पथ का निर्माण कार्य भी शीघ्रप्रारंभ होगा। अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा का यह ऐतिहासिक क्षण हम सभी के लिये प्रेरणा का अवसर है। भारत के सांस्कृतिक वैभव और समृद्धि के इस पावनकाल में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है, हम इस संकल्प की सिद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत को यदि सशक्त और विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में अग्रणी बनाना है, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज संगठित रहे, समरस रहे, एकजुट रहे और प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। यदि भारत राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना है, तो पूरे समाज को आत्मनिर्भर बनना होगा, तभी रामराज्य की कल्पना सार्थक हो सकेगी।

आज रामलला अपने जन्म स्थल पर विराजमान हो रहे हैं इस सुमंगल अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई...।

बुंदेलखंड पैकेज से स्थापित होंगे उद्योग मिलेंगे रोज़गार के नए अवसर - मुख्यमंत्री

सागर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर की जनता को अभूतपूर्व सौगात देते हुए कहा कि शहर में इस वर्ष जून से राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा जो इसी सत्र से आरंभ भी होगा। उन्होंने बुंदेलखंड में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए बुंदेलखंड पैकेज की भी घोषणा की। उन्होंने सागर में सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए भी 25 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। इससे युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. सर हरिसिंह गौर की यह धरती त्याग, बलिदान और कर्तव्य परायणता के विशेषणों से जानी जाती है। डॉ. गौर ने सागर को विश्वविद्यालय के रूप में तब ऐसी सौगात दी थी जब इतना बड़ा शिक्षा का केंद्र बनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

डॉ. यादव ने कहा कि आल्हा-ऊदल की परंपरा को जीवंत रखने वाले बुंदेलखंड के लोगों ने कभी सिर नहीं झुकाया और अपनी आजादी किसी को नहीं सौंपी। बलिदान की परंपरा वाली यह धरती, उद्देश्यों के लिए कैसे जीते हैं, यह सिखलाती है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सागर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में रोजगार के नए आयाम के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 50 हजार करोड़ रुपये से बीना रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट की सौगात दी है। साथ ही केन-बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड की इस धरा को उपजाऊ बनाने का अभूतपूर्व कार्य शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब यह धरती पंजाब को भी पीछे छोड़ेगी और यहां लहलहाती फसलें दिखाई देंगी।

उज्जैन के लिए हवाई सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी

उज्जैन, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सभी क्षेत्रों में विकास के साथ-साथ धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल से महाकाल लोक के निर्माण के बाद से स्थानीय पर्यटन बढ़ा है। उज्जैन आने-जाने के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिये आवागमन के अन्य साधनों को बढ़ाने के साथ बेहतर हवाई सेवाएं भी प्रारंभ की जायेंगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए चल रहे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं के अवलोकन के दौरान संबंधित अधिकारियों से कार्यों की गुणवत्ता और पूर्णता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दिए।

डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेशवासी प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, क्योंकि उज्जैन के महाकाल लोक के निर्माण के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना बढ़ा है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में खोली जायेंगी राशन की दुकानें

भोपाल, आम जनता की सुविधा के लिए प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में राशन दुकानें खोली जायेंगी। जिन 311 पंचायतों में राशन की दुकानें अभी संचालित नहीं हैं, उन ग्राम पंचायतों में राशन दुकान अतिशीघ्र खोली जाएंगी। प्रतिमाह वितरित होने वाला राशन समय-सीमा में पहुंचे एवं मानक गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये। ये बातें खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने मंत्रालय में खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एवं नाप-तौल विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहीं।

श्री राजपूत ने गेहूं उपार्जन से जुड़े सभी कार्य समय पर पूरा करने एवं उपार्जन नीति जारी करने के निर्देश दिये। श्री राजपूत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपार्जन कार्य के दौरान गेहूं की गुणवत्ता अच्छी हो सके, इसके लिये सभी समितियों एवं खरीदी केन्द्रों पर पंखा झरना इत्यादि व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से रखी जायें।

उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने निर्देश दिये कि किसी कारण से राशन दुकान को निलंबित करने की स्थिति में इस राशन दुकान को समीप स्थित राशन दुकान से अटैच किया जाता है, तो आम लोगों को असुविधा से बचाने के लिए अटैच राशन की दुकान का संचालन निलंबित राशन की दुकान पर ही अस्थाई रूप से करने के आदेश जारी करें।

वन्य जीव प्रबंधन का उदाहरण है चीता परियोजना

भोपाल, वन मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने पालपुर कूनो नेशनल पार्क में चीता परिवार में नये सदस्यों के जन्म पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि पालपुर कूनो नेशनल पार्क का वातावरण चीतों के स्वास्थ्य के लिये अनुकूल साबित हुआ है।

वन मंत्री ने कहा कि चीता परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि का सफल परिणाम है। चीता संरक्षण एवं संवर्धन के लिये प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से मध्यप्रदेश और देश का नाम दुनिया में हुआ है। उन्होने कहा कि वन्य जीव प्रबंधन की दृष्टि से चीता परियोजना अन्य देशों के लिये एक उदाहरण बन गई है। वन्य जीव विशेषज्ञ चीता परियोजना का अध्ययन करने मध्यप्रदेश आ रहे हैं।

विद्यार्थियों को पढ़ाई के समानांतर व्यावसायिक शिक्षा दी जाये

भोपाल, स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाये। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के समानांतर व्यावसायिक शिक्षा दिलाये जाने पर भी जोर दिया जाए। ये बातें स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहीं। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शमी भी मौजूद थीं।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में स्नातक युवाओं को बी.एड. करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। उन्होंने जनजातीय युवाओं की बी.एड. फीस की प्रतिपूर्ति की योजना तैयार करने के निर्देश भी दिये। श्री सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की आवास व्यवस्था की योजना तैयार करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के सरकारी हायर सेकेंड्री स्कूलों में वार्षिक उत्सव को गरिमा और भव्यता के साथ आयोजित किये जाने के लिए कहा। बैठक में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की भी चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि पिछले तीन वर्षों में 32 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है। इनमें उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक शामिल हैं। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि प्रदेश भर में 2 लाख 42 हजार से अधिक शिक्षक सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं। इसके साथ ही करीब 72 हजार 500 अतिथि शिक्षक भी शैक्षणिक कार्य में सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बैठक में ऑनलाइन स्थानांतरण नीति पर भी चर्चा की गई।

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह विभागीय बैठक को संबोधित करते हुए

बैठक में बताया गया कि बच्चों में पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए बालरंग, मोगली बाल उत्सव, कालिदास समारोह, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सामूहिक सूर्य नमस्कार और अनुगूंज कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किये जा रहे हैं। इनमें करीब 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों की सहभागिता की जा रही है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

खनन क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार राज्यों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण में सहायक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को केंद्रीय खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने 'अवॉर्ड ऑफ एप्रीसिएशन' प्रदान किया

भोपाल, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय खनन मंत्रालय द्वारा खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों और नवाचारों से मध्यप्रदेश सहित सभी राज्यों को लाभ मिलेगा। हमारी समृद्ध भू-गर्भ संपदा में अनेक संभावनाएं छिपी हैं, इन सुधारों के क्रियान्वयन और नवाचारों को अपनाने से प्रदेश आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा। खनन प्रक्रिया में लाई गई पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था से खनन क्षेत्र को लेकर समाज में विश्वसनीयता बढ़ेगी। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित राज्यों के खनिज मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहीं।

मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मध्यप्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जिसका भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रदेश वन संपदा, खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध होने के साथ-साथ संस्कार, संस्कृति और धार्मिक रूप से भी उन्नत और सम्पन्न है।

सस्टेनेबल माइनिंग से प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं

केन्द्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने मध्यप्रदेश द्वारा खनन गतिविधियों से प्रभावित लोगों के विकास और उनकी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए डीएमएफटी (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट) के अंतर्गत किए गए कार्यों की सराहना की। देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में खनिज संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, खनिज ब्लॉक्स की नीलामी और नवाचारों से राजस्व बढ़ा है, अन्य राज्यों को भी खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की दिशा में पहल करना चाहिए। सस्टेनेबल माइनिंग से प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं।

उज्जैन में मेडिसिटी की होगी स्थापना

उज्जैन, उज्जैन में जल्द ही मेडिसिटी की स्थापना की जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मेडिसिटी परिसर में चिकित्सा की तमाम सुविधाओं के साथ मेडिकल कॉलेज भी होगा। प्रारंभिक तौर पर इसके लिए जिला चिकित्सालय परिसर और आसपास के क्षेत्र का चयन किया गया है। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन स्थित कालिदास अकादमी में शहर के टेलेन्ट को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ने के उद्देश्य से 'अक्षरविश्व' द्वारा आयोजित 'रंगसंग इज़ंग एण्ड पेंटिंग कॉम्पिटीशन' के 17वें सेशन को संबोधित करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन के साथ-साथ प्रदेश के सभी जिलों का प्रमुखता से योजना बनाकर विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास कर रहा है और इसमें योगदान के लिए मध्यप्रदेश भी पीछे नहीं रहने वाला है।

डॉ. यादव ने बताया कि उन्होंने सागर में नए विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। उज्जैन में भी विकास के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रतिभागी बच्चों से कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित भव्य प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर वह अपने-अपने घरों में दीप जलाएं, मिठाइयां बांटें और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनें।

आयुष मंत्री ने होम्योपैथी स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र का किया लोकार्पण

भोपाल, आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने भोपाल स्थित शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, आयुष परिसर में नवनिर्मित 'होम्योपैथी स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र' का लोकार्पण किया। आयुष मंत्री ने कहा कि यह इकाई सर्व समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं की ओर महत्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट पहल है। उन्होंने कहा कि आयुष परिसर में विद्यमान आयुष की समस्त चिकित्सा पद्धतियां, परस्पर एक दूसरे के विज्ञानपरक बिंदुओं को साझा कर आयुष चिकित्साओं को अग्रणी बनाने में सहभागिता करें।

इकाई प्रमुख डॉ. जूही गुप्ता ने बताया कि इस इकाई का उद्देश्य होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ बनाए रखने और रोगग्रसित लोगों को पीड़ा से बाहर निकालना एवं रासायनिक दावों से यथासंभव उनकी सुरक्षा करना है। यह स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र होम्योपैथी क्षेत्र में देशभर में अपने प्रकार का प्रथम केंद्र है। इस केंद्र पर सभी प्रकार की वैलनेस सुविधा अत्यंत कम दाम पर उपलब्ध कराई जाएगी।

पंचायतें आमदनी के स्रोत जनरेट करें

भोपाल, पंचायत राज में पंचायतों के सशक्तिकरण के लिये जरूरी है कि उनकी आमदनी के स्रोत वे स्वयं जनरेट करें। यह बात पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्रालय में विभागीय समीक्षा करते हुए कही। उन्होंने पंचायतों के सशक्तिकरण के लिये किये गये कार्यों की जानकारी प्राप्त की। बैठक में पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के सभी प्रयासों पर भी चर्चा हुई।

श्री पटेल ने कहा कि पंचायतों में आय के बेहतर स्रोत सृजित हो सकते हैं। पंचायतों में मौजूद परिसम्पत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो। इनका उपयोग कर रोजगार के साधन तैयार किये जा सकते हैं, जिनसे पंचायतों को आमदनी हो।

पंचायत मंत्री ने ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में पंचायतों को सशक्त बनाने को कहा है। उन्होंने पंचायतों में इसके लिये मौजूदा संसाधनों को अपग्रेड करने को भी कहा है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पंचायतों में ही ग्रामीणों को आधार, आयुष्मान और डिजी लॉकर के अतिरिक्त और कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं या हमें देना चाहिये और जो हम नहीं दे पा रहे, उसकी पड़ताल कर दिक्कतों को दूर करें।

नगरीय निकायों से

नागरिकों को निरंतर मिलें बुनियादी सुविधाएं

भोपाल, नगरीय निकायों के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं निरंतर मिल सकें, इसके लिये उन्हें वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। निकायों की कार्य-पद्धति राज्य सरकार की छवि को मजबूत करती है। ये बातें नगरीय विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल में वित्त और नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहीं।

श्री विजयवर्गीय ने निर्देश दिये कि नगरीय निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से राज्य स्तर पर कटौती नहीं की जाना चाहिये। ऐसी व्यवस्था हो कि नगरीय निकाय विद्युत देयक की राशि स्वयं विद्युत कम्पनियों को जमा करायें। उन्होंने कहा कि मूलभूत राज्य वित्त आयोग, सड़क अनुरक्षण और मुद्रांक शुल्क की राशि जो करीब एक हजार करोड़ रुपये के करीब है, वित्त विभाग इस राशि को जल्द जारी करे। उन्होंने यूआईडीएफ के अंतर्गत नगरीय निकायों को अमृत योजना की पूर्ति के लिये 500 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी करने के लिये कहा। सचिव वित्त ने इस प्रकरण में एक सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही।

प्रदेश के 6 प्रमुख नगरों में नगर परिवहन सेवा को मजबूत करने के लिये नगरीय विकास विभाग ने 552 ई-बस की योजना लागू करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को दिया है। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि अन्य राज्यों ने इस योजना में गारंटी दी है, इसी तरह की गारंटी प्रदेश में भी वित्त विभाग द्वारा दी जाये। बैठक में वित्त विभाग ने बताया कि नगरीय निकायों की विभिन्न शासकीय विभागों पर अधिरोपित सेवा कर राशि की सूची उपलब्ध कराई जाये। इसके आधार पर वित्त विभाग द्वारा उक्त राशि शीघ्र दिलाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में ट्रेनीज को 8.7 करोड़ रुपये का भुगतान

भोपाल, कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री श्री गौतम टेटवाल ने मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षणरत 10 हजार 522 ट्रेनीज को 8 करोड़ 70 लाख रुपये का स्टाईपेंड भुगतान सिंगल क्लिक से किया। राज्यमंत्री श्री टेटवाल ने कहा कि कंपनियों तथा प्रतिष्ठानों से चर्चा कर प्रशिक्षणार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के साथ ही रोजगार भी सुनिश्चित करें। योजना में 21 हजार 660 प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में On-the-Job-Training (OJT) की सुविधा देने के लिये 'मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना' लागू की गई है। इस योजना में एक लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। आवश्यकतानुसार लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 18 से 29 वर्ष के युवा पात्र होंगे, जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं तथा जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा आईटीआई या उच्च है।

मंत्रिपरिषद के निर्णय

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का पुनर्गठन

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल स्थित मंत्रालय में सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के विलय की स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का विलय कर 'लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग' के रूप में पुनर्गठित किया जायेगा। मेडिकल कॉलेज रुटीन चिकित्सा सेवाएं देने की बजाय अति गंभीर तथा विशिष्ट उपचार चिकित्सा शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित कर सकेंगे। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर की प्रभावी निगरानी हो सकेगी। मेडिकल कॉलेजों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का स्वास्थ्य केन्द्रों में उपयोग किया जा सकेगा। मेडिकल कॉलेजों से जिला चिकित्सालयों को संबद्ध करना आसान हो जाएगा। स्वास्थ्य नीति और विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं नियंत्रण में सुविधा मिलेगी। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप में दोनों विभागों के विलय की अनुशंसा की गई थी। मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गए अन्य निर्णय इस प्रकार हैं :-

- मंत्रिपरिषद द्वारा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 के प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी आदि में पाठ्यक्रम संचालित करता है।
- नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थाओं और छात्र-छात्राओं की संख्या में वृद्धि को देखते हुए आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को नर्सिंग एवं पैरामेडिकल को छोड़कर अन्य विषयों के पाठ्यक्रम संचालित करने का दायित्व दिया जायेगा।
- नर्सिंग एवं पैरामेडिकल विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित अन्य विश्व विद्यालयों के माध्यम से किया जायेगा।
- मंत्रिपरिषद द्वारा अशोकनगर की तहसील मुंगावली में बेतवा नदी पर 87 करोड़ 25 लाख रुपये लागत की मल्हारगढ़ उद्वहन सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी है। परियोजना से मुंगावली तहसील के 26 ग्रामों के 7500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी।
- मंत्रिपरिषद ने रतलाम जिले में पेयजल आपूर्ति विस्तारित करने के लिए माही एवं मझोडिया समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत तलावड़ा बैराज (बांध) लागत रुपये 264 करोड़ 1 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत परियोजना से रतलाम जिले के 1011 ग्राम लाभान्वित होंगे। इसका निर्माण एवं रखरखाव जल संसाधन विभाग द्वारा किया जायेगा।
- मंत्रिपरिषद ने जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन के लिए संसद को भेजे जाने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। कानून में जल प्रदूषण से जुड़े छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और जुर्माने का प्रावधान करने जैसे संशोधन प्रस्तावित हैं।
- मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में 1-1 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित करने की स्वीकृति दी है। प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित किए जाएंगे। चयनित महाविद्यालयों में अतिरिक्त 1845 शैक्षणिक पदों तथा 387 अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गयी है। इसके लिए कुल 485 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गयी।
- मंत्रिपरिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षकों तथा कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने एवं 206 करोड़ 80 लाख रुपये के अनुमानित व्यय का अनुमोदन दिया गया है।
- मंत्रिपरिषद द्वारा मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अध्यादेश, 2024 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

आफुआ असांतेवा

घाना की कलाकार ने 127 घंटे गाकर रिकॉर्ड बनाया

अफ्रीकी देश घाना की पत्रकार और महिला अधिकार कार्यकर्ता आफुआ असांतेवा ओवूसू आइडुओनम ने 126 घंटे 52 मिनट लगातार गाने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारतीय गायक सुनील वाघमारे के नाम था। उन्होंने 2012 में लगातार 105 घंटे गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है।

लाल चींटी की चटनी

जीआई टैग मिला

ओडिशा की लाल चींटी की चटनी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग दिया गया है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी लाल चींटी की चटनी बड़े चाव से बनाई और खायी जाती है। इस चटनी को चापड़ा कहा जाता है। लाल चींटियों को लहसुन और हरी मिर्च के साथ पीसा जाता है। इनमें प्रोटीन के साथ कई औषधीय गुण मौजूद हैं। इसमें मौजूद फॉर्मिक एसिड पेट की कई बीमारियों से बचाव करता है। चटनी को मुख्य रूप से ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में खाया जाता है।

पंकज त्रिपाठी ने

चुनाव आयोग के नेशनल आइकन पद से दिया इस्तीफा

एक्टर पंकज त्रिपाठी ने चुनाव आयोग के नेशनल आइकन के पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि पंकज ने अपनी रजामंदी से यह पद छोड़ा है। दरअसल चुनाव आयोग लोगों को मतदान के लिये जागरूक करने के लिये सिनेमा के मशहूर सेलिब्रिटीज को नेशनल आइकन या ब्रांड एंबेसडर के तौर पर अपॉइंट करता है। ऐसे में पंकज को अक्टूबर 22 में नेशनल आइकन के रूप में चुना गया था।

गोलरिज घाहरमन

न्यूजीलैंड की सांसद पर लगा चोरी का आरोप

न्यूजीलैंड की सांसद गोलरिज घाहरमन ने चोरी के कई आरोप लगने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ग्रीन पार्टी की सांसद ने कपड़े की दो दुकानों में तीन बार ड्रेसेज चोरी की। इनमें से एक चोरी ऑकलैंड में हुई और बाकी वेलिंगटन की दुकान में की गई। पकड़ाई आने के बाद घाहरमन ने कहा कि काम के तनाव की वजह से वो यह अजीबोगरीब चोरी कर बैठीं। उन्होंने अपने कृत्य के लिये माफी मांगते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों की वकील रह चुकीं गोलरिज ने साल 2017 में न्यूजीलैंड सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी।

ब्राजील में

4 किडनी के साथ पैदा हुई बच्ची

ब्राजील के ब्रासीलिया में सी-सेक्शन से समय से पहले 2022 में जन्मी बच्ची आइसिस एलोआ फरेरा की 4 किडनी हैं। यह जानकारी अब सामने आई है। इस स्थिति को डुप्लेक्स किडनी या सुपरन्यूमरी किडनी कहते हैं। ब्रासीलिया के रीजनल डी सोब्राडिन्हो अस्पताल में थालिया सिल्वा अल्वेस ने 21 वर्ष की उम्र में इस बच्ची को जन्म दिया। हाल ही में जब बच्ची बीमार हुई और अस्पताल में भर्ती हुई तब जांच में पता चला कि उसके शरीर में 2 की बजाय 4 किडनी हैं।

नरगिस मोहम्मदी

नोबेल पुरस्कार विजेता की सजा बढ़ी

ईरान की एक अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को अतिरिक्त 15 महीने की सजा सुनाई है। यह सजा देश के खिलाफ अफवाह फैलाने के आरोप में दी गई है। इस दौरान मोहम्मदी ने कोर्ट में उपस्थित होने से इंकार कर दिया था। फैसले में कहा गया कि अपनी सजा पूरी करने के बाद दो साल के लिये मोहम्मदी की विदेश यात्रा पर भी प्रतिबंध रहेगा।

शील वर्धन सिंह

सीआईएसएफ के पूर्व चीफ यूपीएससी सदस्य बने

केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के पूर्व डीजी 1986 बैच के आईपीएस अफसर शील वर्धन सिंह को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का सदस्य नियुक्त किया है। उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा में 37 वर्षों की विशिष्ट सेवा दी है। इनके पास खुफिया विशेषज्ञ, वैश्विक सुरक्षा परिदृश्यों और आंतरिक सुरक्षा में रणनीतिक सोच और विशेषज्ञता का अच्छा अनुभव है।

प्रीशा चक्रवर्ती

दुनिया के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शामिल

अमेरिका में रहने वाली 9 साल की भारतवंशी प्रीशा चक्रवर्ती दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की लिस्ट में शामिल हो गयी हैं। उन्हें यह सम्मान जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ (सीटीवाई) ने दिया है। प्रीशा कैलिफोर्निया वॉर्मस्प्रिंग एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती हैं। सीटीवाई ने 2023-24 सत्र में अपने प्रोग्राम में 90 देशों के 16 हजार बच्चों का टेस्ट लिया था। प्रीशा ने हाईस्कूल और कॉलेज लेवल के कई टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दी।

फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक

डेनमार्क के किंग बने

डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक डेनमार्क के नये किंग बन गये हैं। महारानी मार्ग्रेथ द्वितीय ने आधिकारिक तौर पर पद छोड़ने के बाद अपने बेटे फ्रेडरिक को राजगद्दी सौंप दी। इस दौरान राजधानी कोपेनहेगन की सड़कों पर लाखों लोग जमा हो गये। एक रिपोर्ट के मुताबिक महारानी के त्याग पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद फ्रेडरिक को राजा बनाये जाने की घोषणा की गयी। इस दौरान किंग फ्रेडरिक को सैल्यूट ऑफ ऑनर के साथ 3 बार 27 तोपों की सलामी दी गयी।

जापान

स्नाइपर मिशन चंद्रमा की सतह पर उतरा

जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने चांद की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक उतार दिया है। इस यान को मून स्नाइपर नाम दिया गया है। अब जापान, अमेरिका, रूस, चीन और भारत के बाद पांचवा देश है जो चांद की सतह पर पहुंचा है। लैंडर के सोलर पैनल को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है। लैंडिंग के बाद स्लिम चांद की सतह पर मौजूद ओलिवीन पत्थरों की जांच करेगा ताकि चांद की उत्पत्ति का पता लग सके। इसके साथ कोई रोवर नहीं भेजा गया है। इसे 6 सितम्बर 2023 की सुबह भेजा गया था।

यूएई के

राष्ट्रपति का परिवार दुनिया का सबसे अमीर परिवार

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का परिवार 2023 में दुनिया का सबसे अमीर परिवार बन गया है। जीक्यू की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इस परिवार के मुखिया हैं। उनके 18 भाई और 11 बहनें हैं। अल नाहयान के 9 बच्चे और 18 पोते-पोतियां भी हैं। परिवार के पास 305 बिलियन डॉलर (25,38,667 करोड़ रुपये) की संपत्ति है। वॉलमार्ट आईएनसी को पीछे छोड़ते हुए 2023 में अल नाहयान दुनिया का सबसे अमीर परिवार बना।

लाई चिंग ते ने

ताइवान का राष्ट्रपति चुनाव जीता

ताइवान की सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (डीपीपी) के नेता लाई चिंग ते ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। लाइ चिंग और उनकी पार्टी डीपीपी को चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है। चीन ने चुनाव से पहले ही लाई चिंग को अलगाववादी घोषित कर दिया था। चीन ने ताइवान की जनता से दो टूक कहा था कि अगर वे सैन्य संघर्ष की स्थिति से बचना चाहते हैं तो उन्हें सही विकल्प चुनना होगा।

उत्सव गोरू जुदाई

नेपाल के नुवाकोट में हुआ शुरू

नेपाल के नुवाकोट में वार्षिक बुल फाइटिंग उत्सव का आयोजन किया गया। यह एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है जो चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने माघ के पहले दिन होती है। इस त्योहार को गोरू जुदाई या बुल फाइटिंग के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार संगीत और नृत्य के साथ होता है। यह ग्रामीणों के द्वारा राजा का स्वागत करने का तरीका है। इसमें बारी-बारी से कूबड़ वाले बैल अनुभवी पशुपालकों द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और अपनी ताकत साबित करने के लिये 45 मिनट तक लड़ते हैं।

दलजीत सिंह चौधरी

एसएसबी के महानिदेशक बने

केन्द्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। सरकार ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 30 नवम्बर 2025 यानी उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि तक नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ज्ञात रहे कि एसएसबी नेपाल और भूटान के साथ लगी भारत की सीमाओं की रक्षा करती है।

तांग शुआंगमिंग

चाइना एवरब्राइट ग्रुप के अध्यक्ष हुए गिरफ्तार

सरकारी स्वामित्व वाले चीन के बैंक चाइना एवरब्राइट ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष 69 वर्षीय तांग शुआंगमिंग को गबन और रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। तांग 2017 में सेवानिवृत्त हुए थे। चाइना एवरब्राइट ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति से पहले तांग 2003 से 2007 तक चीन बैंकिंग नियामक आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। तांग को जनवरी महीने की शुरुआत में अनुशासन और कानूनों के उल्लंघन पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।

एयरफोर्स पायलट

मैडिसन मार्श बनीं मिस अमेरिका

अमेरिकी एयरफोर्स की महिला पायलट 22 वर्ष की मैडिसन मार्श ने मिस अमेरिका प्रतियोगिता जीत ली है। मैडिसन की 2023 में अमेरिकी वायु सेना अधिकारी के रूप में नियुक्ति हुई थी। इससे पहले उन्होंने मिस कोलोराडो का खिताब भी जीता था।

डोंग जून

चीन के रक्षा मंत्री बने

चीन ने ली शांगफू को बर्खास्त करने के बाद डोंग जून को अपना नया रक्षामंत्री बनाए जाने की घोषणा की है। बीजिंग में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति की बैठक में चीन के शीर्ष लेजिस्लेटर ने डोंग जून को रक्षा मंत्री बनाए जाने के फैसले की पुष्टि भी की है। 62 वर्षीय डोंग जून नौसेना के पूर्व कमांडर हैं।

तरनजीत सिंह संधू

अमेरिका में भारत के राजदूत रिटायर हुए

अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू सेवानिवृत्त हो गये हैं। 35 साल का शानदार सफर पूरा करने पर संधू के सम्मान में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में रिसेप्शन था, जिसमें व्हाइट हाउस के कई अधिकारी शामिल हुए।

वाइस एडमिरल वी. श्रीनिवास

दक्षिणी नेवी की कमान संभाली

वाइस एडमिरल वी. श्रीनिवास ने दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने वाइस एडमिरल एम.ए. हम्पीहोली का स्थान लिया है, वे नौसेना में चार दशक के कैरियर के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। श्रीनिवास वर्ष 1987 में नौसेना में शामिल हुए, वे पनडुब्बी-रोधी युद्ध के विशेषज्ञ हैं।

स्मृति शेष

प्रख्यात शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन

प्रख्यात शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का 92 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। किराना घराने की अत्रे को भारत सरकार ने तीनों पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया था। वे गायिका, संगीतकार, लेखिका भी थीं।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

(पृष्ठ 14 का शेष)

रिक्तियों की संख्या									
अना	अपिव	अजा	अजजा	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीडब्ल्यूबीडी* (सहित)			
						श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)	श्रेणी (डी एवं ई)
01	00	00	00	00	01	00	00	00	01

यह पद उपयोगकर्ता विभाग के पत्र क्रमांक डी-10 दिनांक 10/04/2023 के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी (ए) बी, एलवी (बी) एचएच (सी) ओए, बीए, ओएल, बीबीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (डी) एसएलडी, एमआई (ई) एमडी (ए) से (डी) के लिए उपयुक्त पाया गया है.

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी (गृह विज्ञान). या ii. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी (गृह विज्ञान), बी.एड., बशर्ते कि शिक्षक ने लगातार तीन ग्रीष्मकालीन संस्थानों या एक साल के शाम के पाठ्यक्रम के माध्यम से गृह विज्ञान में एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम संतोषजनक ढंग से किया हो.
	वांछनीय	शून्य
अनुभव	अनिवार्य	शून्य
	वांछनीय	शून्य
वेतनमान	47,600-1,51,100/- रु. (वेतन स्तर-8), समूह : 'बी' (अलिपिकीय, अराजपत्रित).	
आयु सीमा	36 वर्ष से कम. (सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों के मामले में छूट) इस विज्ञापन के पैरा-8 (सारणीबद्ध-श्रेणी-वार) के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. **समान विभाग के संविदा कर्मचारी :** सेवा विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी ओएम सं. एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 दिनांक 11/06/2019 के अनुसार समान विभाग के संविदा कर्मचारी के रूप में बिताए गए वास्तविक समय तक अधिकतम 5 वर्षों के अधीन, ऊपरी आयु में एक बार की छूट, बशर्ते कि उन्होंने विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्य दिवसों के लिए काम किया हो. **(अनुलग्नक-I).**	

*** बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षित रिक्तियों की श्रेणियों का विवरण इस प्रकार है :-**

श्रेणी (ए) :- अंधापन (बी) और कम दृष्टि (एलवी).

श्रेणी (बी) :- बधिर (डी) और सुनने में कठिनाई (एचएच).

श्रेणी (सी) :- सेरेब्रल पाल्सी (सीपी), कुष्ठ रोग से ठीक (एलसी), बौनापन (डीडब्ल्यू), एसिड अटैक पीड़ित (एएवी) और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (एमडीवाई) सहित लोकोमोटर दिव्यांगता.

श्रेणी (डी) :- ऑटिज्म्ड बौद्धिक दिव्यांगता (आईडी), विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता (एसएलडी) और मानसिक बीमारी (एमआई).

श्रेणी (ई) :- खंड (ए) से (डी) के तहत बहरे-अंधत्व सहित व्यक्तियों में से एकाधिक दिव्यांगता (एमडी).

दिव्यांग श्रेणी के संक्षिप्त रूप : बी = दृष्टिहीन, एलवी = कम दृष्टि डी = बहरा, एचएच = सुनने में कठिनाई, ओए = एक हाथ, ओएल = एक पैर, बीए = दोनों हाथ, बीएल = दोनों पैर, ओएएल = एक हाथ और एक पैर, बीबीएलओए = दोनों पैर और एक हाथ, बीएलए = दोनों पैर भुजाएं, सीपी = सेरेब्रल पाल्सी, एलसी = ठीक हुआ कुष्ठ रोग, डीडब्ल्यू = बौनापन, एएवी = एसिड अटैक पीड़ित, एमडीवाई = मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एएसडी = ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एम = हल्का), एमओडी = मध्यम), आईडी = बौद्धिक दिव्यांगता, एसएलडी = विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता, एमआई = मानसिक बीमारी, एमडी = एकाधिक दिव्यांगता.

1. **पात्रता मानदंड :**

(i) उम्मीदवार, भारत का नागरिक होना चाहिए.

(ii) उम्मीदवार जिस पद के लिए आवेदन करना चाहता है, उसके लिए उपयोगकर्ता विभाग द्वारा सूचित भर्ती नियमों के अनुसार आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के मामले में योग्य होना चाहिए.

(iii) विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता, आयु, अनुभव आदि 07/02/2024 के अनुसार निर्धारित होंगे.

2. **आवेदन कैसे करें :**

1. ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह डीएसएसएसबी के पोर्टल यानी **https://dsssbonline.nic.in** पर पंजीकृत है. पंजीकरण के निर्देश बोर्ड की वेबसाइट **(अनुलग्नक-II)** पर उपलब्ध हैं. डीएसएसएसबी के साथ पंजीकरण एक बार की प्रक्रिया है. जब भी कोई उम्मीदवार डीएसएसएसबी द्वारा सूचित पदों की परीक्षाओं के लिए आवेदन कर रहा हो तो पंजीकरण के बाद जेनरेट यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग लॉग-इन करने के लिए किया जाना चाहिए. डीएसएसएसबी द्वारा आयोजित प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है. यदि कोई आवेदक एकाधिक पंजीकरण जमा करता है और परीक्षा (किसी भी चरण में) में एक से अधिक बार उपस्थित होता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे बोर्ड की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा.
2. **योग्य उम्मीदवार 09/01/2024 से 07/02/2024 तक (रात 11:59 बजे तक) से वेबसाइट https://dsssbonline.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद लिंक अक्षम हो जाएगा.**
3. उम्मीदवारों को संबंधित पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए.
4. उम्मीदवारों को अपना आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा करना होगा. आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा. किसी अन्य माध्यम से यानी डाक से/ हाथों-हाथ/मेल आदि से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे. इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.
5. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 09/01/2024 है. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 07/02/2024 (रात 11:59 बजे) है.
6. अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम तिथि तक इंतजार न करें. डीएसएसएसबी अपने नियंत्रण से बाहर बताए गए किसी भी कारण से उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा में अपने आवेदन जमा नहीं कर पाएंगे, इसके लिए डीएसएसएसबी जिम्मेदार नहीं होगा.
7. ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवारों को यह जांचना और सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रत्येक हिस्से में सही विवरण भरा है. एक बार ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद, किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन/सुधार/संशोधन (श्रेणी परिवर्तन सहित) के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी. इस संबंध में पोस्ट, फैक्स, ईमेल, हाथों-हाथ आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा. आवेदन पत्र के डेटा और उनके द्वारा भुगतान किए गए शुल्क में किसी भी गलती के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होंगे.

3. **आवेदन शुल्क और भुगतान का तरीका :**
100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)

ए) महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूबीडी और पूर्व-सैनिक श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है.

बी) पूर्व-सैनिक, जिन्होंने अपने पुनः रोजगार के लिए पूर्व-सैनिकों को दिए गए आरक्षण का लाभ लेने के बाद नियमित आधार पर केंद्र सरकार/एनसीटी दिल्ली सरकार या उसके स्वायत्त/स्थानीय निकायों के तहत सिविल में रोज़गार प्राप्त कर लिया है, वे शुल्क रियायत के लिए पात्र नहीं हैं.

सी) अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित शुल्क का भुगतान केवल एसबीआई ई-पे के माध्यम से करना चाहिए. भुगतान के अन्य तरीकों पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों का आवेदन सीधे खारिज कर दिया जाएगा और किया गया भुगतान जब्त कर लिया जाएगा.

डी) एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा.

4. **परीक्षा योजना :**

डीएसएसएसबी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पद के लिए वन टियर परीक्षा यानी टियर-I आयोजित करेगा. टियर-I (I टियर-तकनीकी/शिक्षण) के लिए परीक्षा योजना नीचे दी गई है :-

टियर-I (I टियर-तकनीकी /शिक्षण)

परीक्षा कोड	परीक्षा अवधि	कुल प्रश्न (एमसीक्यू)	कुल अंक (एमसीक्यू)	कुल अंक (विवरण)	कुल योग	पाठ्यक्रम
आईटी-टी एक स्तर (तकनीकी/ शिक्षण) पोस्ट कोड 804/23 से 816/23 तक	3 घंटे	300	300	अनुपलब्ध	300	**अनुभाग-I :-** एक-एक अंक के एमसीक्यू 1. मानसिक योग्यता एवं तर्क क्षमता 2. सामान्य जागरूकता 3. अंग्रेजी भाषा और समझ 4. हिंदी भाषा और समझ 5. संख्यात्मक योग्यता और डेटा व्याख्या **कुल : 100 अंक (प्रत्येक 20 अंक)** **खण्ड -II:-** पद के लिए आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता और शिक्षण पद्धति से संबंधित एमसीक्यू. **(200 प्रश्न)(200 अंक)**

(i) परीक्षा में प्रश्न द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) होंगे, भाषा के प्रश्नपत्रों को छोड़कर, जो केवल संबंधित भाषा में होंगे.

(ii) डीएसएसएसबी के पास परीक्षा से पहले किसी भी समय, यदि आवश्यक हो, परीक्षा योजना में बदलाव/संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है.

(iii) लिखित परीक्षा (उद्देश्य) के लिए न्यूनतम अर्हक अंक नीचे पैरा 6 के उप-पैरा **IV** में दिए गए हैं.

(iv) तकनीकी/शिक्षण पोस्ट कोड 804/23 से 816/23 के आवेदकों के लिए, टियर-I परीक्षाओं में अनिवार्य न्यूनतम योग्यता अंक केवल अनुभाग-बी में लागू होंगे, जो डोमेन विषय विशिष्ट है. सेक्शन-ए में कोई न्यूनतम योग्यता अंक नहीं होंगे. हालांकि, अंतिम मैरिट सूची तैयार करने के लिए सेक्शन-ए और सेक्शन-बी दोनों के संयुक्त कुल अंकों की गणना की जाएगी.

(v) टियर-I परीक्षा का मूल्यांकन अनुभाग ए और बी के संचयी अंकों के आधार पर किया जाएगा.

(vi) डीएसएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संबंध में उत्तर पुस्तिकाओं/उत्तर लिपियों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं है. इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.

(vii) डीएसएसएसबी के पास प्रश्न पत्र से किसी भी प्रश्न को रद्द करने/वापस लेने/हटाने का अधिकार सुरक्षित है और प्राप्त अंकों को अधिकतम अंकों के अनुपात में जोड़ा जाएगा.

(viii) नकारात्मक अंकन लागू होगा और प्रत्येक गलत बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाएगी.

(ix) रोज़गार की आवश्यकता के अनुसार कौशल परीक्षण/सहनशीलता परीक्षण लिया जाएगा.

5. पद के लिए प्राथमिकताएं :

शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (विभिन्न विषय), व्याख्याता (विभिन्न विषय) के पद के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली/स्वायत्त/स्थानीय निकाय. सरकारी विभागों के संबंध में पद के लिए उम्मीदवारों की विस्तृत प्राथमिकता. दिल्ली के एनसीटी का ई-डोजियर ऑनलाइन मंगाने के समय लिया जाएगा. यदि कोई उम्मीदवार अपनी प्राथमिकता का उपयोग नहीं करता है, तो उसके चयन के मामले में विभाग का आवंटन बोर्ड द्वारा अपने विवेक से उस विभाग में किया जाएगा, जिसके लिए उम्मीदवार आरआर के अनुसार योग्य पाया जाता है और ऐसा निर्णय अंतिम होगा. ई-डोजियर की ऑनलाइन कॉलिंग के समय एक बार पुष्टि हो जाने पर प्राथमिकताओं को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को वरीयता का प्रयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए.

6. चयन का तरीका :

i. कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को डीएसएसएसबी द्वारा नोटिस संख्या 10 (271)/सेक्शन-सेल / डीएसएसएसबी/18/989 दिनांक 11.07.2018 **(अनुलग्नक-III)** के माध्यम से प्रकाशित फॉर्मूले का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा (यदि आवश्यक हो) और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग अंतिम योग्यता और चयन निर्धारित करने के लिए किया जाएगा.

ii. यदि परीक्षा में आने वाले किसी भी प्रश्न को अमान्य माना जाता है, तो उन प्रश्नों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों की गणना आनुपातिक आधार पर (अधिकतम अंकों में से) की जाएगी.

iii. कंप्यूटर आधारित परीक्षा की ड्राफ्ट उत्तर कुंजी परीक्षा के बाद डीएसएसएसबी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी. उम्मीदवार उत्तर कुंजी के मसौदे को देख सकते हैं और बोर्ड द्वारा दी गई निर्धारित समय सीमा के भीतर, यदि कोई हो, ऑनलाइन आपत्तियां जमा कर सकते हैं. बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्राप्त उत्तर कुंजी के प्रारूप के संबंध में आपत्तियों पर विचार किया जाएगा और उत्तर कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले उनकी जांच की जाएगी. हालांकि, इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा. किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियां जैसे पत्र, आवेदन, ई-मेल आदि पर विचार नहीं किया जाएगा.

iv. बोर्ड ने, गुणात्मक चयन प्राप्त करने और उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा की भर्ती के लिए, विभिन्न श्रेणियों (अना/अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस/पी.डब्ल्यू.डी/पू.सै.) के लिए निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता अंक तय किए हैं :

सामान्य/ईडब्ल्यूएस : 40 प्रतिशत
अपिव (दिल्ली) : 35 प्रतिशत
अजा/अजजा/पीडब्ल्यूडी (पीडब्ल्यूडी) : 30 प्रतिशत
पूर्व-सैनिकों को उनकी संबंधित श्रेणियों में न्यूनतम 30 प्रतिशत की शर्त पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

v. डीएसएसएसबी के पास उम्मीदवारों की उपलब्धता के अनुसार किसी भी पद के लिए न्यूनतम कट ऑफ अंक निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित है.

नोट : विभिन्न श्रेणियों में चयन के लिए कट ऑफ अंक उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों और संबंधित श्रेणियों में रिक्तियों की संख्या के आधार पर अधिक हो सकते हैं.

vi. यदि एक ही श्रेणी में दो या दो से अधिक अभ्यर्थी हैं, जिनके परीक्षा में समान अंक हैं :

(ए) विषय विशिष्ट अनुभाग यानी सेक्शन-बी में अधिक अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार को योग्यता में उच्च स्थान पर रखा जाएगा,

(बी) ऐसे मामले में जहां ऊपर (ए) में उल्लिखित अंक भी समान हैं, आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को योग्यता में उच्च स्थान पर रखा जाएगा.

(सी) ऐसे मामले में, जहां जन्म तिथियां भी समान हैं, जिस उम्मीदवार का पहला नाम वर्णमाला क्रम (अंग्रेजी में) में पहले आता है, उसे योग्यता में ऊपर रखा जाएगा.

vii. योग्य उम्मीदवारों **टियर-II** परीक्षा में उनके प्रदर्शन, ई-डोजियर के ऑनलाइन कॉलिंग के समय उम्मीदवारों द्वारा दिए गए पदों / विभागों / स्थानीय / स्वायत्त निकायों की प्राथमिकता और भर्ती नियमों (आरआरएस) के अनुसार पद के लिए पात्रता के आधार पर एनसीटी दिल्ली सरकार के विभागों/स्थानीय/स्वायत्त निकायों का अंतिम चयन और आवंटन किया जाएगा.

viii. एक बार जब किसी उम्मीदवार को योग्यता के अनुसार पहली उपलब्ध वरीयता आवंटित कर दी जाती है, तो उसे बाद की वरीयता के लिए विचार नहीं किया जाएगा. किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवारों द्वारा पदों/विभागों में बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा. इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पदों/विभागों की प्राथमिकता बहुत सावधानी से चुनें. एक बार उम्मीदवारों द्वारा उपयोग किए गए और पुष्टि किए गए विकल्प/वरीयता को अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाएगा.

ix. पदों/विभागों का अंतिम आवंटन उम्मीदवारों के पदों/विभागों की योग्यता-सह-वरीयताओं के आधार पर किया जाएगा. एक बार पद/विभाग आवंटित हो जाने के बाद बोर्ड द्वारा पदों में किसी भी बदलाव पर न तो विचार किया जाएगा और न ही अनुमति दी जाएगी.

x. उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग तक उपयोगकर्ता विभाग द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों पर भर्ती करने के लिए विचार किया जाएगा.

xi. अजा, अजजा, अपिव, ईडब्ल्यूएस, पूर्व-सैनिक और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार, जो मानकों में ढील दिए बिना अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा. ऐसे उम्मीदवारों को समग्र योग्यता में उनकी स्थिति के अनुसार पद के लिए सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा. आरक्षित रिक्तियां पात्र अजा, अजजा, अपिव, ईडब्ल्यूएस, पूर्व-सैनिक और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों में से अलग से भरी जाएंगी और इन अजा, अजजा, अपिव, ईडब्ल्यूएस, पूर्व-सैनिक और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के विभागों की प्राथमिकताएं केवल ऐसी श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों के लिए आवंटित की जाएंगी.

xii. अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए दिव्यांग व्यक्ति को अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि पद संबंधित श्रेणी के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाया गया हो.

xiii. परीक्षा में अनंतिम चयन नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देता है, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी आवश्यक समझी जाने वाली जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

xiv. उपरोक्त रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह जिस विभाग में चयन करना चाहता है, उसके संबंध में इस संयुक्त परीक्षा के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है.

xv. परीक्षा के सभी चरणों में प्रवेश पूरी तरह से अनंतिम है, बशर्ते कि वह संबंधित विभाग के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो. यदि, परीक्षा से पहले या बाद में किसी भी समय सत्यापन पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी.

7. **आरक्षण लाभ :**

(i) आरक्षण लाभ अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी और अन्य विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/डीओपीटी, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रभावी निर्देशों/आदेशों/परिपत्रों के अनुसार उपलब्ध होगा. आरक्षण का लाभ अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस/ पीडब्ल्यूबीडी/पूर्व-सैनिक और अन्य विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार /डीओपीटी, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रभावी निर्देशों/आदेशों/परिपत्रों के अनुसार उपलब्ध होगा. पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवार को विशेष श्रेणी का चयन करना होगा. बाद के चरण में श्रेणी में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

(ii) बोर्ड विभिन्न पदों के लिए संबंधित उपयोगकर्ता विभागों द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसार उम्मीदवारों का चयन करता है. किसी भी उपयोगकर्ता विभाग की रिक्तियों की संख्या तय करने में बोर्ड की कोई भूमिका नहीं है. आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर बनाए रखना और विभिन्न श्रेणियों के बीच रिक्तियों का निर्धारण उपयोगकर्ता विभागों के क्षेत्र में आता है.

(iii) जहां भी लागू हो, किसी भी लाभ के विस्तार के लिए उम्मीदवारों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथि आवेदन की अंतिम तिथि यानी 07/02/2024 होगी. हालांकि, उपयोगकर्ता विभाग द्वारा अंतिम नियुक्ति के लिए समय-समय पर जारी नवीनतम डीओपीटी दिशानिर्देशों पर विचार किया जा सकता है.

(iv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित पत्र/आदेश संख्या एफ.19(10)/2001/ एस-III/पीटी.फाइल/2278-2285 दिनांक 27/07/2007 (अनुलग्नक-IV) और संख्या एफ.19(01) के द्वारा /2012/S-IV/1241-1258 दिनांक 28/07/2016 (अनुलग्नक-V) के अनुसार, केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (दिल्ली) के उम्मीदवारों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत आरक्षण/आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा. एनसीटी दिल्ली ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.19(02)/2011/S-IV/वॉल्यूम.1/856 दिनांक 31/05/2021 (अनुलग्नक-VI) के माध्यम से इसे सरकार के सेवा विभाग द्वारा और स्पष्ट किया गया है. अन्य पिछड़ा वर्ग (बाहरी) उम्मीदवारों को अनारक्षित उम्मीदवार माना जाएगा और उन्हें अनारक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करना होगा. अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के पास अपने जाति प्रमाणपत्र के साथ गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र होना चाहिए.

(v) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देने के लिए केवल निम्नलिखित दो प्रकार के प्रमाणपत्र वैध प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार किए जाएंगे :-

ए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य को जारी किए गए पुराने प्रमाणपत्र के आधार पर, एनसीटी दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र (दिल्ली).

बी) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में विधिवत अधिसूचित समुदाय से संबंधित व्यक्ति को दिल्ली के बाहर एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र. यह प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संबंधित व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य को जारी किया जाना चाहिए, जो 08/09/1993 से पहले दिल्ली में रह रहा था.

(vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस से संबंधित एक उम्मीदवार, जो अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लागू समान मानक पर चुना जाता है और जो संयुक्त योग्यता सूची में आता है, उसे स्वयं की योग्यता वाला उम्मीदवार माना जाता है. ऐसे अभ्यर्थी को आरक्षण रोस्टर के अनारक्षित बिंदु पर समायोजित किया जाता है. केवल ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार, जिनका चयन अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए लागू मानक के आधार पर किया गया है, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा. दूसरे शब्दों में, जब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के चयन में एक शिथिल मानक लागू किया जाता है, उदाहरण के लिए, आयु सीमा, अनुभव, योग्यता, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए प्रदान की गई सीमा से बड़ा विचार क्षेत्र आदि, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों की गणना आरक्षित रिक्तियों में की जाएगी. ऐसे उम्मीदवारों को अनारक्षित रिक्तियों के तहत विचार के लिए अनुपलब्ध माना जाएगा.

8. **आयु में छूट :**

विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुमेय छूट इस प्रकार है :

क्र.सं.	श्रेणियां	आयु रियायत की सीमा
1.	अजा/अजजा	05 वर्ष
2.	अपिव	03 वर्ष
3.	पीडब्ल्यूडी + अना/ईडब्ल्यूएस	10 वर्ष
4.	पीडब्ल्यूडी + अजा/अजजा	15 वर्ष
5.	पीडब्ल्यूडी + अपिव	13 वर्ष
6.	विभागीय उम्मीदवार यानी कम से कम तीन वर्ष की नियमित निरंतर सेवा करने वाला सरकारी कर्मचारी. (ये निर्देश केवल केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारियों और एनसीटी दिल्ली सरकार के सभी विभागों/ स्वायत्त/स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर लागू हैं)	**ग्रुप बी पद के लिए :-** ग्रुप 'बी' पद के लिए 05 वर्ष तक (जो एक ही पंक्ति या संवं) कैडर में हैं और जहां एक संबंध स्थापित किया जा सकता है कि किसी विशेष पद में सेवा पहले ही प्रदान की जा चुकी है, डीओपीटी के मानदंडों के अनुसार पद के कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए उपयोगी होगा।
7.	पूर्व-सैनिक ग्रुप बी (अराजपत्रित)	सैन्य सेवा की अवधि प्लस 3 वर्ष (अधिकतम 55 वर्ष की आयु तक)

(नोट : उपरोक्त आयु में छूट डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित की जाएगी.)

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के स्वायत्त निकायों के विभिन्न विभागों के पदों के लिए भर्ती नियमों में प्रदान की गई कोई भी विशिष्ट आयु छूट उन विशेष पदों के संबंध में लागू होगी.

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के स्वायत्त निकायों के विभिन्न विभागों के पदों के लिए भर्ती नियमों में, जहां भी यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के निर्देश के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी, यहां आयु में उपर्युक्त छूट लागू होगी.

(iii) एक पूर्व-सैनिक जिसने पहले ही केंद्र सरकार/दिल्ली सरकार के तहत रोज़गार प्राप्त कर लिया है या ग्रुप सी में इसके स्वायत्त/स्थानीय निकायों को ग्रुप सी में उच्च ग्रेड या कैडर में एक और रोज़गार हासिल करने के लिए पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, ऐसे उम्मीदवार आरक्षण के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे.

(iv) शारीरिक रूप से दिव्यांग/दिव्यांग व्यक्ति के मामले में, आयु-सीमा में छूट इस तथ्य के बावजूद लागू होगी कि पद आरक्षित है या नहीं, बशर्ते कि पद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पहचाना गया हो.

(v) यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति विभागीय कर्मचारी होने के कारण आयु में छूट का हकदार है, तो उसे 'दिव्यांग व्यक्ति' के रूप में या 'विभागीय कर्मचारी' के रूप में, जो भी अधिक लाभकारी हो, उसे उसकी रियायत स्वीकार्य होगी.

9. **अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश :**

ए.	बोर्ड परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की कोई विस्तृत जांच नहीं करता है और इसलिए, उम्मीदवारी केवल अनंतिम आधार पर स्वीकार की जाएगी. केवल संयुक्त परीक्षा के तहत आवेदन करने से उम्मीदवार ऐसे विज्ञापन में शामिल सभी संवर्गों के लिए पात्र नहीं हो जाता. उम्मीदवारों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु, अनुभव आदि की आवश्यकताओं से गुजरना होगा और खुद को संतुष्ट करना होगा कि वे पद के लिए पात्र हैं. समर्थक कागजात की प्रतियां केवल ई-डोजियर की ऑन-लाइन कॉलिंग के समय मांगी जाएंगी.
बी.	पद के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु, अनुभव और अन्य पात्रता शर्तें कट ऑफ तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएंगी.
सी.	जहां भी लागू हो, किसी भी लाभ के विस्तार के लिए उम्मीदवारों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथि आवेदन की अंतिम तिथि यानी 07/02/2024 होगी. हालांकि, उपयोगकर्ता विभाग द्वारा अंतिम नियुक्ति के लिए समय-समय पर जारी नवीनतम डीओपीटी दिशानिर्देशों पर विचार किया जा सकता है.
डी.	केवल बेंचमार्क शारीरिक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) माना जाएगा और केवल ऐसे उम्मीदवार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयु-छूट/आरक्षण के हकदार होंगे.
ई.	यदि कोई उम्मीदवार अपना आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर देता है, तो इसे केवल 'अनंतिम' आधार पर स्वीकार किया जाएगा. उम्मीदवारों को अपने रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए.
एफ.	एक उम्मीदवार को केवल एक ऑनलाइन पंजीकरण जमा करने की अनुमति है. इसलिए, उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरते समय उचित पहल करनी चाहिए. यदि किसी उम्मीदवार का एक से अधिक पंजीकरण पाया जाता है, तो ऐसे सभी पंजीकरण खारिज कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. यदि कोई उम्मीदवार एकाधिक पंजीकरण जमा करता है और परीक्षा में (किसी भी चरण में) एक से अधिक बार उपस्थित होता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे बोर्ड की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा.
जी.	परीक्षा के लिए एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है. इसलिए, उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उचित परिश्रम करना चाहिए. यदि किसी उम्मीदवार के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो ऐसे सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और परीक्षा में (किसी भी स्तर पर) एक से अधिक बार उपस्थित होता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे बोर्ड की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा.

एच.	उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे हालिया और स्पष्ट फोटोग्राफ अपलोड करें. धुंधले/अस्पष्ट फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे.
आई.	एक बार जमा करने के बाद श्रेणी परिवर्तन सहित आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा. डाक द्वारा/फैक्स/ईमेल/हाथों-हाथ आदि के माध्यम से प्राप्त ऐसे अनुरोधों पर न तो विचार किया जाएगा और न ही कोई पत्राचार किया जाएगा.
जे.	उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल पता और मोबाइल नंबर भरना होगा ताकि बोर्ड से कोई भी संवाद उम्मीदवार को ठीक से प्राप्त हो सके. इसके अलावा, उम्मीदवार को अपडेट प्राप्त करने के लिए नियमित आधार पर बोर्ड की वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है. ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भेजे गए संवाद अतिरिक्त सुविधाएं हैं. इस संबंध में उम्मीदवार की ओर से किसी भी चूक के लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा.
के.	किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/मनगढ़ंत आवेदन/पंजीकरण के मामले में, ऐसे उम्मीदवार/साइबर कैफे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और साइबर/आईटी अधिनियम के तहत उचित कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा.

10. उम्मीदवारों के लिए सामान्य निर्देश :

(i) बोर्ड विभिन्न पदों के लिए उपयोगकर्ता विभाग द्वारा सूचित रिक्तियों के अनुसार उम्मीदवारों का चयन करता है. किसी भी उपयोगकर्ता विभाग की रिक्तियों की संख्या तय करने में बोर्ड की कोई भूमिका नहीं होती है. विज्ञापित रिक्तियां अलग-अलग (वृद्धि या कमी) के लिए उत्तरदायी हैं. यदि उपयोगकर्ता विभाग द्वारा रिक्ति की स्थिति को किसी भी संख्या में या शून्य तक कम कर दिया जाता है, तो बोर्ड किसी भी परिणामी क्षति/नुकसान के लिए आवेदक को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है.

(ii) आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर बनाए रखना, विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों की पहचान करना और विभिन्न बेंचमार्क दिव्यांगताओं के लिए पदों की उपयुक्तता की पहचान करना उपयोगकर्ता विभागों के अधिकार क्षेत्र में है. बोर्ड अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडी-III दिनांक 04.01.2021 के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांग व्यक्ति (दिव्यांगजन), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या विशिष्ट पदों के लिए उपयोगकर्ता विभागों द्वारा पहचाने गए और सूचित किए गए विभिन्न बेंचमार्क दिव्यांगताओं के लिए पदों की उपयुक्तता पर विचार करेगा.

(iii) डीएसएसएसबी के पास किसी भी स्तर पर विज्ञापन या उसके हिस्से को रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है.

(vi) परीक्षा आयोजित करने के केंद्र केवल दिल्ली/एनसीआर में होंगे.

(v) बोर्ड प्रशासनिक कारणों से और बोर्ड द्वारा नोटिस किए गए अनुचित साधनों, धोखाधड़ी या अन्य अनियमितताओं/ कदाचार के मामले में परीक्षा की एक भाग या पूरी प्रक्रिया या उसके एक हिस्से को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. यदि आवश्यक हो तो बोर्ड एक नए परीक्षा केंद्र को रद्द करने या स्थापित करने और उम्मीदवारों को एक विशेष परीक्षा केंद्र से दूसरे परीक्षा केंद्र में स्थानांतरित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है. बोर्ड किसी भी केंद्र के उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केंद्र पर निर्देशित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है. किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की तारीख, समय और केंद्र में बदलाव का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा.

(vi) विज्ञापन के प्रकाशन में किसी भी अनजानी त्रुटि के मामले में, अंतिम परिणाम संबंधित पद के भर्ती नियमों, डीओपीटी दिशानिर्देशों, बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा योजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और भारत सरकार के किसी भी अन्य प्रचलित दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार किया जाएगा.

(vii) यदि आवश्यक हो तो बोर्ड परीक्षा से पहले किसी भी समय परीक्षा योजना में बदलाव या संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

(viii) परीक्षा के लिए उम्मीदवार की उम्मीदवारी पूरी तरह से अनंतिम है और किसी भी न्यायालय के किसी निर्देश/निर्णय/आदेश/घोषणा के परिणाम के अधीन है और केवल प्रवेश पत्र जारी करना या परीक्षा में उपस्थित होना उसे पद के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं बनाता है.

(ix) **प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों को निम्नानुसार दर्शाया गया है :**
ईडब्ल्यूएस- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, **पू.सै.-** पूर्व-सैनिक, **अना-** अनारक्षित (सामान्य), **अजा-** अनुसूचित जाति, **अजजा-** अनुसूचित जनजाति, **अपिव-** अन्य पिछड़ा वर्ग.

(x) कैलकुलेटर, लैपटॉप, पामटॉप, अन्य डिजिटल उपकरण/मोबाइल/सेल फोन, पेजर/इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां और किसी भी धातु की वस्तु आदि के उपयोग की अनुमति नहीं है. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त कोई भी गैजेट परीक्षा केंद्र में न लाएं, क्योंकि केंद्रों पर इन वस्तुओं को रखने या सुरक्षा की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी.

(xi) यदि कोई भी उम्मीदवार किसी भी गैजेट/उपकरण के साथ पकड़ा/पाया जाता है, तो उसे परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा और उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी शुरू की जाएगी.

(xii) उम्मीदवारों को डीएसएसएसबी परीक्षा में उपस्थित होने के दौरान निम्नलिखित ड्रेस कोड का पालन करने का निर्देश दिया जाता है :
(ए) सलवार/पतलून के साथ आधी आस्तीन वाले हल्के कपड़े, जिनमें बड़े बटन, ब्रोच/बैज, फूल आदि न हों.
(बी) चप्पल, कम एड़ी वाले सैंडल/ जूतों की अनुमति नहीं है.

(xiii) यदि विज्ञापन/सूचना में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और पंजाबी संस्करण में कोई विसंगति है, तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा.

11. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई :
उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें आवेदन पत्र भरते समय कोई भी गलत विवरण नहीं देना चाहिए या किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना नहीं चाहिए.

जहां भी आवश्यक हो, डीएसएसएसबी की परीक्षा से आपराधिक कार्रवाई/बहिष्कार के पूर्वाग्रह के बिना, निम्नलिखित में से किसी में भी शामिल पाए जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में भर्ती के किसी भी चरण में उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी :-

(i) परीक्षा केंद्र के परिसर के भीतर मोबाइल फोन और सहायक उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का कब्जा, चाहे उपयोग में हो या स्विच ऑफ या स्विच ऑन मोड में हो.

(ii) कदाचार में संलिप्त होना.
ए. परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों का प्रयोग करना.
बी. किसी भी माध्यम से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना.
सी. किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करना/प्रतिरूपण प्राप्त करना.
डी. मनगढ़ंत दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज जमा करना, जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है.
ई. ऐसे विवरण देना, जो गलत या गलत हों या महत्वपूर्ण जानकारी को दबाना.
एफ. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेना.
जी. परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक या बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार करना.
एच. परीक्षा हॉल से उत्तर पुस्तिका ("ऑफलाइन/ऑनलाइन/वर्णनात्मक/कौशल परीक्षण पत्रों के मामले में) अपने साथ ले जाना या परीक्षा के संचालन के दौरान इसे अनधिकृत व्यक्तियों को सौंप देना.
आई. परीक्षा के संचालन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को डराना या शारीरिक नुकसान पहुंचाना.
जे. नोटिस में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करना.
के. भर्ती के किसी भी चरण में किसी अन्य आधार पर भी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, जिसे बोर्ड उम्मीदवारी रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण मानता है.
एल. यदि कोई उम्मीदवार आपत्तिजनक/अपमानजनक/अभद्र भाषा/अश्लील तस्वीर का उपयोग करता है तो वह संबंधित अधिनियम के तहत आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा.

ऐसे मामलों में, यदि आवश्यक हो, तो बोर्ड मामले को पुलिस/जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है, जैसा उचित समझा जाए और बोर्ड संबंधित अधिकारियों/फोरेंसिक विशेषज्ञों आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है.

12. बोर्ड का निर्णय अंतिम :
पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, गलत जानकारी के लिए जुर्माना, चयन का तरीका, परीक्षा का संचालन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन और मैरिट सूची की तैयारी और पद आवंटन, डिफर्मेंट से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय कदाचार में लिप्त होने वाले उम्मीदवारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.

अस्वीकरण :- रिक्ति सूचना इंडेंटिंग विभागों से प्राप्त मांगों पर आधारित है. पदों के लिए भर्ती नियमावली में निर्धारित आवश्यक योग्यताएं दी गई हैं. किसी भी मुद्रण संबंधी त्रुटि के मामले में, भर्ती केवल भर्ती नियमावली (आरआर) के अनुसार ही होगी.

उप सचिव (पीएंडपी-I)
डीएसएसएसबी
अनुलग्नक-I

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
सेवा विभाग-(ब्रांच-IV)
7वां तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय
आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

संख्या एफ.19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 **दिनांक: 11/06/2019**

कार्यालय ज्ञापन

विषय : रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अंतर्गत कार्यरत अनुबंधात्मक कर्मचारियों को सीधी भर्ती आधार पर नियमित नियुक्ति के समय ऊपरी आयु सीमा में छूट.

अनुबंधात्मक कर्मचारियों को सीधी भर्ती के समय, एकबारगी उपाय के रूप में, ऊपरी आयु सीमा में उपयुक्त छूट देने के मुद्दे पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों, डीओपीटी निर्देशों, अपर महान्यायवादी की राय और रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग और विधि विभाग की सलाह के परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया.

2. सक्षम प्राधिकारी का सभी विभागाध्यक्षों को आदेश है कि वे भर्ती नियमों के अनुसार रिक्त पदों पर भर्ती करें और उन पदों के लिए अनुबंधित किए गए अनुबंधात्मक कर्मचारियों को, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अंतर्गत अनुबंधात्मक कर्मचारियों के संदर्भ में एक समान आधार पर अपनाए जाने वाले निम्नांकित नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान करें.

1) शिक्षण पदों पर कार्यरत अनुबंधात्मक कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में एकबारगी 5 वर्ष की छूट का पात्र समझा जाएगा. आयु में छूट की अवधि विभाग में व्यतीत किए गए सेवा के वर्षों के अधीन होगी, बशर्ते उम्मीदवार ने किसी शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 120 दिन तक काम किया हो.
2) अन्य प्रशासनिक पदों पर कार्यरत अनुबंधात्मक कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में एकबारगी 5 वर्ष की छूट का पात्र समझा जाएगा. आयु में छूट की अवधि विभाग में व्यतीत किए गए सेवा के वर्षों के अधीन होगी, बशर्ते उम्मीदवार ने किसी शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 180 दिन तक काम किया हो.
3) अनुबंध के आधार पर कार्यरत केवल उन कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट का पात्र समझा जाएगा, जो सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने के समय सेवारत होंगे.
4) अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट का पात्र केवल उस विभाग में समझा जाएगा, जिसमें कार्यरत हैं.
5) अनुबंध के आधार पर कार्यरत ऐसे कर्मचारी, जो सम्बद्ध विभाग द्वारा ऊपरी आयु सीमा में दी गई एकबारगी छूट का लाभ ले चुके हैं, वे इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे.
6) ऐसे अनुबंधात्मक कर्मचारियों को, जिनकी सेवाएं अनुबंधात्मक रोज़गार के दौरान कार्य असंतोषजनक पाए जाने के कारण समाप्त की गई हों, ऊपरी आयु सीमा में रियायत लाभ योजना के अंतर्गत पात्र नहीं समझा जाएगा.
7) अनुबंधात्मक कर्मचारियों को उस विभाग से ''आयु छूट प्रमाणपत्र'' प्रस्तुत करना होगा, जहां वे अनुबंध के आधार पर सेवारत हैं. सम्बद्ध विभाग को उनके आवेदन पर विचार करने के बाद, ऊपर वर्णित विधि के अनुसार आयु में छूट की अवधि, जिसके लिए अनुबंधात्मक कर्मचारी छूट का पात्र हो, का उल्लेख करते हुए, स्पष्ट प्रमाणपत्र जारी करना होगा. यह प्रमाणपत्र संबद्ध विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर और मुहर के साथ जारी किया जाना चाहिए.

3. यह ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया गया है.

(एस एन मिश्रा)
विशेष सचिव (सेवाएं)

संख्या एफ. 19(11)/2015/एस-IV/1751-1756 **दिनांक: 11/06/2019**

प्रति प्रेषित :
1. सभी प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, निगम, बोर्ड, पीएसयू और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के स्वायत्त निकाय.
2. दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के मुख्य सचिव, राज निवास, दिल्ली.
3. मुख्य सचिव के स्टाफ अधिकारी, 5वां तल, ए-विंग, दिल्ली, सचिवालय, नई दिल्ली.
4. चेयर पर्सन, डीएसएसएसबी, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार.
5. अनुभाग अधिकारी (सेवाएं-समन्वय) को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सेवाएं विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें.
6. गार्ड फाइल.

(एस एन मिश्रा)
विशेष सचिव (सेवाएं)
अनुलग्नक-II

ओएआरएस पोर्टल पर नए पंजीकरण हेतु उम्मीदवारों के लिए निर्देश
(केवल उन अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने पहले ओएआरएस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है)

1. उम्मीदवारों को वेबसाइट **https://dsssbonline.nic.in** के इस्तेमाल से 'नए पंजीकरण के लिए क्लिक करें' का उपयोग करके ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है.
2. उम्मीदवारों को डीएसएसएसबी ओएआरएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म पूरा करना आवश्यक है. ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने का पूर्ण समय 30 मिनट है.
3. ऑनलाइन पंजीकरण भरना शुरू करने से पहले उम्मीदवार को अपना फोटो पहचान प्रमाण (पैन कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में इस तरह से स्कैन करना होगा कि प्रत्येक

फाइल तैयार हो, जो 15 केबी से कम नहीं और 60 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए. अभ्यर्थियों को धुंधला फोटो पहचान प्रमाण अपलोड नहीं करना चाहिए. यदि आधार नंबर पहचान प्रमाण के रूप में प्रदान किया गया है तो स्कैन किए गए आईडी प्रमाण को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है.

4. ऑनलाइन पंजीकरण डीएसएसएसबी वेबसाइट के माध्यम से 24x7 किसी भी समय किया जा सकता है.
5. आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपने ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरते समय उन्हें अपनी वैध और सक्रिय ईमेल आईडी प्रदान करनी होगी, क्योंकि डीएसएसएसबी परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उम्मीदवारों से संपर्क करते समय संचार के इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग कर सकता है. ओएआरएस पोर्टल पर पहले से पंजीकृत ईमेल आईडी स्वीकार नहीं की जाएगी.
6. उम्मीदवार को एक वैध और सक्रिय मोबाइल नंबर भी देना होगा, जिस पर वे बोर्ड से एसएमएस के माध्यम से परीक्षा संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकें. ओएआरएस पोर्टल पर पहले से पंजीकृत मोबाइल नंबर स्वीकार नहीं किया जाएगा.
7. यह अनुशंसा की जाती है कि आवेदकों को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को सत्यापित करना होगा.
8. यदि आवेदक को मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर ओटीपी प्राप्त नहीं होता है तो आवेदक मोबाइल या ईमेल पर प्राप्त केवल एक ओटीपी के साथ पंजीकरण कर सकता है.
9. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित अंतराल पर अपने ईमेल जांचते रहें.
10. यदि दसवीं कक्षा का रोल नंबर अल्फान्यूमेरिक में है तो रोल नंबर के केवल संख्यात्मक वर्णों का उपयोग करें. उदाहरण के लिए, यदि आपका रोल नंबर 12सीएससी0204 है, तो 120204 का उपयोग करें.
11. कृपया दसवीं कक्षा के रोल नंबर में शून्य दर्ज न करें/उपसर्ग शून्य न लगाएं, क्योंकि सिस्टम स्वचालित रूप से बाईं ओर से सभी अग्रणी शून्य को काट देगा, उदाहरण के लिए, यदि रोल नंबर 00123456012 है तो सिस्टम सभी अग्रणी शून्यों को काट देगा और वास्तविक रोल 12345012 ही होगा, क्योंकि दसवीं कक्षा का रोल नंबर ओएआरएस सिस्टम में सहेजा जाएगा.
12. आवेदक द्वारा दर्ज किए गए आईडी प्रमाण को शॉर्टलिस्ट किए जाने पर परीक्षा और ई-डोजियर जमा करने के समय दोबारा जांचा जाएगा. साथ ही, आवेदक द्वारा दिया गया आईडी प्रूफ एडमिट कार्ड का हिस्सा होगा.
13. **फोटो पहचान प्रमाण को ऑनलाइन स्कैन करने और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश :** उम्मीदवार को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपने फोटो पहचान प्रमाण की स्कैन की हुई (डिजिटल) छवि रखनी होगी.

ए. फोटो पहचान पत्र छवि : एक वैध फोटो पहचान पत्र होना चाहिए, जिसमें उम्मीदवार के सभी विवरण और फोटो स्पष्ट रूप से दिखाई दे.

बी. अनुमत आकार : फाइल का आकार 15 केबी + 60 केबी और न्यूनतम रिज़ॉल्यूशन (चौड़ाई ऊंचाई) के बीच होना चाहिए : पैन/डीएल के लिए 300*200 पिक्सल, वोटर कार्ड के लिए 200*300 पिक्सल और पासपोर्ट के लिए 450*350 पिक्सल.

14. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण फॉर्म का पूर्वावलोकन देख लें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके द्वारा भरे गए सभी विवरण सही हैं. पूर्वावलोकन से संतुष्ट होने पर उम्मीदवार अंततः पंजीकरण फॉर्म जमा कर सकता है, क्योंकि एक बार अंतिम रूप से जमा किए गए पंजीकरण विवरण बाद के चरणों में नहीं बदलेंगे.
15. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ओएआरएस में अपने पंजीकरण नंबर के लिए आवश्यक सही विवरण दर्ज करें. विवरण के रूप में जैसे नाम, लिंग, पिता का नाम एक बार दर्ज करने के बाद किसी भी परिस्थिति में संपादित नहीं किया जा सकता है.
16. आवेदक को ओएआरएस में केवल एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या बनानी चाहिए.
17. पंजीकरण के बाद ही आवेदक विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकता है. पंजीकरण के बाद, आवेदकों को भविष्य में ओएआरएस तक पहुंचने के लिए लॉग-इन आईडी और पासवर्ड के रूप में अपना पंजीकरण नंबर उद्धृत करना आवश्यक है.

अनुलग्नक-III

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड
एफ सी-18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, कड़कड़डूमा दिल्ली-110092

एफ. नं. 10(271)/सेक.सेल/डीएसएसएसबी/18/989 दिनांकित : 11/07/18

सूचना

जैसा कि ऑनलाइन परीक्षा को आंशिक रूप से स्थानांतरित करने के संबंध में सार्वजनिक सूचना संख्या एफ.10(271)/सेक. सेल/डीएसएसएसबी/18/718 दिनांक 31/05/2018 में उल्लेखित है, एक परीक्षा कई पालियों में आयोजित होने की स्थिति में, कठिनाई स्तर में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा. सामान्यीकरण 'विचलन विधि के आधार पर स्कोर सामान्यीकरण' सूत्र का उपयोग करके किया जाएगा जो निम्नानुसार है;

Xn=(S2/S1)*(X-Xav)+Yav

Xn	प्रत्येक उम्मीदवार के लिए सामान्यीकृत स्कोर
S2	उच्चतम औसत स्कोर वाली शिफ्ट का एसडी सामान्यीकरण के आधार के रूप में लिया गया है
S1	संबंधित बदलाव के लिए मानक विचलन (S2 तक स्केल किया जाना है)
X	उम्मीदवार का प्राकृतिक स्कोर
Xav	पारी का सरल औसत
Yav	उच्चतम औसत के साथ बदलाव के अनुरूप औसत (सामान्यीकरण के लिए आधार के रूप में लिया गया)

उप सचिव
डीएसएसएसबी
अनुलग्नक-IV

संख्या एफ 19(10)/2001/एस-III/ पार्ट फाइल/2278-2285
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
सेवा विभाग-(ब्रांच-IV)
7वां तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
दिनांक-27/7/07

सेवा में

अध्यक्ष
दिल्ली अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड,
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
यूटीसीएस बिल्डिंग, शहादरा, दिल्ली

2. सभी विभागाध्यक्ष/स्थानीय/स्वायत्त निकाय/पीएसयूज, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

विषय : रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अंतर्गत नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण.

महोदय/महोदया,

मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश है कि माननीय उप राज्यपाल ने अन्य पिछड़ा वर्ग को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अंतर्गत नौकरियों में आरक्षण का लाभ मंजूर करने के मुद्दे पर विचार किया है और घोषणा की है कि दिल्ली अपिव कोटा से संबंधित केन्द्रीय सूची और ओबीसी कमीशन द्वारा अपिव के रूप में परिभाषित तथा सरकार द्वारा अनुमोदित जातियों को दिल्ली में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा.

उपरोक्त के संदर्भ में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अंतर्गत सिविल पदों में अपिव को आरक्षण का लाभ मंजूर करने के लिए समुचित कार्यवाही की जाए.

भवदीय
(एस.पी. सिंह)
संयुक्त सचिव (सेवाएं)

संख्या एफ.19(10)/2001/एस-III/ पार्ट फाइल/2278-2285 दिनांक- 27/7/07

प्रति प्रेषित :

1. उपराज्यपाल, दिल्ली के सचिव, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार.
2. मुख्यमंत्री के सचिव, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार.
3. सचिव (विधानसभा) रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार.
4. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव का कार्यालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार.
5. अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा के सचिव, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार.
6. रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिव.
7. अधीक्षक (सेवाएं-I/II/III/IV/समन्वय अनुभाग).
8. गार्ड फाइल.

(एस.पी. सिंह)
संयुक्त सचिव (सेवाएं)
अनुलग्नक-V

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
सेवा विभाग-(ब्रांच-IV)
7वां तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय
आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

संख्या एफ.19(01)/2012/एस-IV/1241-1258 दिनांक- 28/7/2016

सेवा में

सभी विभागाध्यक्ष
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
दिल्ली/नई दिल्ली

विषय: रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अंतर्गत नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण.

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय में इस विभाग के दिनांक-27/07/2007 के परिपत्र (प्रति संलग्न) के क्रम में मुझे यह सूचित करने के निर्देश है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार ने निम्नांकित दो प्रकार के प्रमाणपत्रों को रा.रा.क्षे. दिल्लीर सरकार, के अंतर्गत सिविल पदों में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देने के लिए वैध प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार करने का निर्णय किया है :-

1) रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, के राजस्व विभाग द्वारा अपिव प्रमाणपत्र, जो रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा उम्मीदवार के परिवार के किसी सदस्य को पहले से जारी प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया हो.
2) दिल्ली से बाहर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपिव प्रमाणपत्र जो रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, द्वारा अपिव के रूप में अधिसूचित समुदाय के सदस्य को जारी किया गया हो. यह प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से संबद्ध व्यक्ति के परिवार के ऐसे सदस्य को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा जारी अपिव प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया हो, जो 08.09.1993 से पहले दिल्ली में रह रहा हो.

यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है

भवदीय
(अनुपमा चक्रवर्ती)
उप सचिव (सेवाएं)

संलग्नक: जैसा उपरोक्त

संख्या एफ. 19(01)/2012/एस-IV/1241-1258 दिनांक-28/7/2016

प्रति प्रेषित :

1. उपराज्यपाल, दिल्ली के सचिव, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार.
2. मुख्यमंत्री के सचिव, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार.
3. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव का कार्यालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार.
4. सभी मंत्रालयों के सचिव, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार.
5. अधीक्षक (सेवाएं-I/II/III, एसीपी सेल और समन्वय शाखा, दिल्ली सचिवालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार).
6. अधीक्षक (समन्वय) को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सेवाएं विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें.
7. गार्ड फाइल.

(अनुपमा चक्रवर्ती)
उप सचिव (सेवाएं)
अनुलग्नक-VI

संख्या एफ.19(02)/2011/एस IV/खोल-I/856

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
सेवा विभाग-(ब्रांच-IV)
7वां तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

दिनांक-31/05/2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अंतर्गत नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण.

इस विभाग के पत्र संख्या एफ.19(10)/2001/एस-3-III/पार्ट फाइल/2278-2285, दिनांक 27 जुलाई, 2007 और पत्र संख्या एफ.19(01)/2012/एस-4-IV/1241-1258, दिनांक 28 जुलाई 2016 (प्रति संलग्न) के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह स्पष्ट करने का निर्देश है कि: .

1) ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली के राजस्व अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार द्वारा जारी इस आशय का अपिव (दिल्ली) प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपिव के रूप में अधिसूचित जाति से संबंधित है, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में सिविल पदों पर अपिव आरक्षण के लाभ का हकदार होगा, इस तथ्य के बावजूद कि उक्त अपिव (दिल्ली) प्रमाणपत्र में संबद्ध व्यक्ति के पिता, भाई-बहन और सगे चाचा (केवल पैतृक पक्ष की ओर से) को पहले जारी किए गए प्रमाणपत्र का उल्लेख है या नहीं है.

2) ऐसा व्यक्ति भी जिसने दिल्ली से बाहर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय का अपिव प्रमाणपत्र प्राप्त किया

(शेष अगले पृष्ठ पर)

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)

5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, BHOPAL M.P. - 462 011 (GST No. 23AAATM9054A3ZX)

NOTICE INVITING TENDER No. 1168 (PMGSY-B.W.)

No./1304/22/D-12/MPRRDA/2024 **Bhopal, Dated : 23.01.2024**

Online Tenders for Construction of Rural Roads/CDs with 5 years maintenance are invited on the E-Procurement System portal **www.pmgsytenders.gov.in** as detailed below;

- **Name of Work** – Construction/Up-gradation of Rural Roads under PMGSY including maintenance for Five year after construction.

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1.	Jabalpur	1	15828000.00

1. Bid document may be purchase online from **29.01.2024 (17:30 hrs.)** and last date for online bid submission is **13.02.2024 (17:00 hrs.)**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER

M.P. Madhyam/113405/2024 **(TENDER)**

''मेरी सड़क'' एप डाउनलोड कर फीडबैक देकर राष्ट्र के विकास में सहयोग दें।

R-49401/2024

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)

Block-IInd, 5th Floor, Paryavas Bhavan, Arera Hills, Bhopal (M.P.)-462011

No./1337/22/D-12/DPR-Cons./PM-JM/MPRRDA/24

Bhopal, Date : 24.01.2024

NOTICE INVITING BIDs FOR DPR PREPARATION

(E-Procurement Notice)

Online Bids are invited from the reputed Consultants for preparation of DPR of rural roads/Bridge under PM-JM as per details given below :-

- **Nodal PIU – Anuppur, Sidhi, Balaghat-1, Mandla**

Total - Length- 657.51 km.

1. Bid document may by purchased online from **25.01.2024 (17:30 hrs.)** and last date for online bid submission is **08.02.2024 (17:30 hrs.)**
2. Other details & Conditions may be seen in the detailed NIT, Tender Document for preparation of DPR of Roads/ Bridges under PMGSY-III Sep. 2019 amended upto date available on E-Procurement System portal **https:// www.mptenders.gov.in.**

CHIEF GENERAL MANAGER

M.P. Madhyam/113414/2024 **(TENDER)**

R-49403/2024

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)

5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal (M.P.) 462011

NOTICE INVITING TENDER No. 1167 (RCPLWEA-Bridge) (Batch-I, Year 2022-23)

No./1287/22/D-12/MPRRDA/2024 **Bhopal, Dated : 23.01.2024**

Online Tenders for Construction of Bridges with 5 years defect liability & maintenance are invited on the E-Procurement System portal **https://www.pmgsytenders.gov.in.** as detailed below :

- **Name of Work -** Construction of Bridges under PMGSY including maintenance for Five year after construction.

S. No	Name of District	No. of Packages	No. of Bridge	Total PAC (In Rs.)
1.	Balaghat	1	1	50065000.00

1. **Availability of Bid Documents and mode of submission:** The bid document is available online and should be submitted online in **www.pmgsytenders.gov.in.** The bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities.
2. Bid document may be purchased online from **24.01.2024 (17:30 hrs.)** and last date for online bid submission is **09.02.2024 (17:00 hrs.)**
3. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and SBD for PMGSY Works (June-2020) on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER

M.P. Madhyam/113400/2024 **(TENDER)**

''मेरी सड़क'' एप डाउनलोड कर फीडबैक देकर राष्ट्र के विकास में सहयोग दें।

R-49398/2024

MADHYA PRADESH BUILDING DEVELOPMENT CORPORATION

(An Agency of Govt. of M.P. Public Works Department)

16-A, CEDMAP Building, Arera Hills, Bhopal (MP) - 462011

Telephone No : 0755- 4853297, 0755- 4853295

Email : einc-mpbdc@mp.gov.in, ajay.nagaria@mp.gov.in

No.PROC/MPBDC/2024/EMPANELMENT OF HOSPITAL PLANNERS/4127 Bhopal, Dated 23.01.2024

NOTIFICATION FOR EMPANELMENT OF HOSPITAL PLANNERS

The MP Building Development Corporation (MPBDC), Bhopal, invites application from Individual Experts for the Empanelment of Hospital Planners in MPBDC. Eligibility Criteria, procedure and other relevant details will be available for viewing and downloading exclusively on the **www.mpbdc.gov.in**, under the "RECRUITMENT" section, specifically for "Empanelment of Hospital Planners". This information will be accessible from **01.02.2024 (18:00 hrs) to 28.02.2024 (18:00 hrs),** which is the last date for submission of APPLICATION.

Any corrigendum or amendment to this notice will be published solely on the above mentioned website. Applicants are advised to regularly check the website for updates during the specified period.

M.P. Madhyam/113402/2024 **MANAGING DIRECTOR**

R-49399/2024

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.) 5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal, M.P.–462011 (GST No. 23AAATM9054A3ZX)

No./1307/22/D-12/NIT-Maint./2024 Bhopal, Dated : 23.01.2024

NOTICE INVITING TENDER No. 274/MTN/2024

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below :-

1. Table No. 1 : **Name of Work** : REPAIR/MAINTENANCE OF THE RURAL ROADS FOR FIVE YEARS CONSTRUCTED UNDER PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJNA. (POST 5 YEAR)

S.No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Raisen	3	9512851.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **29.01.2024 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)

M.P. Madhyam/113406/2024

'मेरी सड़क' एप डाउनलोड कर फीडबैक देकर राष्ट्र के विकास में सहयोग दें।

R-49402/2024

म.प्र. पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

कार्यालय परियोजना यंत्री, डी-5/2, एम.आय.जी. महाश्वेता नगर, इस्कॉन मंदिर के सामने, उज्जैन (म.प्र.)

E-mail : mpphcl_ujjain@yahoo.in

फोन नं. : 0734-2527715, मोबा. : 9406808103

क्र. 104/पयं/मप्रपुहाइडेकालि/24/ उज्जैन, दिनांक : 25.01.2024

निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 22/2023-24 (अल्पावधि निविदा)

मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, संभाग उज्जैन के अंतर्गत निविदा क्रमांक 22/2023-24 दिनांक 25.01.2024 के अंतर्गत सी.एम. राइज स्कूल बड़नगर, जीवाजीगंज उज्जैन एवं खाचरौद, जिला उज्जैन के ध्वस्तीकरण योग्य भवनों के ध्वस्तीकरण कार्य की ऑनलाइन निविदा आईडी क्र. 2024_MPPHC_328334, 2024_MPPHC_328335, 2024_MPPHC_328338 आमंत्रित की गई है।

निविदा प्रपत्र ऑनलाइन **दिनांक 01.02.2024, 17.00 बजे तक** प्रस्तुत किये जा सकते है। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal: https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/113441/2024 **परियोजना यंत्री**

R-49404/2024

(पिछले पृष्ठ का शेष)

हो कि वह रा.रा.से. दिल्ली सरकार, द्वारा अपिव के रूप में अधिसूचित समुदाय से संबंधित है, दिल्ली में रा.रा.से. दिल्ली सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर अपिव आरक्षण का लाभ पाने का हकदार होगा. इस प्रमाणपत्र में अनिवार्य रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि उसे जारी अपिव प्रमाणपत्र में संबद्ध व्यक्ति के पिता, भाई-बहन और सगे चाचा (केवल पैतृक पक्ष की ओर से) को पहले जारी किए गए प्रमाणपत्र का उल्लेख है, जो 08 सितम्बर, 1993 से पहले दिल्ली में रह रहा है.

यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है.

अनुलग्नक : जैसा उपरोक्त

(हरलीन कौर)

सचिव (सेवाएं)

संख्या एफ.19(02)/2011/एस IV/वोल-I/

प्रति सूचनार्थ/उपयुक्त कार्रवाई हेतु:-

1. सचिव, यूपीएससी, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली- 110069
2. चेयर पर्सन, डीएसएसएसबी, रा.रा.से. दिल्ली सरकार.
3. प्रमुख सचिव (राजस्व), विभाग, 5 शामनाथ मार्ग, दिल्ली -110054
4. सभी विभागाध्यक्ष/ स्वायत्त संगठन/ पीएसयूज़, रा.रा.से. दिल्ली सरकार, दिल्ली / नई दिल्ली.

प्रति सूचनार्थ:-

1. दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के मुख्य सचिव, राज निवास, दिल्ली.
2. माननीय मुख्य मंत्री, दिल्ली के सचिव, तीसरा तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली.
3. रा.रा.से. दिल्ली सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिव, दिल्ली, सचिवालय, नई दिल्ली.
4. मुख्य सचिव के स्टाफ अधिकारी, रा.रा.से. दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली.
5. सचिव (सेवाएं) के निजी सहायक, रा.रा.से. दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली.
6. विशेष सचिव (सेवाएं) के निजी सहायक, रा.रा.से. दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली.
7. उप सचिव (सेवाएं)-I/III, रा.रा.से. दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली.
8. सेवाएं अनुभाग की सभी शाखाओं के अनुभाग अधिकारी, रा.रा.से. दिल्ली सरकार.
9. अनुभाग अधिकारी (समन्वय), सेवाएं विभाग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सेवाएं विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें.

(हरलीन कौर)

सचिव (सेवाएं)

रो.स. 42/4

वानस्पतिक एवं औषधीय मंथन से आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का मार्ग होगा प्रशस्त

भोपाल, देश की वानस्पतिक एवं औषधीय धरोहर को तथ्यात्मक एवं प्रामाणिक दस्तावेज के साथ विश्व के समक्ष रखना है। इसके लिए हमें स्वयं के सामर्थ्य पर विश्वास का भाव जागृत करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद हमारा सामर्थ्य है, आयुर्वेद अतीत में भी विश्व मंच पर सार्वभौमिक, जनकल्याणकारी एवं विश्वसनीय रहा है और भविष्य में भी अपनी उपयोगिता सिद्ध करेगा। ये बातें उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने भोपाल स्थित पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान के रजत जयंती ऑडिटोरियम में 'भारतीय आयुर्वेदीय भेषज संहिता की समृद्धि के लिये वानस्पतिक प्रजातियों का वैज्ञानिक मूल्यांकन एवं प्रलेखीकरण' विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन समारोह के अवसर पर कहीं।

श्री परमार ने कहा कि वानस्पतिक एवं औषधीय मंथन से आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा, विमर्श प्रक्रिया का यह क्रम सतत जारी रहे। आयुर्वेद, मनुष्य को वैचारिक एवं शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रखता है। अपने आयुर्वेदीय सिद्धांतों एवं मूल्यों के एकस्व दस्तावेजीकरण (पेटेंट) के महत्व को समझने की आवश्यकता है। अपनी आयुर्वेदीय धरोहर की सुरक्षा, संरक्षण एवं उत्थान के लिए सभी की सहभागिता आवश्यक है। इस संगोष्ठी का विचार-मंथन; एकस्व दस्तावेजीकरण (पेटेंट) के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की भूमिका को विश्वपटल पर स्थापित करेगा।

STATE INSTITUTE OF AGRICULTURE EXTENSION AND TRAINING (SIAET)

Bhadbhada Road, Barkhedi Kalan, Kopal, Bhopal, Madhya Pradesh 462044

Phone : 0755-2696610, 0755-2696612, Website : https://siaet.nic.in

VACANCY ANNOUNCEMENT : WALK-IN-INTERVIEW

Applications are invited for the following position on purely contract basis on consolidated emoluments Green-AG Project under GEF to be implemented by Project Director Green-Ag and Director, Farmer Welfare and Agriculture Development Department (FW&ADD), Govt. of MP.

S. No.	Name of the Position	Number of position	Emoluments INR (per month)	Date of Walk in Interview	Place of Posting
1.	GLIU Budget & Finance Officer	01	30,000/-	07.02.2024	Block Vijaypur District SHEOPUR

Selected Candidates will be appointed and deployed in the Green-Ag Project Under GEF by Project Director Green-Ag and Director, FW&ADD, Govt. of M.P. for the duration of the Project. Please bring original copy of related testimonials & filled application form (download from the site) at the time of interview. No TA/DA will be paid for attending interview. For detailed information, please visit : **https://siaet.nic.in**

Reporting Time : 10:00 AM

Address : State Institute of Agriculture Extension & Training

Bhadbhada Road, Berkhedikalan, Bhopal - 462044 (M.P.)

M.P. Madhyam/113404/2024 **DIRECTOR, SIAET**

R-49400/2024

कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश
द्वितीय तल, सतपुड़ा भवन भोपाल

E-Mail : scholarship.ctd@mp.gov.in, Ph. No. : 0755-2575417

(विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति)

चयन वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों हेतु
''विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना''

मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-16/2003/25-2/ दिनांक 30 अगस्त 2003 में लागू एवं समय-समय पर संशोधित योजना के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजनांतर्गत ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं विदेश में स्नातकोत्तर स्तर, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान कार्यक्रमों में उच्च अध्ययन करने हेतु चुने गये अभ्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति के लिए वर्ष में स्लॉटों की कुल संख्या : 50

आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी जनजातीय कार्य विभाग की **Website : tribal.mp.gov.in** पर उपलब्ध है। योजना में अभ्यर्थियों का चयन **प्रथम आओ प्रथम पाओ** के आधार पर किया जाता है, अतः आवेदक सम्पूर्ण वर्ष में **कभी भी आवेदन कर सकता है।**

(अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार जनजातीय कार्य विभाग के पोर्टल **tribal.mp.gov.in** एवं मुख्यालय, द्वितीय तल, सतपुड़ा भवन, जनजातीय कार्य, में समक्ष में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।)

उपायुक्त
जी-23209/49393/2024 जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश

संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र.
विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष : 0755-2550909, 2550910, फैक्स : 0755-2550912
www.mpwcdmis.gov.in, icpsbhopal@gmail.com

क्रमांक/म.स./24/1710 भोपाल, दिनांक : 19.01.2024

विज्ञप्ति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधन अधिनियम, 2021) के प्रावधान अनुसार विधि का उल्लंघन करने वाले एवं देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान है। किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति जिला भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, ग्वालियर गुना, अशोकनगर, दतिया, इंदौर, खंडवा, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, डिण्डौरी, सिवनी, बैतूल, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, शहडोल, उमरिया अनूपपुर, आगर-मालवा, नीमच, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, मुरैना, भिण्ड, श्योपुर में रिक्त पदों हेतु अशासकीय व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के पद हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आयुक्त संचालनालय महिला एवं बाल विकास, विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल पिन 462011 में कार्यालयीन समय में **दिनांक 10 फरवरी 2024 तक** जमा अथवा पंजीकृत डाक/कोरिया/स्पीड पोस्ट से प्रेषित किये जा सकते हैं। ई-मेल अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को मान्य नहीं किया जायेगा। जिलों में रिक्त पदों की जानकारी आवेदन प्रारूप, अर्हताएं, पात्रता/अपात्रता की शर्तें एवं अन्य निर्देश की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट **www.mpwcdmis.gov.in** के निर्देश मेन्यू में उपलब्ध है।

आयुक्त
जी-23220/49395/2024 महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन

दूरभाष नं. :– 0734-2524462, ई-मेल : cepwdujjain@mp.nic.in

निविदा सूचना क्र. 20/सामान्य/मु.अ./2023-24/ उज्जैन, दिनांक : 17.01.2024

निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रतिशत दर के आधार पर निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र.	जिला	टेण्डर आई.डी. क्रमांक	कार्य का नाम	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)	कार्य की समयावधि
1.	आगर-मालवा	2024_PWDRB_326987_pack1	निर्माण कार्य बडागाव से गोयल मार्ग लंबाई 8.20 कि.मी. (बैलेस वर्क) (प्रथम आमंत्रण)	528.08	12 माह वर्षाकाल सहित

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय एवं ऑनलाइन बिड सबमिशन की **अंतिम दिनांक 02.02.2024 सायं 5.30 बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियंता
जी-23214/49394/2024 लोक निर्माण विभाग, उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर-466001
निविदा विज्ञप्ति क्र. 02/2023-24

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर में मासिक किराये पर 03 वर्ष के लिए निर्धारित अर्हताधारी कम्प्यूटर की सेवाएं, डेस्कटॉप, बहुउद्देशीय प्रिंटर एवं अन्य उपकरणों के साथ लिया जाना है। निविदा प्रस्तुत करने हेतु निविदा दस्तावेज, ब्याने की राशि एवं अन्य विस्तृत विवरण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर से दिनांक 29.01.2024 तक दोपहर 2.00 से पूर्व प्राप्त किये जा सकते हैं।

इच्छुक आवेदक अपना मोहरबंद प्रस्ताव **दिनांक 29.01.2024** को दोपहर 3.00 बजे तक कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर में जमा कर सकता है।

स. क्र.	कार्यालय का नाम व पता (जहां कार्य करने के लिए नियोजन होना है)	कार्यालय में वांछित कम्प्यूटर ऑपरेटर की संख्या
1.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर (म.प्र.)	01

कार्यपालन यंत्री
जी-23202/49392/2024 जल संसाधन संभाग, सीहोर (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग मुरैना
सूबात रोड, मुरैना (म.प्र.)

क्रमांक...../निविदा/नि.सू.क्र. 23/2023-24 मुरैना, दिनांक.....

निविदा विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत ठेकेदारों से मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु सड़क एवं पुल कार्यों की दर अनुसूची प्रभावशील दिनांक 25.03.2022 पर निविदा आमंत्रण सूचना जारी होने के दिनांक तक समस्त संशोधनों सहित ई-टेण्डरिंग पद्धति द्वारा ऑनलाइन निविदाएं अपेन्डिक्स 2.10 में निहित शर्तों के अनुरूप आमंत्रित की जाती हैं, जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं कार्यों का विवरण वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। वेबसाइट पर होने वाली तकनीकी समस्याओं हेतु विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

कार्य का नाम :– निर्माण कार्य 1. पी.एम.जी.एस.वाय. रोड से हरिप्रसाद का पुरा मार्ग लं. 1.00 कि.मी., 2. नावली से माता का पुरा भुआपुरा रोड से जालौनी मार्ग लं. 3.20 कि.मी., 3. पी.एम.जी.एस.वाय. रोड से स्यारू नहर मार्ग लं. 1.00 कि.मी., 4. गोगोलीहार से सकतपुर मार्ग लं. 3.00 कि.मी., 5. पी.एम.जी.एस.वाय. रोड से खेरिया हनुमान मंदिर मार्ग लं. 1.00 कि.मी., 6. प्रधानमंत्री सड़क गोपालपुरा से खेरिया-उप्रेरी का पुरा मार्ग लंबाई 3.10 कि.मी. कुल लंबाई 12.30 कि.मी.

टेण्डर आई.डी. क्र.	अनुमानित लागत (रुपयों में)	अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (रुपयों में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु.)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
2024_PWDRB_326006	63250000/- (छः करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार)	632500/-	20000/- + Portal Charges	18 माह (वर्षाकाल सहित)
योग - 01 कार्य	**63250000/- (छः करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार)**			

1. ऑनलाइन टेण्डर पब्लिश दिनांक - 15.01.2024 समय 10.30 बजे
2. निविदा प्रपत्र डाउनलोड/विक्रय प्रारंभ दिनांक - 15.01.2024 समय 10.30 बजे से
3. निविदा प्रपत्र डाउनलोड/विक्रय अंतिम दिनांक - **29.01.2024 समय 17.30 बजे तक**
4. ऑनलाइन बिड सबमिशन का प्रारंभ दिनांक - 15.01.2024 समय 10.30 बजे तक
5. ऑनलाइन बिड सबमिशन का अंतिम दिनांक - 29.01.2024 समय 17.30 बजे तक
6. बिड ओपनिंग दिनांक - 30.01.2024 समय 17.30 बजे

a. अनुबंध के पूर्व एवं अनुबंध अवधि में लेबर पंजीयन करना अनिवार्य होगा, निविदा की वैधता अवधि 120 दिवस होगी।
b. निविदा संबंधी संशोधन उसी टेण्डर में ऑनलाइन देखे जा सकेंगे, अतिरिक्त प्रेस नोट नहीं निकाला जावेगा।
c. सक्षम अधिकारी को निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
d. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान हो सकेगा।
e. निविदाएं ऑनलाइन ही प्रस्तुत की जावें, भौतिक रूप से कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जावेगा।
f. शासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त नियम एवं संशोधन प्रभावशील होंगे।

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगे। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री
जी-23168/49391/2024 लोक निर्माण विभाग संभाग मुरैना, फोन नं. - 07532-226361

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संभाग-भोपाल
माधवराव सप्रे मार्ग, (मुख्य मार्ग क्रमांक-03) भोपाल (म.प्र.) 462003

नि.आं.सू. क्र. 18/एन.एच.एम./2023-24/1656 भोपाल, दिनांक : 15.01.2024

निविदा आमंत्रण सूचना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संभाग-भोपाल की ओर से निम्नलिखित कार्य संपादित करने के लिये निविदा पोर्टल ऑनलाइन (निविदा ई-टेण्डरिंग के माध्यम) से **(www.mptenders.gov.in) (Department of Directorate of Health Servies)** स.क्र. 1 तीन लिफाफा एवं स.क्र. 2 एवं 3 दो लिफाफा पद्धति से प्रपत्र ''अ'' फार्म में परसेंटेज बेसिस पर उपयुक्त श्रेणी में पंजीबद्ध ठेकेदारों हेतु प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीआईयू लोक निर्माण विभाग भोपाल द्वारा जारी भवन एवं विद्युत कार्य हेतु एस.ओ.आर. 15.09.2022 (निविदा सूचना जारी होने तक किये गये समस्त संशोधनों सहित) दरों पर आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :

ई-निविदा सूचना क्रमांक - 18/2023-24, दिनांक 15.01.2024

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डोबी जिला सीहोर का 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन मय 02 एफ, 02 जी एवं 02 एच टाइप आवासगृहों इत्यादि में उन्नयन/निर्माण कार्य।

टेण्डर नं. 2024_DHS	अनुमानित लागत राशि (लाख में)	जमा धरोहर राशि रु.	टेण्डर दर राशि रु.	समय सीमा वर्षाकाल सहित
2024_DHS_326191	882.43	882430/-	15000/-	18 माह

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. जिला सीहोर विकासखण्ड ग्राम सेमरी में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन मय सीएचओ आवासगृह का निर्माण कार्य।

2024_DHS_326192	60.31	60310/-	10000/-	06 माह

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 3. जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल के ब्लॉक 'ए' के द्वितीय तल पर डेन्टल इकाई का निर्माण एवं विद्यमान डेन्टल इकाई में उन्नयन के सिविल एवं विद्युत कार्य।

2024_DHS_326193	45.76	50000/-	10000/-	06 माह

1. कार्य से संबंधित एन.आई.टी. वेबसाइट **(http://www.mptenders.gov.in)** पर देखी जा सकती है।
2. निविदा प्रपत्र ऑनलाइन दिनांक 17.01.2024 प्रातः **10.30 से दिनांक 29.01.2024 सायं 17.30 तक** क्रय किये जा सकते हैं।
3. धरोहर राशि स्टेट हेल्थ सोसायटी, एन.एच.एम. भोपाल के पक्ष में देय होगी।
4. एन.आई.टी. में कोई भी संशोधन होने की स्थिति में वेबसाइट **(http://www.mptenders.gov.in)** पर प्रकाशित किया जावेगा एवं समाचार पत्रों में नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
जी-23253/49396/2024 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संभाग-भोपाल

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

अधिकाधिक हितग्राहियों को दिलवाएं लाभ

रतलाम, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अपने आप में एक संपूर्ण योजना है, इसमें हितग्राही को आर्थिक उत्थान के लिए ऋण के साथ ही प्रशिक्षण, क्रेडिट सहायता तथा टूल किट जैसे लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। सभी जनप्रतिनिधि, सरपंच योजना का लाभ धरातल पर अधिक से अधिक हितग्राहियों को दिलवाकर उनके आर्थिक उत्थान में सहभागी बनें। ये बातें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य काश्यप ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर रतलाम जिले में आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहीं।

श्री काश्यप ने कहा कि ग्राम पंचायतों के सरपंच व्यक्तिगत रुचि लेते हुए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ स्थानीय कारीगरों को ज्यादा से ज्यादा दिलवाएं। इस योजना को अच्छे से समझें और क्रियान्वयन करवाएं। किसी भी योजना को सफलतापूर्वक लागू करने में शासकीय अमले के साथ-जनप्रतिनिधियों, जनता की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। कल्याणकारी शासन का उद्देश्य यह है कि सरकार जनता के पास पहुंचे। उन्होंने पंजीयन बढ़ाने के निर्देश दिए। श्री काश्यप ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि शासन उसके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास और शिल्पियों, कारीगरों के आर्थिक उत्थान के लिए बनाई गई पीएम विश्वकर्मा योजना एक अभिनव योजना है। इसका क्रियान्वयन भी सहज बनाया गया है। एक बार जिला समिति से अनुमोदन हो जाने के बाद हितग्राही को कहीं चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं।

एमएसएमई मंत्री ने निर्देश दिए कि पीएम विश्वकर्मा योजना को जिला समिति की बैठकें अधिकाधिक की जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हितग्राही प्रकरणों को समय-सीमा में स्वीकृति दी जा सकें। श्री काश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश की संस्कृति से जुड़े कार्यों को हाथ में लिया है। इसी प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा भी छोटे कारीगरों शिल्पियों के आर्थिक उत्थान के लिए सशक्त कदम उठाए जा रहे हैं। ग्वालियर व्यापार मेला की तर्ज पर ही मुख्यमंत्री द्वारा आगामी दिनों में उज्जैन में विक्रम उत्सव के नाम से एक बड़ा आयोजन किया जा रहा।

स्टार्टअप्स के लिए स्थापित होने वाले 100 करोड़ रुपये के कोष के लिए योजना बनाएं

भोपाल, सूक्ष्म, लघु एवम मध्य उद्यम मंत्री डॉ. चेतन्य काश्यप ने भोपाल में राज्य अंतर्गत स्टार्टअप गतिविधियों की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार के संकल्प 2023 के अंतर्गत राज्य के स्टार्टअप्स के लिए स्थापित होने वाले 100 करोड़ रुपये के कोष के लिए सिडबी में उपलब्ध फंड एवं उसकी विशेषज्ञता का उपयोग किए जाने संबंधी कार्ययोजना बनाने बनाएं। उन्होंने एआईएफ के माध्यम से राज्य के स्टार्टअप्स को अधिक से अधिक फंडिंग उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान मैकेनिज्म को सशक्त करने की भी जरूरत बताई।

विकसित भारत संकल्प यात्रा

महिलाएं हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रही हैं - राज्यपाल

खंडवा, विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य योजनाओं के लाभ से शेष रहे पात्र हितग्राहियों को चिह्नित कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना है, इसका लाभ अवश्य लें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हर वर्ग की चिंता करते हुए योजनाएं बनाई हैं, जिससे हर पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ प्राप्त हो सके। ये बातें राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने खंडवा जिले के ग्राम जामनी गुर्जर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं।

राज्यपाल ने कहा कि महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर सशक्त हो रही हैं। महिला सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत बेहतर कार्य करते हुए महिलाएं हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रही हैं। हर पात्र हितग्राही को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सभी वर्ग व सर्वसमाज के लोगों को लाभांवित करने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं व बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भी कई कार्यक्रमों व योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब बेटियां प्रत्येक कार्यक्षेत्र में निडर होकर कार्य कर रही हैं। स्व-सहायता समूह की महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है।

श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि पहली बार कोई संकल्प यात्रा लगभग 3 हजार रथों के साथ गांव-गांव पहुंचकर लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान करने का माध्यम बनी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री श्री मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से 'सरकार आपके द्वार' की परिकल्पना साकार हुई है।

श्री पटेल ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर एवं आनुवांशिक बीमारी को वर्ष 2047 तक भारत से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी को जांच के माध्यम से इसके रोगी एवं वाहक की पहचान कराना सुनिश्चित करें, जिससे भविष्य में पीड़ित परिवार से इस आनुवांशिक बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। इसके लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं स्कूल-कॉलेज, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सहयोग का आह्वान किया है।

जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा कि खण्डवा जिले के आदिवासी बाहुल्य ग्राम जामनी गुर्जर में राज्यपाल का आगमन सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को साकार करते हैं, जिन्होंने अंतिम छोर पर बैठे योग्य व्यक्तियों को भी उच्च संवैधानिक पदों पर बैठाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिकल सेल एनीमिया की बीमारी समाप्त करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से कोई भी गरीब व्यक्ति सरकारी योजनाओं की पहुंच से वंचित नहीं रहेगा।

वन विभाग से संबंधित मुद्दों की समिति में संशोधन

भोपाल, राज्य शासन द्वारा वन विभाग से संबंधित मुद्दों के निराकरण के लिये अपर मुख्य सचिव, वन विभाग की अध्यक्षता में 27 दिसम्बर, 2023 को समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति में आंशिक संशोधन किया गया है। इसमें प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग को भी सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने देवास थाने का चयन देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में होने पर दी बधाई

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा देशभर के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में देवास के सिविल लाइन थाने का चयन होने पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि यह उपलब्धि देवास सहित हम सभी मध्यप्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में मध्यप्रदेश के थाने का चयन होना सुशासन एवं बेहतर कानून व्यवस्था का उत्तम उदाहरण है। जन-सेवा एवं अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित थाने के समस्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का अभिनंदन है।

कार्यालय शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर
नवीन विधि महाविद्यालय के सामने दे.अ.वि.वि. परिसर खंडवा रोड
भंवर कुआं इंदौर, दूरभाष नं. 0731-2920465
(E-Mail - gpetcindore2014@gmail.com)

क्रमांक/पीईटीसी/2024/32 — इंदौर, दिनांक : 23.01.2024

म.प्र. लोक सेवा आयोग 2021 की साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये निःशुल्क ऑफलाइन प्रशिक्षण हेतु विज्ञापन

शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर, म.प्र. लोक सेवा आयोग **2021 के निःशुल्क मॉक इंटरव्यू के लिये** संपूर्ण म.प्र. के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पात्र अभ्यर्थी, जिन्होंने 2021 की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, के आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। प्रशिक्षण प्रारंभ होने की संभावित तिथि 19 फरवरी होगी। अभ्यर्थी कार्यालयीन समय में दि. 09 फरवरी 2024 तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।

प्रशिक्षण हेतु प्रवेश की अन्य आवश्यक शर्तें -

1. आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आये 6.00 लाख रु. या इससे कम हो।
2. साक्षात्कार प्रशिक्षण के प्रवेश हेतु केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें, जिन्होंने 2021 की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
3. साक्षात्कार के सभी अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे।
4. प्रशिक्षण का माध्यम हिन्दी होगा।
5. आवेदन करने की **अंतिम तिथि 09 फरवरी** होगी।
6. प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों को निःशुल्क ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया जावेगा। आवास सहायता का लाभ नहीं दिया जावेगा। पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सहित निर्धारित प्रपत्रों में आवश्यक दस्तावेजों सहित व्यक्तिगत रूप से जमा करना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिये शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर के दूरभाष क्रमांक 0731-2920465 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

प्राचार्य
शा. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर
दूरभाष नं. - 0731-2920465

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर
शा. नवीन विधि महाविद्यालय, के सामने दे.अ.वि.वि. परिसर खंडवा रोड भंवर कुआं इंदौर
दूरभाष नंबर 0731-2920465

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की 2021 के मॉक इंटरव्यू हेतु आवेदन पत्र

प्रशिक्षण प्रारंभ दिनांक - 19 फरवरी 2024
आवेदन जमा की अंतिम तिथि - 09.02.2024
समय - दोपहर 12.00 बजे से

स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित रंगीन फोटो

1. पूरा नाम (1) हिन्दी में :–
   (2) अंग्रेजी में :–
2. पिताजी का नाम :–
3. माता का नाम :–
4. जन्म दिनांक :–
5. पत्र व्यवहार का पता पिन कोड सहित :–
6. स्थायी पता पिन कोड सहित :–
7. जाति एवं उपजाति :–
8. परिवार के मुखिया का व्यवसाय :–
9. मुखिया की वार्षिक आय :–
10. स्वयं का मोबाइल नंबर :–
11. पिता का मो.नं. :–
12. स्वयं का व्यवसाय/सर्विस यदि हो तो :–
13. स्वयं की वार्षिक आय :–
14. भाई-बहन सर्विस/व्यवसाय में हों तो पद व आय सहित उनका विवरण देवें :–
15. 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का वर्ष व रोल नं. :–
16. 2021 की मुख्य परीक्षा का वर्ष व रोल नं. :–
17. **शैक्षणिक योग्यता :–**

क्र.	शिक्षा (संकाय सहित)	विषय	मण्डल/वि.वि.	प्रतिशत	रिमार्क
1.	हाईस्कूल ( )				
2.	हायर सेकेंडरी ( )				
3.	स्नातक ( )				
4.	स्नातकोत्तर ( )				

18. अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं यदि दे रहे हों तो नाम.....
    परीक्षा तिथि.....रोल नंबर.....
19. रुचि :–
20. **संलग्न :–**
    1. आय, जाति, मूल निवासी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रतियां।
    2. हाईस्कूल, हायर सेकेण्ड्री, स्नातक, स्नातकोत्तर अंकसूचियों की छायाप्रति।
    3. साक्षात्कार पत्र की छायाप्रति।
    4. आप यदि कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हों तो उसका विवरण देवें।
    5. 600000 तक का आय प्रमाण पत्र आवश्यक।
    6. व्यक्तिगत अभिलेख की छायाप्रति।
    7. अनुप्रमाणन फार्म की छायाप्रति।
    8. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण के रोल नंबर की कॉपी।
    9. आधार कार्ड की छायाप्रति।
    10. 01 अतिरिक्त रंगीन फोटो भी संलग्न करें।

दिनांक :–
स्थान :–

हस्ताक्षर आवेदक
नाम :–.....
पता :–
मो.नं. :–.....

जी-23365/49397/2024

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए

मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान, कला, संस्कृति एवं साहित्य

1. प्रसिद्ध कविता 'झांसी की रानी' किसकी रचना है?
A. सुभद्रा कुमारी चौहान
B. बालकृष्ण शर्मा नवीन
C. मैथिलीशरण गुप्त
D. जयशंकर प्रसाद
उत्तर- A. सुभद्रा कुमारी चौहान

2. 'मटकी' लोकनृत्य का संबंध मध्यप्रदेश के किस क्षेत्र से है?
A. निमाड़ B. बुंदेलखंड
C. बघेलखंड D. मालवा
उत्तर- D. मालवा

3. जरी-जरदोजी कला म.प्र. के किस जिले की पहचान है?
A. इंदौर B. भोपाल
C. झाबुआ D. जबलपुर
उत्तर- B. भोपाल

4. मध्यप्रदेश का राजकीय लोक नाट्य क्या है?
A. स्वांग B. माच
C. वक्षगान D. जात्रा
उत्तर- B. माच

5. प्रसिद्ध साहित्यकार हरिशंकर परसाई ने कौन सी साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया था?
A. कल्पना B. प्रभा
C. वसुधा D. वाणी
उत्तर- C. वसुधा

6. मध्यप्रदेश की किस जनजाति में लमसेना, उधरिया, पैठुल, उठवा, पठोनी जैसी विवाह प्रथाएं प्रचलित हैं?
A. सहरिया B. भारिया
C. गोंड D. बैगा
उत्तर- D. बैगा

7. म.प्र. के किस प्रसिद्ध संगीतकार का वास्तविक नाम राम तनु था?
A. शंकर राव B. कृष्ण राव
C. तानसेन D. कुमार गंधर्व
उत्तर- C. तानसेन

8. 'अभिज्ञानशाकुंतलम्' कृति की रचना किसने की थी?
A. गजानन माधव मुक्तिबोध
B. कालिदास
C. भर्तहरि
D. भवभूति
उत्तर- B. कालिदास

9. बहु कला केंद्र 'भारत भवन' म.प्र. के किस शहर में स्थित है?
A. इंदौर B. जबलपुर
C. भोपाल D. उज्जैन
उत्तर- C. भोपाल

10. संगीत सम्राट उस्ताद अलाउद्दीन खान की स्मृति में संगीत समारोह कहां आयोजित किया जाता है?
A. मैहर B. सीहोर
C. इंदौर D. देवास
उत्तर- A. मैहर

11. इन प्रसिद्ध रचनाओं और इनके रचनाकारों को लेकर कौन सा तथ्य गलत है?
A. मेघदूत - कालिदास
B. चांद का मुंह टेढ़ा है - गजानन माधव मुक्तिबोध
C. बिल्लियों का अर्थशास्त्र - शरद जोशी
D. रघुवंशम - भवभूति
उत्तर- D. रघुवंशम - भवभूति

12. प्रत्येक 12वें वर्ष आयोजित होने वाले प्रसिद्ध कुंभ मेले का संबंध म.प्र. के किस शहर से है?
A. ओंकारेश्वर B. बड़वानी
C. जबलपुर D. उज्जैन
उत्तर- D. उज्जैन

13. इनमें से क्या मध्यप्रदेश के मालवा अंचल की एक लोक चित्रकला है ?
A. पगल्या B. पिथौरा
C. मधुबनी D. सौरती
उत्तर- A. पगल्या

14. प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व का संबंध म.प्र. के किस जिले से है?
A. इंदौर B. देवास
C. जबलपुर D. सीहोर
उत्तर- B. देवास

15. मध्यप्रदेश के किस शहर में 'कालिदास समारोह' आयोजित किया जाता है?
A. खजुराहो B. दमोह
C. देवास D. उज्जैन
उत्तर- D. उज्जैन

16. प्रेमचंद सृजन पीठ मध्यप्रदेश के किस विश्वविद्यालय में है?
A. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
B. देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय, इंदौर
C. बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल
D. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
उत्तर- A. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

17. मध्यप्रदेश का प्रसिद्ध बाग प्रिंट किस जिले की पहचान है?
A. धार B. झाबुआ
C. इंदौर D. आलीराजपुर
उत्तर- A. धार

18. मध्यप्रदेश का कौन सा नगर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है?
A. उज्जैन B. सांची
C. भोपाल D. खजुराहो
उत्तर- D. खजुराहो

19. नर्मदा नदी को लेकर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें "अमृतस्य नर्मदे" और "तीरे-तीरे नर्मदा" किसकी रचनाएं हैं?
A. जगदीश स्वामीनाथन
B. अमृतलाल वेगड़
C. माखनलाल चतुर्वेदी
D. बालकवि बैरागी
उत्तर- B. अमृतलाल वेगड़

20. मध्यप्रदेश में 'कुमार गन्धर्व सम्मान' किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है?
A. साहित्य B. खेल
C. संगीत D. संस्कृति
उत्तर- C. संगीत

21. हिन्दी की प्रसिद्ध कविता 'पुष्प की अभिलाषा' के रचनाकार हैं?
A. विष्णु खरे
B. श्रीकांत वर्मा
C. माखनलाल चतुर्वेदी
D. भवानीप्रसाद मिश्र
उत्तर- C. माखनलाल चतुर्वेदी

22. डिंडोरी जिले का पाटनगढ़ गांव किस चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध है?
A. पिथौरा B. गोंड
C. सहरिया D. मामुलिया
उत्तर- B. गोंड

23. संगीत का प्रतिष्ठित तानसेन समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है?
A. मैहर B. नर्मदापुरम
C. ग्वालियर D. देवास
उत्तर- C. ग्वालियर

24. मध्यप्रदेश के किस महान कवि को 'भारत का शेक्सपियर' कहा जाता है?
A. भवभूति B. बाणभट्ट
C. कालिदास D. भर्तहरि
उत्तर- C. कालिदास

25. बधाई नृत्य म.प्र. के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है?
A. मालवा B. महाकौशल
C. निमाड़ D. बुंदेलखंड
उत्तर- D. बुंदेलखंड

26. 1972 में अपनी कृति 'बुनी हुई रस्सी' पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध कवि थे?
A. गिरिजाकुमार माथुर
B. बालकृष्ण शर्मा नवीन
C. भवानीप्रसाद मिश्र
D. बालकवि बैरागी
उत्तर- C. भवानीप्रसाद मिश्र

27. ध्रुपद समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है?
A. भोपाल B. खंडवा
C. धार D. जबलपुर
उत्तर- A. भोपाल

28. इनमें से कौन सी इमारत बौद्धकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है ?
A. खजुराहो के मंदिर
B. भारत भवन
C. सांची स्तूप
D. राजवाड़ा
उत्तर- C. सांची स्तूप

29. मध्यप्रदेश की किस जनजाति में 'दूध लोटवा विवाह' प्रचलित है?
A. भील B. गोंड
C. सहरिया D. भारिया
उत्तर- B. गोंड

30. राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहां स्थित है?
A. बैतूल B. इंदौर
C. ग्वालियर D. जबलपुर
उत्तर- C. ग्वालियर

31. इनमें से कौन सा लोकनृत्य मध्यप्रदेश का नहीं है?
A. बधाई B. गणगौर
C. बिहू D. राई
उत्तर- C. बिहू

32. मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहां स्थित है?
A. झाबुआ B. खरगोन
C. भोपाल D. अलीराजपुर
उत्तर- C. भोपाल

33. 2023 में म.प्र. के किस संगीत समारोह में तबला वादन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया?
A. ध्रुपद समारोह
B. ताल समारोह
C. तानसेन समारोह
D. कालिदास समारोह
उत्तर- C. तानसेन समारोह

34. 'भगोरिया' से क्या आशय है?
A. आदिवासी लोक संस्कृति का पर्व
B. बुंदेलखंड का लोकनृत्य
C. मालवा का लोकगीत
D. उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर- A. आदिवासी लोक संस्कृति का पर्व

35. मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनजातीय लोक व पारम्परिक कला के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है?
A. कालिदास सम्मान
B. शरद जोशी सम्मान
C. तुलसी सम्मान
D. उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर- C. तुलसी सम्मान

36. म.प्र. के निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख नृत्य कौन सा है?
A. बधाई B. गरबा
C. गणगौर D. नौरता
उत्तर- C. गणगौर

37. भैरवगढ़ छीपा शिल्प का संबंध म.प्र. के किस जिले से है?
A. सागर B. मुरैना
C. उज्जैन D. धार
उत्तर- C. उज्जैन

38. ग्वालियर के 'सेनिया बंगश' घराने से जुड़े उस्ताद अमजद अली खां का संबंध किस विधा से है?
A. वीणा वादन B. सरोद वादन
C. तबला वादन D. गायन
उत्तर- B. सरोद वादन

39. परधौनी नृत्य म.प्र. की किस जनजाति से जुड़ा हुआ है?
A. बैगा B. भारिया
C. सहरिया D. गोंड
उत्तर- A. बैगा

40. झाबुआ जिला किस शिल्प के लिए जाना जाता है?
A. प्रस्तर शिल्प
B. पीतल शिल्प
C. गुड़िया शिल्प
D. इनमें से कोई नहीं
उत्तर- C. गुड़िया शिल्प

41. मध्यप्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय कवीर सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है?
A. भारतीय भाषाओं में काव्य लेखन
B. गायन
C. शास्त्रीय नृत्य
D. लोकनृत्य
उत्तर- A. भारतीय भाषाओं में काव्य लेखन

42. बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित 'स्वांग' क्या है?
A. लोकनाट्य
B. लोकगीत
C. लोकनृत्य
D. बी और सी दोनों
उत्तर- A. लोकनाट्य

43. मध्यप्रदेश की गोंड कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले पहले कलाकार?
A. अखिलेश
B. जापानी श्याम
C. दुर्गाबाई व्याम
D. जंगगढ़ सिंह श्याम
उत्तर- D. जंगगढ़ सिंह श्याम

44. म.प्र. में आदिवासी, लोक एवं पारम्परिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों की सृजनात्मकता को रेखांकित करने के लिए कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है?
A. कुमार गंधर्व सम्मान
B. कबीर सम्मान
C. देवी अहिल्या सम्मान
D. श्रीकांत वर्मा सम्मान
उत्तर- C. देवी अहिल्या सम्मान

45. मध्यप्रदेश का कौन सा जिला सुपारी शिल्प के लिए प्रसिद्ध है?
A. खरगोन B. बैतूल
C. रीवा D. शिवपुरी
उत्तर- C. रीवा

46. 'सदाचार का तावीज़', 'शिकायत मुझे भी है', 'ठिठुरता हुआ गणतंत्र' रचनाएं किस साहित्यकार की हैं?
A. हरिशंकर परसाई
B. शरद जोशी
C. शिवमंगल सिंह सुमन
D. जयशंकर प्रसाद
उत्तर- A. हरिशंकर परसाई

47. इनमें से किन साड़ियों का संबंध मध्यप्रदेश से है?
A. महेश्वरी और चंदेरी
B. पैठणी
C. कांजीवरम
D. उपरोक्त सभी
उत्तर- A. महेश्वरी और चंदेरी

48. भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुखर घरानों में से एक 'इंदौर घराने' की स्थापना किसने की थी?
A. अब्दुल वाहिद खान
B. अमन अली खान
C. उस्ताद अलाउद्दीन खान
D. उस्ताद अमीर खान
उत्तर- D. उस्ताद अमीर खान

49. विशाल रंग पंचमी महोत्सव और 'गेर' निकालने की परंपरा किस शहर की पहचान है?
A. सागर B. इंदौर
C. झाबुआ D. जबलपुर
उत्तर- B. इंदौर

50. प्राचीन जागेश्वरी देवी का मेला म.प्र. के किस नगर में आयोजित होता है?
A. भिंड B. करेली
C. चंदेरी D. गोटेगांव
उत्तर- C. चंदेरी

51. 'ढिमराई' या 'ढिमरयाई' से क्या आशय है?
A. मालवी लोकनृत्य
B. निमाड़ी लोकगीत
C. बुंदेलखंडी लोकनृत्य
D. इनमें से कोई नहीं
उत्तर- C. बुंदेलखंडी लोकनृत्य

52. मध्यप्रदेश की जनजातीय संस्कृति और कला का प्रतीक आदिवर्त संग्रहालय कहां स्थित है?
A. ओरछा B. मक्सी
C. खजुराहो D. नर्मदापुरम
उत्तर- C. खजुराहो

53. इनमें से किस नृत्य का संबंध म.प्र. की जनजातियों से है ?
A. करमा B. भांगड़ा
C. गरबा D. कथक
उत्तर- A. करमा

54. बादल भोई आदिवासी संग्रहालय किस शहर में है?
A. भोपाल B. छतरपुर
C. झाबुआ D. छिंदवाड़ा
उत्तर- D. छिंदवाड़ा

- रीता मोदी
(लेखिका, सम-सामायिक विषयों पर लेखन करती हैं।)

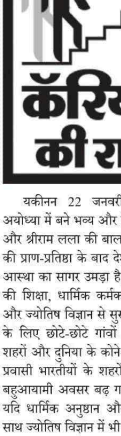

धार्मिक कर्मकांड की शिक्षा से बढ़े कॅरियर के अवसर

यकीनन 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में बने भव्य और दिव्य राम मंदिर और श्रीराम लला की बाल स्वरूप प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद देश-विदेश में जो आस्था का सागर उमड़ा है, उससे सनातन की शिक्षा, धार्मिक कर्मकांड के संस्कार और ज्योतिष विज्ञान से सुसज्जित युवाओं के लिए छोटे-छोटे गांवों से लेकर, बड़े शहरों और दुनिया के कोने-कोने में रह रहे प्रवासी भारतीयों के शहरों में कॅरियर के बहुआयामी अवसर बढ़ गए हैं। यही नहीं यदि धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-पाठ के साथ ज्योतिष विज्ञान में भी कोई पाठ्यक्रम कर लिया जाए तो अच्छे कॅरियर की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। जहां लोग अपना भविष्य जानना चाहते हैं, वहीं ग्रह-नक्षत्र को शांत करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान भी कराते हैं। कुंडली मिलान से लेकर, मांगलिक कार्य, शादी-ब्याह, पंचांग, राशिफल, अंकविज्ञान, कर्मकांड आदि भी इसी दायरे में आते हैं। एक लंबे समय तक भारत में मंदिरों को पहले आस्था के प्रतीक के तौर पर ही देखा जाता रहा है। पिछले कई दशकों तक मंदिरों में जाने वाले अधिकांश लोग अधिक उम्र के हुआ करते थे। लेकिन 2023 के आंकड़ों के मुताबिक मंदिरों में जाने वाले 18 से 34 वर्ष समूह के लोगों की संख्या बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों से यह रोज़गार का भी बड़ा माध्यम बनकर उभर रहा है। अब इस क्षेत्र में पुजारी और पंडित बनने से लेकर आध्यात्मिक पेशेवर बनने के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। देश-विदेश में भारतीय परिवारों में विवाह व उत्सव समारोह में सनातन एवं धार्मिक रीति-रिवाजों की बढ़ती अहमियत में इस क्षेत्र में कॅरियर का नया आसमान निर्मित किया है।

धार्मिक रीति-रिवाजों के परिपालन से बढ़े कॅरियर के अवसर

भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदिरों के अर्थतंत्र का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2022-23 में केवल छह बड़े हिंदू मंदिरों में करीब 24000 करोड़ रुपये का चढ़ावा आया था। 2019 प्रयागराज में कुंभ मेले से लगभग 1.2 लाख करोड़ की आय उत्पन्न होने का अनुमान है। अब अयोध्या के राम मंदिर, वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन के महाकाल लोक, शिरडी के साईबाबा धाम और इस्कान के मंदिरों से लोगों की बढ़ती धार्मिक श्रद्धा और नई पीढ़ी में भी धार्मिक संस्कारों के बढ़ते परिपालन से इस क्षेत्र में कॅरियर के अवसर बढ़ रहे हैं। इन मंदिरों में मुख्य पुजारी व उनकी टीम के अलावा भक्तों को पूजा और दर्शन में मदद के लिए बड़ी संख्या में ऐसे पुजारियों की सेवाएं ली जा रही हैं, जो कर्मकांड व पूजा विधि की अच्छी समझ रखते हैं। संबंधित समुचित कोर्स करके मंदिरों की सेवा से जुड़ने के अलावा अध्यापन, कॉर्पोरेट कंपनियों, रेसिडेंशियल सोसायटी के मंदिरों से भी जुड़ सकते हैं।

सरलता से बनें मंदिर में पुजारी, पंडित और आध्यात्मिक पेशेवर

मंदिर में भक्तों के अलावा अगर कोई भगवान की सेवा करते हैं तो वो पुजारी होते हैं। मंदिर के पुजारी न सिर्फ भगवान की नित्य सेवा करते हैं, बल्कि भक्तों की भेंट भगवान तक और भगवान का प्रसाद भक्तों तक पहुंचाते हैं लेकिन यह सब करके पुण्य के साथ धन भी मिलता है। मंदिर में कोई भी यूं ही पुजारी नहीं बन सकता है। अच्छे मंदिर में पुजारी की नियुक्ति के लिए बाकायदा इंटरव्यू होते हैं, टेस्ट होते हैं और फिर अगर पुजारी के पद पर नियुक्ति हो जाए तो अच्छी सैलरी के साथ प्रमोशन भी होता है। हर राज्य की राज्य सरकार अपने राज्य के प्राचीन मंदिरों में पूजा-पाठ करवाने के लिए पुजारी पद की वैकेंसी निकालती हैं। इस पद के लिए आवेदन देने के लिए योग्यता और पद के अनुसार आयु भी तय की जाती है।

अधिकतर संस्थानों और विश्वविद्यालयों में संस्कृत के साथ ही ज्योतिष विज्ञान, कर्मकांड, धर्मशास्त्र, व्याकरण, वेद, पुरोहित आदि की पढ़ाई होती है। वेद, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, वैदिक दर्शन, जैन-बुद्ध दर्शन, धर्मशास्त्र मीमांसा, धर्मागम आदि का अध्ययन संस्कृत विषय के तहत ही किया जाता है। हालांकि कई संस्थान ज्योतिष प्रज्ञा में सर्टिफिकेट कोर्स तथा ज्योतिष भूषण में डिप्लोमा कोर्स भी आयोजित कर रहे हैं।

ज्योतिष में कॅरियर के बढ़े आयाम

यह स्पष्ट रूप से उभरकर दिखाई दे रहा है कि यदि सनातन संस्कृति और धार्मिक कर्मकांड के साथ यदि ज्योतिषी के ज्ञान के साथ कोई कॅरियर की राह पर आगे बढ़ेगा, तो उसके कॅरियर की ऊंचाई बढ़ेगी। वैसे इस समय भी ज्योतिषशास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर अनेक लोग एस्ट्रोलॉजी को कॅरियर के रूप में अपना रहे हैं।

धार्मिक संस्कारों, ज्योतिष और पूजा-पाठ के कई तरह के कोर्स

12वीं करने के बाद भी आप इस क्षेत्र में कॅरियर बना सकते हैं। संस्कृत तथा ज्योतिष में डिप्लोमा, स्नातक या शास्त्री की डिग्री, पीजी कोर्स या आचार्य की डिग्री हासिल की जा सकती है। आप पीएच.डी. भी कर सकते हैं। ज्योतिष अलंकार कोर्स के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। इसके बाद आप ज्योतिषाचार्य का कोर्स कर सकते हैं। सनातन धर्म से शिक्षित-प्रशिक्षित होकर कॅरियर बनाने के लिए जहां एक ओर विभिन्न संस्कृत स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष पाठ्यक्रम हैं, वहीं दूसरी ओर देश और दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन और ऑनलाइन ऐसे पाठ्यक्रम चलाएं जा रहे हैं, जहां हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन की ऐसी शिक्षा दी जाती है।

इंदौर के संस्कृत कॉलेज में संस्कृत शिक्षा के साथ संस्कृत व धार्मिक कर्मकांड के विशेष पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी धर्म-कर्म के क्षेत्र में बहुते अवसरों को देखते हुए पीजी डिप्लोमा इन ज्योतिष, वास्तु तथा कर्मकांड से संबंधित कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इन्हीं दूरस्थ माध्यम से एम.ए. इन हिंदू स्टडीज नाम से कोर्स करवा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नवनिर्मित हिंदू अध्ययन केंद्र के तहत एम.ए. इन हिंदू अध्ययन कोर्स संचालित किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी (इंग्लैंड) के हिंदू स्टडीज सेंटर के तहत भी हिंदुइज्म संस्कृत और योग स्टडीज की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन कोर्स संचालित हो रहे हैं।

ज्योतिष और आध्यात्मिक गुरु के कॅरियर की स्किल्स

एक अच्छा पुजारी, आध्यात्मिक गुरु और ज्योतिष बनने के लिए संवाद क्षमता, वाकपटुता और प्रभावी व्यक्तित्व जरूरी है। हिन्दी के साथ-साथ संस्कृत व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान लाभप्रद है। कई किताबें अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध हैं। इस फील्ड में आप तभी सफल हो सकते हैं जब आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो, आप लोगों के साथ दोस्ताना रवैया रख सकें। केवल पैसा कमाना ही आपका मकसद न होकर दूसरों की सहायता करना भी होना चाहिए। ईमानदारी इस पेशे में काफी अहमियत रखती है। साथ ही, जिम्मेदारी की भावना भी आप में कूट-कूट कर भरी होनी चाहिए।

निश्चित रूप से देश में सनातन शिक्षा धार्मिक कर्मकांड एवं ज्योतिषी से संबंधित कॅरियर का एक नया युग उभरकर सामने आया है। यदि आप भी इस क्षेत्र में कॅरियर बनाने की स्किल्स रखते हैं तो मध्यप्रदेश सहित देश के किसी उपयुक्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से अपने अनुकूल पाठ्यक्रम करने के बाद इस क्षेत्र में बढ़ते नए दौर के एक अच्छे कॅरियर की राह पर आगे बढ़ सकते हैं।

- डॉ. जयंतीलाल भंडारी

(लेखक, कॅरियर मार्गदर्शन के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रतिष्ठित हैं।)

नशामुक्ति संकल्प दिवस

संकल्पशक्ति से सम्भव है प्रदेश में नशामुक्ति

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि तीस जनवरी को मध्यप्रदेश में 'मद्य निषेध संकल्प दिवस' का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं तथा समाज के सभी वर्ग को मद्यपान तथा मादक पदार्थों के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना है। इस दिवस पर मादक द्रव्यों तथा मदिरा पान त्यागने के लिए संकल्प दिलाने के साथ संकल्प लेने वालों से संकल्प पत्र भरवाने का कार्य किया जाता है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इस संकल्प दिवस की रूपरेखा तय करने और उसे क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी निभाता है। प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिये हमें महात्मा गांधी के उस एक मूलमंत्र को अंगीकार करना होगा कि हर सामाजिक बुराई, कुरीति और रूढ़ि से मुक्ति संकल्प से ही सम्भव है।

नशाखोरी एक भयावह बीमारी है। समाज में इसके कई दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं और समग्र विकास की राह में यह एक बड़ा व्यवधान है। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में भारत वापसी पर महात्मा गांधी ने अपने राजनैतिक गुरु गोपालकृष्ण गोखले की सलाह से एक साल लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया था। इसी दौरान उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज की स्थिति और विभिन्न समस्याओं को शिद्दत से महसूस किया था। गांधी जी ने भारतीय समाज की बदहाली के विभिन्न कारणों में नशे की लत को भी बड़ी समस्या माना था। इसी कारण उन्होंने सत्य और अहिंसा की विचारधारा का पालन करते हुए अपने सभी आंदोलनों को क्रियान्वित करते समय चलाए गए विभिन्न रचनात्मक कार्यों में नशामुक्ति को भी प्रमुख स्थान दिया था।

व्यापक स्तर पर मनाते हैं नशामुक्ति संकल्प दिवस

प्रदेश में नशामुक्ति का वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले संकल्प दिवस में ऐसे कार्यक्रम हों जिनमें सभी वर्ग और आयु के रहवासी शामिल हों। नगरीय और ग्रामीण निकायों यथा नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत की भागीदारी इन आयोजनों में सुनिश्चित हो। सभी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं की उपस्थिति भी ऐसे आयोजन में सुनिश्चित हो क्योंकि इससे हम सभी को नशामुक्ति का जरूरी संदेश पहुंचा सकेंगे। नशामुक्ति के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिये सेमीनार, वर्कशॉप, रैली और प्रदर्शनी का आयोजन हो। भिन्न-भिन्न आयु वर्ग के लिये वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन हो। नशामुक्ति के संदेश पर केन्द्रित नाटकों, गीतों, नृत्य और नृत्य नाटिकाओं का प्रतियोगी और गैर-प्रतियोगी स्तर पर मंचन भी किया जाये। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जनसभाओं से भी नशामुक्ति का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जा सकता है।

नशामुक्ति के संवैधानिक और महत्वपूर्ण प्रयास

शराब या अन्य मादक पदार्थ के माध्यम से होने वाले किसी भी स्वरूप का नशा जीवन के लिए जरूरी नहीं है। अभी देश में पांच राज्यों गुजरात, नागालैंड, मिजोरम, लक्षद्वीप आदि राज्यों में कानूनन शराब बन्दी लागू है। केवल सरकारों के द्वारा नियम बनाने से यह बुराई समाप्त नहीं हो सकती। शराब तथा अन्य मादक पदार्थों से उत्पन्न होने वाली बुराइयों से निपटने के लिए नशे के खिलाफ व्यापक जागरूकता और निषेध के प्रयत्नों का प्रचार-प्रसार करना भी आवश्यक है। राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं प्राधिकरण (नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी- नालसा) ने नशा पीड़ितों को विधिक सेवाओं और नशे के उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2015' बनाई गई। योजना का लक्ष्य आम जनता के बीच विधिक प्रावधानों, विभिन्न नीतियों, कार्यक्रम एवं योजनाओं, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों के विषय के साथ विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के बच्चों, गली के बच्चों, नगर झोपड़ पट्टी के बच्चों, सुई से ड्रग लेने वालों, परिवारों, कैदियों, असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वालों, दवा बेचने वालों, ड्रग प्रयोग करने वालों, यौनकर्मियों एवं जन साधारण आदि में ड्रग के दुरुपयोग के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूकता फैलाना है।

नशे की व्यापकता चिन्ता का विषय

नशा एक गम्भीर समाजिक बुराई है और इसकी व्यापकता चिन्ता का विषय है। नशा एक ऐसी बुराई है, जिससे मनुष्य का अनमोल जीवन समय से पहले ही मृत्यु का शिकार हो जाता है। नशे के लिये समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा, तम्बाकू और बीड़ी, सिगरेट, हुक्का और चिलम के स्वरूप में धूम्रपान सहित चरस, स्मैक, कोकीन और ब्राउन शुगर जैसे घातक मादक दवाओं और पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। इन जहरीले और नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचने के साथ ही इससे सामाजिक वातावरण भी प्रदूषित होता है। नशा सेवन एक ऐसी कुरीति है कि जब बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भाग, अफ़ीम या चरस पीने वालों को भरपूर नशा प्राप्त नहीं होता है, तब वे शराब और हेरोइन जैसे मादक पदार्थों की ओर अग्रसर होते हैं। नशा किसी प्रकार का भी हो व्यक्तित्व के विनाश, निर्धनता की वृद्धि और मृत्यु के द्वार खोलता है। इसके कारण परिवार टूट रहे हैं। हम सभी जानते हैं धूमपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी होती है और यह चेतावनी सभी तम्बाकू उत्पादों पर अनिवार्य रूप से लिखी भी होती है, लगभग सभी को यह पता भी है। परन्तु लोग फिर भी इसका सेवन बड़े चाव से करते हैं। यह मनुष्य की दुर्बलता ही है कि वह उसके सेवन का आरम्भ धीरे-धीरे करता है पर कुछ ही दिनों में इसका आदी हो जाता है, एक बार आदी हो जाने के बाद वह इसका सेवन करे न करे, तलब ही सब कुछ कराती है। सबसे खराब स्थिति उन बच्चों की होती है जो बालिग नहीं होते, माँ-बाप की रोज की झंझट या वाद-विवाद का उनके अन्तर्मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ऐसे बच्चे मानसिक रूप से अन्य बच्चों की अपेक्षा पिछड़ जाते हैं। नशे की यह व्यापकता चिन्ता का कारण तो है मगर इसका नियंत्रण भी देश-प्रदेश, सकल विश्व और मानव समुदाय के लिये बेहद जरूरी है।

युवाओं में नशे की प्रवृत्ति सबसे पहले खत्म की जाये

युवा वर्ग में आजकल नशे की आदत का प्रमुख कारण सहनशक्ति का अभाव है और वे बहुत जल्दी अपना हौसला खो देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वे अवसाद में चले जाते हैं और फिर वे आसानी से नशे की गिरफ्त में फंस जाते हैं। माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को हालात से लड़ना सिखाएं और उन्हें मजबूत बनाएं। नशामुक्ति के नियामक भी यह मानते हैं कि युवाओं की नशे की प्रवृत्ति सबसे पहले खत्म की जाये। ऐसा किये जाने का एक बड़ा कारण यह है कि आजकल नशा फैशन बनता चला जा रहा है। गलत संगत में पड़कर नशे को फैशन मान लेना युवा वर्ग की सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरों की देखा-देखी भी लोग नशा करने लग जाते हैं। अपने आपको आधुनिक बनाने के लिए नशे का सहारा लेने लगते हैं, जो कि गलत है। युवा वर्ग की कमजोर सोच का फायदा उठाते हुए नशे के व्यापार में लगे हुए लोग उन्हें नशे के लिए प्रेरित करने लग जाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि युवा अपने आपको मजबूत बनाएं और गलत संगति से बचें। कोई भी परेशानी अपने माता-पिता के साथ में शेयर जरूर करें। खराब संगत, सामाजिक रिश्तों में दूरी व अकेलेपन का अधिक होना युवा वर्ग में नशे की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। परिवारजन जब अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। इससे बच्चे नशे के जाल में उलझ जाते हैं। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति का एक प्रमुख कारण नशीले पदार्थों की सहज उपलब्धता एवं उनकी पहुंच का आसान होना भी है इससे नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है। संयुक्त परिवार का विघटन होने से भी युवाओं को अधिक स्वतंत्रता मिली है। मीडिया में भी नशे के कारोबार को प्रचारित किया है। अतः इन सब पर ध्यान देकर हमें समस्या का निराकरण करना होगा।

- राजा दुबे

(लेखक, जनसंपर्क विभाग से सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक हैं।)

प्रधानमंत्री जन-मन योजना

जनजातीय विकास और कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है ''सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास''। समाज विकास की यह एक आदर्श परिकल्पना है। किसी भी समाज, प्रांत अथवा देश का समग्र विकास तभी संभव है जब अन्तिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का विकास हो। अंतिम पंक्ति के विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

भारत की आजादी के वर्षों बाद भी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए वह प्रयास नहीं हुए जो होने चाहिए थे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लगभग दस वर्षों से देश में जनजातीय विकास और कल्याण के लिए विशेष अभियान चलाया। जिसमें जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त जनजातीय कल्याण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जनजातियों को मुख्य धारा में लाने के साथ प्रधानमंत्री का लक्ष्य है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। कमजोर समूह के विकास के लिए देशभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका नाम है प्रधानमंत्री जन-मन योजना।

क्या है पीवीटीजी

पी.बी.टी.जी. (Particularly vulnerable tribal group) अर्थात विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। यह समूह पहाड़ों, मैदानों, जंगलों तथा दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करते हैं। चूंकि इनका निवास दूरस्थ अंचल में है इसलिए इन्हें योजनाओं की जानकारी न होने अथवा पहुंच के अभाव में लाभ के प्रतिशत में अंतर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस समूह की चिंता की और उनके विकास के लिए विशेष योजना बनाई।

प्रधानमंत्री जन-मन योजना की शुरुआत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के लिए 15 नवम्बर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखण्ड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की।

कहां और कितने समूहों को किया शामिल

प्रधानमंत्री जन-मन योजना में भारत के 18 राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को शामिल किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 9 प्रमुख मंत्रालय तथा 11 घटक शामिल हैं।

देश में पीवीटीजी की संख्या तथा स्थिति की जानकारी के लिए केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा आधारभूत सर्वे किया गया। सर्वे में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश में पीवीटीजी के 7 लाख से अधिक परिवार निवास करते हैं। इन परिवारों में शामिल सदस्यों की जनसंख्या 28 लाख से अधिक है।

योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री जन-मन योजना का उद्देश्य है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) का समग्र विकास करना। इस वर्ग के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं में विशेष प्रावधान किये जा रहे हैं। आधारभूत अधोसंरचना, आवास, शिक्षा, रोजगार सभी क्षेत्रों में विविध योजनाओं के माध्यम से विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

इन योजनाओं का मिलता है लाभ

प्रधानमंत्री जन-मन योजना में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल की पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ-साथ स्थाई आजीविका के अवसर उपलब्ध किये जायेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बजट भी निर्धारित है। इसमें वित्तीय व्यय 24 हजार 104 करोड़ है जिसमें केन्द्रीय हिस्सेदारी 15 हजार 336 करोड़ तथा राज्य की हिस्सेदारी 8 हजार 768 करोड़ है।

मध्यप्रदेश में पीवीटीजी क्षेत्र

मध्यप्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.वी.टी.जी.) 22 जिलों में निवासरत हैं। इन जिलों में अनूपपुर, अशोक नगर, भिण्ड, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दतिया, डिंडौरी, गुना, ग्वालियर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, मुरैना, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सतना, सीधी, विदिशा और उमरिया शामिल हैं। इसमें प्रदेश के 4 हजार 45 से अधिक गांवों के बैगा, सहरिया और भारिया जनजातीय समाहित है।

हर परिवार को हो आवास उपलब्ध

इस योजना के अंतर्गत चिन्हित 11 अहम क्षेत्रों में से आवास एक प्रमुख क्षेत्र है। आवास व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। इसकी पूर्ति के लिए पी.वी.टी.जी. के हर परिवार को आवास उपलब्ध करवाने का कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत हितग्राहियों को आवास बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही हर घर में शौचालय निर्माण की सुविधा उपलब्ध की जायेगी। इसके अतिरिक्त मनरेगा मजदूरी भी सुनिश्चित की गयी है। प्रदेश में 4.90 लाख हितग्राही परिवारों को पक्का मकान बनवाने के लिए प्रति मकान 2.39 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है। पीएम जन-मन योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अनुरूप ही किया जायेगा।

हितग्राही का चयन

योजना में पी.वी.टी.जी. परिवारों का आवास प्लस एप के माध्यम से सर्वे सुनिश्चित किया गया। इन परिवारों का भौतिक सत्यापन, परिवारों का पंजीयन और पात्र परिवारों की स्वीकृति निर्धारित समय सीमा में की जा रही है।

हितग्राही का आवास प्लस एप पर विवरण

प्रधानमंत्री जन-मन योजना के तहत आवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी, जैसे नाम, जाब कार्ड नम्बर, अकाउंट डिटेल, परिवार के सदस्यों का सरकारी नौकरी में होने की जानकारी दर्ज की जाती है।

रणनीति

प्रधानमंत्री जन-मन योजना के तहत आवास उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक जिले में गठित किये गये दल द्वारा प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक परिवार में भौतिक रूप से जाकर सर्वे किया जा रहा है। भौतिक सत्यापन के बाद आवास प्लस एप पर सर्वे की जानकारी दर्ज की जाती है। मध्यप्रदेश में 22 जिलों के चयनित ब्लाकों में 4 हजार 45 गांवों में सर्वे निर्धारित है।

अधोसंरचना निर्माण

विशेष रूप से कमजोर समूह (पी.वी.टी.जी.) दूरस्थ क्षेत्र में निवास करते हैं। इन समूहों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संपर्क होना आवश्यक है। योजना में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा संपर्क के लिए अधोसंरचना निर्माण किया जायेगा। इसमें प्रदेश में चिह्नित बैगा, भारिया तथा सहरिया जनजातियों की बसाहटों को पहुंच मार्ग से संपर्कता प्रदान की जायेगी। मध्यप्रदेश ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सूची के अनुसार प्राथमिक रूप से कुल 18 जिलों के 981 बसाहटों को, लंबाई 2403.75 किलोमीटर के 978 मार्गों तथा 50 ब्रिज की कुल लागत रुपये 2453.89 करोड़ की योजना तैयार की गयी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के देश को आत्मनिर्भर बनाने और अग्रणी विकसित राष्ट्र निर्माण के संकल्प की पूर्ति के लिए चलने वाले विविध अभियानों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य राष्ट्र निर्माण की आधारभूत अवधारणा है।

- देवेन्द्र गोरे
(लेखक, सम-सामयिक विषयों पर लेखन करते हैं)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये सामान्य ज्ञान - खेल

1. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) का मुख्यालय किस शहर में स्थित है?
(अ) लंदन (ब) दुबई
(स) मुंबई (द) सिडनी

2. लक्ष्य सेन किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं?
(अ) हॉकी (ब) टेनिस
(स) बैडमिंटन (द) स्क्वैश

3. ओलिंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं?
(अ) एथेलेटिक्स (ब) मुक्केबाजी
(स) रोइंग (द) भारोत्तोलन

4. जमैकन एथलीट उसेन बोल्ट ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं?
(अ) 08 (ब) 10
(स) 11 (द) 13

5. इनमें से कौन-सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है?
(अ) यूएस ओपन
(ब) विम्बलडन
(स) फ्रेंच ओपन
(द) ऑस्ट्रेलियन ओपन

6. टेनिस हॉल ऑफ फेम में लिएंडर पेस के साथ किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है?
(अ) विजय अमृतराज
(ब) महेश भूपति
(स) रोहन बोपन्ना
(द) इनमें से कोई नहीं

7. वर्ष 2023 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है?
(अ) एक (ब) दो
(स) तीन (द) चार

8. इनमें से किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा सात बार पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट जीता है?
(अ) राफेल नडाल
(ब) रोजर फेडरर
(स) नोवाक जोकोविच
(द) आंद्रे अगासी

9. टोनी क्रूस किस देश के दिग्गज फुटबॉलर रह चुके हैं?
(अ) ब्राजील (ब) अर्जेंटीना
(स) स्वीडन (द) जर्मनी

10. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरे शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं?
(अ) कुमार संगाकारा
(ब) ब्रायन लारा
(स) डॉन ब्रैडमैन
(द) विराट कोहली

11. भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह आईपीएल में किस टीम के लिए खेलते हैं?
(अ) सनराइजर्स हैदराबाद
(ब) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
(स) दिल्ली कैपिटल्स
(द) कोलकाता नाइटराइडर्स

12. इनमें से किस वर्ष में पहली बार विंटर ओलिंपिक खेलों का आयोजन किया गया था?
(अ) वर्ष 1924 (ब) वर्ष 1928
(स) वर्ष 1936 (द) वर्ष 1944

13. वर्ष 2023 में किस देश ने यूएफा नेशंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है?
(अ) इटली (ब) स्पेन
(स) क्रोएशिया (द) नीदरलैंड

14. इनमें से किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए टाइम एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है?
(अ) नोआल लॉयल्स
(ब) नोवाक जोकोविच
(स) लियोनल मेसी
(द) इनमें से कोई नहीं

15. वर्ष 2023 में किस खिलाड़ी ने एटीपी फाइनल्स खिताब जीता है?
(अ) कार्लोस अलकराज
(ब) नोवाक जोकोविच
(स) कैस्पर रूड
(द) इनमें से कोई नहीं

16. हाल ही में इनमें से किस खिलाड़ी ने वन-डे और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है?
(अ) डेविड वॉर्नर
(ब) जो रूट
(स) केन विलियमसन
(द) इनमें से कोई नहीं

17. द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कोच शिवेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित हैं?
(अ) निशानेबाजी (ब) तीरंदाजी
(स) क्रिकेट (द) हॉकी

18. प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालिंपिक में किस खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है?
(अ) बैडमिंटन (ब) तीरंदाजी
(स) तैराकी (द) निशानेबाजी

19. एशियन गेम्स-2023 में किस देश ने फुटबॉल में पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है?
(अ) जापान (ब) द. कोरिया
(स) ईरान (द) उज्बेकिस्तान

20. इनमें से किस महिला खिलाड़ी को इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है?
(अ) प्राची यादव (ब) ईशा सिंह
(स) अदिति स्वामी (द) उपरोक्त सभी

21. आईसीसी वन-डे वर्ल्डकप 2023 में किस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा 4 शतक बनाये थे?
(अ) विराट कोहली
(ब) क्विंटन डिकॉक
(स) रचिन रविंद्र
(द) ग्लैन मैक्सवेल

22. इनमें से किस देश ने सबसे ज्यादा बार आईसीसी अंडर-19 वर्ल्डकप जीता है?
(अ) भारत
(ब) ऑस्ट्रेलिया
(स) श्रीलंका
(द) इनमें से कोई नहीं

23. वन-डे क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं?
(अ) ग्लैन मैग्राथ
(ब) मुथैया मुरलीधरन
(स) शॉन पोलक
(द) सकलैन मुश्ताक

24. फुटबॉल मैच में एक हाफ कितने मिनट का होता है?
(अ) 35 मिनट (ब) 40 मिनट
(स) 45 मिनट (द) 50 मिनट

25. वर्ष 2023 में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल चैम्पियन बनी थीं?
(अ) पी.वी. सिंधु
(ब) चेन यूफेई
(स) झांग यिमान
(द) केरोलिना मारिन

उत्तर

1. (ब), 2. (स), 3. (द), 4. (स), 5. (ब), 6. (अ), 7. (ब), 8. (स), 9. (द), 10. (स), 11. (द), 12. (अ), 13. (ब), 14. (स), 15. (ब), 16. (अ), 17. (द), 18. (अ), 19. (ब), 20. (द), 21. (ब), 22. (अ), 23. (द), 24. (स), 25. (ब)

- पुष्पेंद्र कुमार सविता
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले विषयों पर लेखन करते हैं।)

भारतीय डाक विभाग, उत्तर प्रदेश परिमंडल

पद का नाम - ड्राइवर, सामान्य केंद्रीय सेवा, ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड, गैर मंत्रालयी
पदों की संख्या - 78
योग्यता – पदानुसार
अंतिम तिथि - 16 फरवरी 2024
वेबसाइट – www.indiapost.gov.in

भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान

पद का नाम – प्रोफेसर ई, फेलो, तकनीकी अधिकारी-III, तकनीकी अधिकारी-I, तकनीकी अधिकारी-I (सिविल इंजीनियर), वरिष्ठ तकनीकी सहायक, तकनीकी सहायक, तकनीकी सहायक (सिविल इंजीनियर), आशुलिपिक ग्रेड-II, वाहन चालक, मल्टीटास्किंग स्टाफ आदि पद
पदों की संख्या - 24
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 04 फरवरी 2024
वेबसाइट – http://iigm.res.in

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

पद का नाम – जूनियर सहायक, स्टेनोग्राफर, लोअर डिविजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ सहायक, स्टेनोग्राफर ग्रेड-II, सहायक ग्रेड-I एवं अन्य पद
पदों की संख्या - 2354
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 07 फरवरी 2024
वेबसाइट – https://dsssbonline.nic.in

आर्मी सर्विस कॉर्प्स (साउथ), भारतीय सेना

पद का नाम - कुक, सिविलियन खानपान अनुदेशक, एमटीएस (चौकीदार), ट्रेडमैन मैट, वाहन मैकेनिक, सिविलियन मोटर ड्राइवर, क्लीनर, फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, लीडिंग फायरमैन
पदों की संख्या - 71
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 2 फरवरी 2024
आवेदन प्रक्रिया - एप्लीकेशन फॉर्म भरकर अपने सेल्फ वेरिफाइड सर्टिफिकेट की कॉपी के साथ - दी प्रेजाइडिंग ऑफिसर, सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड सीएचक्यू, एएससी सेंटर (साउथ) – 2 एटीसी, अग्रम पोस्ट, बैंगलोर – 07, इस पते पर भेजें।

पुणे नगर निगम

पद का नाम – जूनियर इंजीनियर (सिविल)
पदों की संख्या - 113
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 05 फरवरी 2024
वेबसाइट – https://www.pmc.gov.in/

बैंक ऑफ बड़ौदा

पद का नाम – सिक्योरिटी ऑफिसर
पदों की संख्या - 38
योग्यता - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री। न्यूनतम तीन महीने के कम्प्यूटर कोर्स में सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन लेवल पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बतौर सब्जेक्ट होना चाहिए। आयु 25 से 35 साल तक।
अंतिम तिथि - 08 फरवरी 2024
वेबसाइट – https://www.bankofbaroda.in/

आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड

पद का नाम – कंपनी सेक्रेटरी
पदों की संख्या - 01
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 08 फरवरी 2024
वेबसाइट – https://ddpdoo.gov.in

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पद का नाम – जूनियर रिसर्च फेलो (माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग एवं एनालिसिस, भौतिक - रासायनिक एनालिसिस), जूनियर प्रयोगशाला सहायक
पदों की संख्या - 04
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 07 फरवरी 2024
वेबसाइट – https://bspcb.bihar.gov.in/

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड

पद का नाम – मैनेजमेंट ट्रेनी (मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस आदि)
पदों की संख्या - 38
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 02 फरवरी 2024
वेबसाइट – https://goashipyard.in/

एडमिशन अलर्ट

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान

पाठ्यक्रम का नाम - टेलीविजन में एक वर्षीय पीजी सर्टिफिकेट
योग्यता - पाठ्यक्रमानुसार
अंतिम तिथि - 04 फरवरी 2024
वेबसाइट - www.ftii.ac.in

स्कॉलरशिप अलर्ट

वीडियोएक्स 2024

किनके लिए - नए और अनुभवी वीडियो मेकर्स के लिए
योग्यता - इसमें एक्सपेरिमेंटल और प्रोग्रेसिव वर्क भेजे जा सकते हैं। एक उम्मीदवार कम से कम तीन फिल्में भेज सकता है।
क्या मिलेगा - विजेता को कुल 3 हजार स्विस फ्रैंक दी जाएगी।
अंतिम तिथि - 25 फरवरी 2024
वेबसाइट - https://submit.videoex.ch/home

जेएन टाटा एंडोमेंट लोन स्कॉलरशिप फॉर फॉल 2024 टू स्प्रिंग 2025

किनके लिए - वे भारतीय छात्र, जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।
योग्यता - आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट हो, आयु 45 वर्ष से अधिक न हो, ग्रेजुएशन कोर्स के अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं।
क्या मिलेगा - 10 लाख रुपए तक की लोन स्कॉलरशिप
अंतिम तिथि - 15 मार्च 2024
वेबसाइट - https://jntataendowment.org/

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित)

बच्चों की मजबूत नींव का आधार बनी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना

बच्चे परिवार, समाज और देश का भविष्य हैं। यही वह आधार है, जिससे भविष्य की मानव शक्ति का निर्माण होता है। जब आधार मजबूत होगा, सशक्त होगा, ऊर्जावान होगा, शिक्षित होगा तभी समृद्ध समाज का निर्माण संभव है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित समृद्ध, सम्पन्न और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। संकल्प अनुरूप ही देश के हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को अमल में लाया गया। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम द्वारा मिड-डे मील बच्चों को प्रदान किया जाता था। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना में बच्चों के दोपहर के भोजन में पोषण और गुणवत्ता में सुधार को लेकर अन्य आवश्यक बातों को शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान में गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरीयों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण संबंधी परिणामों को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया यह अभियान कुपोषण की चुनौती का मुकाबला करने के लिए मिशन मोड में कार्य करता है। 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान विषय-वस्तु, वितरण, आउट रीच और परिणामों को मजबूत करने के उद्देश्य से एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण-2 के अंतर्गत पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवा योजना और किशोरियों को जोड़ा गया था। बीमारियों और कुपोषण के विरुद्ध स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाली कार्य प्रणालियों को विकसित करने पर जोर दिया गया।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना

जैसा मैंने पूर्व में भी लिखा है कि विकसित समाज का निर्माण तभी संभव है जब वह सशक्त होने के साथ शिक्षित हो। शिक्षा से ज्ञान और फिर समझ विकसित होती है। यही विकास का मूल सिद्धान्त है। शिक्षा के लोकव्यापीकरण, शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि और निरंतरता तथा बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पोषण आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। पोषण आहार उपलब्ध करने के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

योजना कब शुरू हुई

'सही पोषण देश रोशन' इस टेग लाइन के साथ प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की शुरूआत की गयी। सितम्बर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को अपनी मंजूरी दी। इस योजना ने मध्यान्ह भोजन योजना का स्थान ले लिया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक पांच वर्ष के लिए प्रभावी स्वरूप में लागू किया गया है।

योजना का संचालन

यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है। मध्यप्रदेश के स्कूलों में इसके कियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रशासनिक एवं नोडल एजेंसी है। इसके तहत प्राथमिक कक्षा पहली से पांचवी तक तथा 6वीं से 8वीं तक अध्ययनरत स्कूल के बच्चों को भोजन दिया जाता है।

अब इसमें प्री-प्राइमरी कक्षाओं तथा बाल वाटिका के छात्रों को भी शामिल किया गया है। इस योजना में बच्चों को दोपहर में पका पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। भोजन में आवश्यक 700 कैलोरी की पूर्ति सुनिश्चित की गई है। इसे आंगनवाड़ी केन्द्रों में भी संचालित किया जाता है। जिसमें गरीब परिवार के नवजात बच्चों से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के पोषण का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य

सुपोषित भोजन के द्वारा बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी बच्चे में कुपोषण का कोई भी लक्षण न रहे। बच्चों को पुष्ट और स्वस्थ बनाने के लक्ष्य पूर्ति के लिए विशेषकर यह योजना लाभकारी है।

मध्यप्रदेश में पोषण शक्ति निर्माण योजना

मध्यप्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में इस योजना के तहत 1.10 लाख शालाओं के लगभग 46 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश के गांव-गांव में स्व-सहायता समूह निर्मित किये गये हैं। यह समूह आजीविका गतिविधियों के साथ-साथ गांव के विकास में भी भागीदार हैं। स्व-सहायता समूह स्थानीय होने के साथ उन्हें अपने गांव के बच्चों से विशेष लगाव रहता है। वे क्षेत्र विशेष के बच्चों के खान-पान की रुचि से भी अवगत होते हैं। इसीलिए गांवों में इस योजना को चलाने और भोजन निर्माण का कार्य स्व-सहायता समूह के सहयोग से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के लिए 72 हजार 691 स्व-सहायता समूह तथा 2.10 लाख रसोइये कार्यरत हैं।

योजना में कार्यरत स्व-सहायता समूह और रसोइयों की पारिश्रमिक आदि भुगतान सीधे उनके खाते में किये जाते हैं। इस योजना के तहत प्रदेश को 678.78 करोड़ (केन्द्रांश 313.16 करोड़ तथा राज्यांश 365.62 करोड़) राशि प्राप्त हुई है। प्राप्त राशि में वर्तमान में 668.37 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं, जो प्राप्त राशि का 98.46 प्रतिशत है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में बच्चों के पोषण को लेकर विशेष प्रावधान किये गये हैं। इनमें से एक है बच्चों के भोजन में श्रीअन्न को शामिल करना। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के प्रयास से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। इसमें जहां श्रीअन्न उत्पादन तथा इसके मूल्य को प्रोत्साहन मिला है वहीं उत्पादन बढ़ने से श्रीअन्न का आम लोगों तक पहुंचना संभव हुआ है।

श्रीअन्न प्रोटीन, विटामिन तथा खनिजों से भरपूर होते हैं। इसमें आयरन, जिंक कैल्शियम तथा खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है। यह प्रोटीन को परस्पर पूरक बनाता है तथा अमीनों एसिड को बढ़ाता है। यह प्रोटीन को पचाने में भी सहायक है।

अतः श्रीअन्न स्वास्थ्य वर्धक, पौष्टिकता से भरपूर होने के साथ अन्य अनाजों की तुलना में इसमें बेहतर सूक्ष्म पोषक तत्व एवं बायोएक्टिव फ्लेवोनोइड पाए जाते हैं। श्रीअन्न की इन्हीं विशेषताओं और गुणवत्ता के कारण प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत भोजन में शामिल किया गया है। इससे बच्चों को पौष्टिक भोजन प्राप्त होगा, जिससे कम वजन की समस्या को दूर किया जा सकता है। इस योजना में भोजन की गुणवत्ता सुधार तथा मॉनीटरिंग के लिए प्रत्येक स्कूल में एक पोषण विशेषज्ञ नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। पोषण विशेषज्ञ द्वारा स्कूल में बच्चों के बॉडी मास इंडेक्स (BMI), वजन और हीमोग्लोबिन स्तर आदि विभिन्न पक्षों पर ध्यान दिया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन का अध्ययन तथा मॉनीटरिंग के लिए प्रत्येक स्कूल द्वारा योजना का सोशल ऑडिट अनिवार्य रूप से करवाया जाना है।

इस तरह प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना में बच्चों के संपूर्ण पोषण और विकास को केन्द्र में रखकर कई विशेष कार्य तथा प्रावधानों को शामिल किया गया है। इससे बच्चों को स्तरीय पोषक तथा आवश्यकता अनुरूप भोजन उपलब्ध होगा। स्वस्थ भोजन की गुणवत्ता बढ़ने से बच्चे पुष्ट होने के साथ उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्वस्थ शरीर बच्चों को स्फूर्तिवान बनाएगा। वे अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर पायेंगे। इससे बच्चों की बुनियादी शिक्षा में गुणवत्ता आयेगी। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की बेहतरी के यही परिणाम उन्हें एक अच्छा नागरिक बनायेगा। इन्हीं श्रेष्ठ नागरिकों से देश के स्वस्थ, समृद्ध और विकसित भविष्य का निर्माण संभव हो सकेगा।

- हितेश शर्मा
(लेखक सम-सामयिक विषयों पर लेखन)

खेल चर्चा

मान सिंह ने एशियाई मैराथन में जीता स्वर्ण पदक

हांगकांग, भारतीय एथलीट मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैम्पियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। मान सिंह ने मैराथन रेस को दो घंटे 14 मिनट और 19 सेकेंड में पूरा कर पहला स्थान हासिल किया। रेस में चीन के एथलीट हुआंग योंगझेंग दो घंटे 15 मिनट और 24 सेकेंड के साथ दूसरे स्थान पर रहे। रेस में कांस्य पदक किर्गिस्तान के टियापकिन इलिया ने जीता।

श्रीजा अकुला ने जीता पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब

टेक्सास, भारत की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। श्रीजा ने अमेरिका के टेक्सास में आयोजित डब्ल्यूटीटी फीडर कोरपस क्रिस्टी टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट के फाइनल में श्रीजा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विश्व की 46वीं नंबर की खिलाड़ी लिली झांग को 3-0 (11-6, 18-16, 11-5) से हराया।

आईसीसी ने घोषित कीं वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीमें

रोहित वन-डे और सूर्यकुमार ट्वेंटी-20 टीम के कप्तान बने

दुबई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने वर्ष 2023 के लिए क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में टीमें घोषित कीं। आईसीसी द्वारा जारी वैश्विक टीम में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा रहा। आईसीसी ने भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को वन-डे टीम ऑफ द ईयर की कमान सौंपी वहीं सूर्यकुमार यादव को ट्वेंटी-20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया।

आईसीसी ने कहा कि वन-डे टीम ऑफ द ईयर में जगह बनाने वाले खिलाड़ियों ने वन-डे विश्वकप-2023 में शानदार प्रदर्शन किया है। आईसीसी वन-डे टीम ऑफ द ईयर में सबसे ज्यादा छह खिलाड़ी भारत से हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के दो-दो तथा न्यूजीलैंड का एक खिलाड़ी टीम में जगह बना पाया है।

इसी तरह ट्वेंटी-20 टीम ऑफ द ईयर में भी भारतीय खिलाड़ियों का वर्चस्व रहा। टीम में भारत के चार, जिम्बाब्वे के दो तथा इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, युगांडा और आयरलैंड के एक-एक खिलाड़ी को जगह मिली है। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में सबसे ज्यादा पांच खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से हैं, जबकि टीम में भारत और इंग्लैंड के दो-दो तथा न्यूजीलैंड और श्रीलंका के एक-एक खिलाड़ी को जगह मिली है।

सूर्यकुमार यादव बने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ट्वेंटी-20 खिलाड़ी

आईसीसी ने भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ ट्वेंटी-20 खिलाड़ी चुना है। सूर्यकुमार ने वर्ष 2022 में भी यह पुरस्कार जीता था। सूर्यकुमार लगातार दो बार सर्वश्रेष्ठ ट्वेंटी-20 खिलाड़ी चुने जाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। सूर्यकुमार ने न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और युगांडा के अल्पेश रामजानी को हराकर यह पुरस्कार जीता है। सूर्यकुमार ने वर्ष 2023 में 18 ट्वेंटी-20 मैच खेले है और 155.95 की औसत से 733 रन बनाये हैं, इनमें दो शतक शामिल हैं।

आईसीसी वन-डे टीम

रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ट्रेविस हेड, विराट कोहली, डेरिल मिचेल, हेनरिक क्लासेन, मार्को येन्सन, एडम जंपा, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी।

आईसीसी ट्वेंटी-20 टीम

यशस्वी जायसवाल, फिल सॉल्ट, निकोलस पूरन, सूर्यकुमार यादव, मार्क चैपमैन, सिकंदर रजा, अल्पेश रामजानी, मार्क अडायर, रवि बिश्नोई, रिचर्ड नगारवा और अर्शदीप सिंह।

आईसीसी टेस्ट टीम

उस्मान ख्वाजा, दिमुथ करुणारत्ने, केन विलियमसन, जो रूट, ट्रेविस हेड, रवींद्र जडेजा, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, रविचंद्रन अश्विन, मिचेल स्टार्क और स्टुअर्ट ब्रॉड।

रोशिबिना देवी बनीं वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वुशु खिलाड़ी

नई दिल्ली, भारत की अनुभवी वुशु खिलाड़ी और दो बार एशियाई खेलों की पदक विजेता नाओरेम रोशिबिना देवी को अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी चुना है। रोशिबिना देवी ने एशियन गेम्स-2018 में कांस्य पदक और एशियन गेम्स-2022 में रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया था। अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने कहा कि रोशिबिना देवी को एक माह तक चली वोटिंग के बाद इस पुरस्कार से नवाजा गया है। वोटिंग में रोशिबिना देवी को 93545 वोट मिले, जबकि ईरान की शहरबानो एम सेमिरोमी (88179) दूसरे और चीन की वु शियाओवेई (46753) तीसरे स्थान पर रहीं।

पुजारा ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पूरे किए 20 हजार रन

मुंबई, भारत के अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में नया मुकाम हासिल किया है। पुजारा ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 20 हजार रन पूरे किए हैं। पुजारा ने यह उपलब्धि रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र के लिए खेलते हुए विदर्भ के खिलाफ मैच में हासिल की। पुजारा ने मैच की पहली पारी में 43 और दूसरी पारी में 66 रन बनाकर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 20 रन पूरे किये। पुजारा यह मुकाम हासिल करने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर हैं। पुजारा से पहले सुनील गावस्कर (25834), सचिन तेंदुलकर (25396) और राहुल द्रविड (23794) ने यह उपलब्धि हासिल की है।

ऑस्ट्रेलियन ओपन

बोपन्ना बने नंबर वन युगल खिलाड़ी

मेलबर्न, भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने टेनिस में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बोपन्ना टेनिस में पुरुष युगल वर्ग में विश्व के नंबर वन खिलाड़ी बन गए हैं। बोपन्ना ने यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान हासिल की। 43 वर्षीय बोपन्ना ने टेनिस के इतिहास में सबसे उम्रदराज नंबर वन खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड भी बनाया।

ऑस्ट्रेलियन ओपन में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी ने फाइनल में जगह बनाई है। बोपन्ना और एब्डेन की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना के मैक्सिमो गोंजालेज और एंड्रेस मॉल्टेनी की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-4, 7-6 (7-5) से हराया। इस जीत के साथ बोपन्ना टेनिस में पुरुष युगल रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं।

सबसे अधिक उम्र में टेनिस रैंकिंग में नंबर एक स्थान हासिल करने वाले बोपन्ना

ने अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी राजीव राम का रिकॉर्ड तोड़ा। राजीव राम ने अक्टूबर 2022 में 38 वर्ष की उम्र में शीर्ष रैंकिंग हासिल की थी।

- **रोहन बोपन्ना टेनिस युगल रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।**
- **इससे पहले लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा युगल रैंकिंग में नंबर वन बन चुके हैं।**

द्विपक्षीय सीरीज में पहली महिला टटस्थ अंपायर होंगी रेडफर्न

लंदन, इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर और अंपायर सू रेडफर्न ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नई उपलब्धि हासिल की है। रेडफर्न को आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही तीन मैचों की ट्वेंटी-20 सीरीज के लिए अंपायर नियुक्त किया है। इस तरह रेडफर्न आईसीसी द्वारा नियुक्त की गई पहली तटस्थ महिला अंपायर बन गई हैं। आईसीसी ने कहा कि वह महिला क्रिकेट में तटस्थ अंपायरों की भूमिका के लिए महिला अधिकारियों को प्राथमिकता देंगी। रेडफर्न ने इंग्लैंड के लिए वर्ष 1995 से 1999 के बीच 6 टेस्ट और 15 वन-डे मैच खेले हैं। रेडफर्न वर्ष 2016 से आईसीसी के अंपायर डेवलपमेंट पैनल का हिस्सा है। वे आईसीसी वन-डे विश्वकप 2017 और 2022 तथा आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्वकप 2018 और 2022 में भी अंपायरिंग कर चुकी हैं।

भारतीय महिला हॉकी टीम

विश्व कप में जगह नहीं बना सकी

रांची, भारतीय महिला हॉकी टीम का पेरिस ओलिंपिक में खेलने का सपना टूट गया है। ओलिंपिक महिला हॉकी क्वालिफायर में तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम को जापान के हाथों हार झेलनी पड़ी।

प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को जर्मनी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारतीय महिला टीम टूर्नामेंट में तीसरे स्थान के लिए जापान के खिलाफ मैच खेलने उतरी। ओलिंपिक में खेलने के लिए भारत को यह मैच हर हाल में जीतना जरूरी था, इस टूर्नामेंट में पहले तीन स्थानों पर रहने वाली टीमें ओलिंपिक के लिए सीधा क्वालिफाई करेंगी।

मैच में भारत और जापान की टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। जापान ने मैच की शुरुआत में ही बढ़त बनाई। मैच के छठवें मिनट में काना उराता ने जापान के लिए पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए गोल किया, जो निर्णायक साबित हुआ। मैच में भारतीय टीम को 9 पेनाल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन भारतीय टीम उन्हें गोल में तब्दील नहीं कर सकी।

जर्मनी ने जीता ओलिंपिक हॉकी क्वालिफायर टूर्नामेंट

ओलिंपिक महिला हॉकी क्वालिफायर का खिताब जर्मनी ने जीता। जर्मनी ने टूर्नामेंट के फाइनल में अमेरिका की महिला हॉकी टीम को 2-0 से हराया। मैच में जर्मनी ने दोनों गोल पहले हाफ में किये। पहला गोल जेट फ्लेशफुट्ज ने तीसरे मिनट में तथा दूसरा गोल सोंजा जिमरमैन ने 20वें मिनट में किया। जर्मनी ने टूर्नामेंट में पहले तथा अमेरिका ने दूसरे स्थान पर रहते हुए पेरिस ओलिंपिक के लिए क्वालिफाई किया है।

फीफा अवॉर्ड्स

लियोनल मेसी बने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

लंदन, फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने वर्ष 2023 के लिए पुरस्कारों का ऐलान किया है। लंदन में आयोजित एक समारोह में फीफा ने अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया। मेसी ने तीसरी बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है।

मेसी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नॉर्वे के युवा खिलाड़ी एर्लिंग हॉलैंड और फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को पछाड़ा। मेसी ने वर्ष 2023 में क्लब स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। मेसी ने अमेरिका की मेजर सॉकर लीग में अपने क्लब इंटर मियामी को खिताब दिलाया था। वहीं मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलने वाले एर्लिंग हॉलैंड ने भी वर्ष 2023 में शानदार प्रदर्शन किया और मैनचेस्टर सिटी के लिए 52 गोल

- **ब्राजील के एडरसन को मिला सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार।**
- **स्पेन के पेप गार्डियोला चुने गए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच।**
- **ब्राजील के गुइलहर्मे मैड्रगा को मिला फीफा पुस्कस अवॉर्ड।**
- **ब्राजील की राष्ट्रीय टीम को मिला फीफा फेयर प्ले अवॉर्ड।**

दागे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए फीफा रेटिंग प्रणाली में मेसी और एर्लिंग हॉलैंड के समान 48-48 अंक थे, लेकिन राष्ट्रीय टीमों के कप्तानों, कोचों, पत्रकारों और प्रशंसकों के वोट के आधार पर मेसी को विजेता घोषित किया गया।

महिला वर्ग में बोनमाटी बनीं विजेता

फीफा ने स्पेन की महिला खिलाड़ी ऐताना बोनमाटी को महिला वर्ग में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल का पुरस्कार प्रदान किया। बोनमाटी ने वर्ष 2023 में स्पेन को फीफा महिला विश्वकप का खिताब जिताने में अहम योगदान दिया। इसके अलावा बोनमाटी ने अपने बेहतरीन खेल की बदौलत बार्सिलोना क्लब को यूएफा महिला चैम्पियन लीग में खिताबी जीत दिलाई। बोनमाटी ने इस वर्ष बेलोन डि ओर पुरस्कार भी जीता है।

सात्विक और चिराग की जोड़ी इंडिया ओपन में बनी उपविजेता

नई दिल्ली, भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडिया ओपन में रजत पदक जीता। इंडिया ओपन में भारतीय जोड़ी पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीतने से चूक गई। भारतीय जोड़ी को टूर्नामेंट के फाइनल में दक्षिण कोरिया के केंग मिन हुएक और सियो सेयुंग जेई की जोड़ी ने कड़े मुकाबले में 21-15, 11-21, 18-21 से हराकर खिताब अपने नाम किया।

वर्ष 2023 में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय जोड़ी ने इस वर्ष भी शानदार खेल दिखाया, लेकिन खिताब नहीं जीत सकी। इस वर्ष सात्विक और चिराग की जोड़ी को लगातार दूसरे फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। इंडिया ओपन के

फाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने आक्रामक शुरुआत करते हुए बढ़त बनाई और पहला गेम 21-15 से जीता। दूसरे गेम में कोरियाई जोड़ी ने पलटवार करते हुए 21-11 से जीत दर्ज की। मैच के तीसरे गेम में दोनों जोड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन अंत में कोरियाई जोड़ी 21-18 से खिताब जीतने में सफल रही।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

सामयिकी

मालदीव की तुर्किए से मिलिट्री ड्रोन्स खरीदने की योजना

भारत और मालदीव में चल रहे तनाव के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने तुर्किए के साथ ड्रोन को लेकर एक समझौता किया है। इस ड्रोन के जरिए मालदीव स्पेशल इकोनॉमिक वॉटर इलाके में गश्त करेगा। अब तक भारत और मालदीव एक साथ मिलकर हिंद महासागर के इस इलाके में संयुक्त रूप से गश्त कर रहे थे। मालदीव और तुर्किए के बीच यह समझौता तब हुआ है जब मुइज्जू सरकार ने भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक देश छोड़ने का समय दिया है। माले ने देश के समुद्री क्षेत्र में गश्त के लिए सैन्य ड्रोन खरीदने के लिए तुर्की की कंपनी के साथ समझौता किया है। इस समझौते के लिए मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल ने 37 मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं।

मालदीव बन गया है स्विंग स्टेट

स्विंग स्टेट शब्द का उपयोग उन देशों के लिए इस्तेमाल होता है, जो अपने फायदे के लिए संबंधों में फेरबदल करते रहते हैं। मालदीव का यह व्यवहार यही दर्शाता है कि वह स्विंग स्टेट बन चुका है। जब तक भारत से मालदीव को सहयोग मिल रहा था तब तक मालदीव, भारत को अपना अभिभावक बता रहा था। उल्लेखनीय है कि मालदीव के समुद्री किनारों की निगरानी पहले भारत करता था, लेकिन चीन दौरे के बाद राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारतीय सैनिकों को वापस जाने का अल्टीमेटम दे दिया। इसके तुरंत बाद हिंद महासागर में निगरानी के लिए ड्रोन खरीदना कोई संयोग नहीं है।

400 टॉमहॉक मिसाइल खरीदने जापान-अमेरिका में समझौता

जापान ने अमेरिका के साथ 400 भूमि-आधारित टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों को खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी विदेश सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत हुए समझौते के अनुसार अमेरिका मिसाइलों सहित अन्य उपकरण खरीदने के लिए 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करेगा। जापान में पदस्थ अमेरिकी राजदूत रहम एमानुएल के अनुसार अमेरिकी सेनाएं जापान के आत्मरक्षा बलों को टॉमहॉक्स का इस्तेमाल करने के लिए मार्च से प्रशिक्षण देना शुरू कर देंगी। जापान की समाचार एजेंसी से मिली रिपोर्ट के अनुसार मिसाइलों की मारक क्षमता 1600 किलोमीटर है।

सीमाओं की सुरक्षा को लेकर जापान प्रयासरत

उल्लेखनीय है कि जापान अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। चीन की सैन्य वृद्धि और उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल हमलों के बीच जापान खुद की सुरक्षा पुख्ता कर रहा है। जापान भी दुश्मनों के ठिकानों को समाप्त करने के लिए खुद को मजबूत बना रहा है। जापान ने हाल ही में अपने काउंटर स्ट्राइक क्षमता को हासिल करने का फैसला किया है। जापान सरकार के अनुसार उन्होंने अक्टूबर 2026 में नॉर्वेजियन संयुक्त स्ट्राइक मिसाइलें खरीदने के लिए एक और करार किया है।

(स्रोत: संपादकीय टीम द्वारा संकलित फोटो : यूगल से साभार)

अयोध्या में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ सम्पन्न

सदियों के धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे भगवान राम आये हैं - श्री मोदी

श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषताएं

- श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पारंपरिक नागर शैली में किया गया है।
- इसकी लंबाई (पूर्व-पश्चिम) 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है।
- यह कुल 392 स्तंभों और 44 दरवाजों द्वारा समर्थित है।
- मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर देवी-देवताओं का चित्रण है।
- भूतल पर मुख्य गर्भगृह में श्री रामलला की मूर्ति को रखा गया है।
- मंदिर में कुल पांच मंडप (हॉल) हैं।
- मंदिर के पास एक ऐतिहासिक कुआँ (सीता कूप) है।
- मंदिर का निर्माण देश की पारंपरिक और स्वदेशी तकनीक से किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में पूजा-अर्चना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों के बाद आखिरकार हमारे राम आ गए हैं, सदियों के धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद, हमारे भगवान राम आ गए हैं। रामलला अब तंबू में नहीं रहेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह क्षण अलौकिक और पवित्र है। वातावरण, पर्यावरण और ऊर्जा हम पर भगवान राम के आशीर्वाद का प्रतीक है। 22 जनवरी, 2024 केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह एक नए 'काल चक्र' का उद्गम है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख, देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था और विकास कार्यों की प्रगति से नागरिकों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हमें सदियों के धैर्य की धरोहर और विरासत मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो रहा राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेकर, ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है।

अतीत से सुंदर होगा भविष्य

प्रधानमंत्री ने कहा, आज का अवसर उत्सव का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का क्षण भी है। हमारे लिए यह अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं, लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो यह बताता है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है।

प्रतिष्ठा और भारत का प्रताप

प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में केवल श्रीराम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। यह श्रीराम के रूप में साक्षात् भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज सम्पूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात् आकार मिला है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था हैं, राम भारत का आधार, विचार, विधान, चेतना, चिंतन, प्रतिष्ठा और भारत का प्रताप हैं।

मंदिर भी न्याय बद्ध तरीके से ही बना

प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीराम के हर कार्य में पवनपुत्र हनुमान की उपस्थिति होती है। 'त्रेता युग' में राम आगमन पर संत तुलसीदास ने लिखा, प्रभु बिलोकि हरषे पुरबासी। जनित बियोग बिपति सब नासी। अर्थात् प्रभु का आगमन देखकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। उस कालखंड में तो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। संविधान की मूल प्रति में श्रीराम मौजूद होने के बावजूद आजादी के बाद लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। प्रधानमंत्री ने न्याय की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारत की न्यायपालिका को धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत की न्यायपालिका का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्याय बद्ध तरीके से ही बना।

ईरान की शक्ति देख पाकिस्तान पूरी तरह सहमा, दोनों देशों में जंग की आशंका

ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के पंजगुर इलाके में ड्रोन और मिसाइल हमले किए। पाकिस्तान का आरोप है कि इस हमले में बच्चे और महिलाओं की मौत हो गई है। पाकिस्तान ने भी जवाब में ईरान पर हवाई हमला कर दिया। दोनों देशों के बीच तनाव की उठती लपटों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान का दावा है कि उसने जैश अल-अदल के ठिकानों पर हमले किए थे। जैश अल-अदल ने हमले पर बयान दिया कि ईरान ने संगठन के कुछ सदस्यों के घरों पर हमला किया। हमले की वजह से दो सदस्यों का घर तबाह हो गया और उनके परिजनों की मौत हो गई।

दोनों देशों की सीमा है करीब

पाकिस्तान और ईरान की सीमाएं आपस में लगती हैं। अतीत में दोनों देशों के बीच में तनाव के ऐसे हालात अब तक नहीं आए हैं। ईरान के पास पांच ऐसे हथियार हैं जिसने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। इसमें सैय्यद बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, अबू महदी क्रूज मिसाइल, फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल, मोहजेर-10 ड्रोन, सेवोम खोरदाद वायु रक्षा प्रणाली शामिल हैं। यह मिसाइल 900 किमी प्रति घंटे की सबसोनिक स्पीड से उड़ान भरती है। इसका कुल वजन 1650 किलोग्राम है। सेवोम खोरदाद वायु रक्षा प्रणाली को ईरान ने 2019 में सार्वजनिक किया था।

श्रीलंका के तमिल नेताओं की 13ए संशोधन को लागू करने की मांग

श्रीलंका के तमिल नेताओं ने मांग की है कि श्रीलंकाई संविधान के संशोधन 13ए को लागू करवाने के लिए भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए। श्रीलंकाई संविधान का संशोधन 13ए अल्पसंख्यक समुदाय को सत्ता की कुछ शक्तियों के हस्तांतरण की बात कहता है। तमिल समुदाय के वरिष्ठ नेता आर संपनथन ने श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा से मुलाकात की। तमिल नेशनल अलायंस के अनुसार संपनथन और भारतीय उच्चायुक्त के बीच दो घंटे लंबी बातचीत हुई, जिसमें मुख्य तौर पर संशोधन 13ए पर बात हुई। तमिल पार्टियों की मांग है कि भारत को इसमें दखल देना चाहिए। तमिल राजनीतिक बंदियों और सरकार द्वारा तमिलों की कब्जाई गई भूमि को लेकर बात हुई। भारत द्वारा श्रीलंका पर 13ए संशोधन को लागू करने का दबाव बनाया जा रहा है।

सरकार के इस फैसले का असर भारतीय छात्रों पर भी पड़ेगा

कनाडा सरकार का निर्णय, नए स्टूडेंट वीजा में 35 प्रतिशत की होगी कटौती

कनाडा सरकार ने नए छात्र वीजा की घोषणा की है। इससे भारतीय छात्रों पर भी असर पड़ेगा। इसके तहत स्टूडेंट वीजा में 35 प्रतिशत की कटौती की गई है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रभाव को रोकने और संस्थागत कमियों को दूर करने के प्रयास में अप्रवासन मंत्री मार्क मिलर ने अगले दो वर्षों में दिए जाने वाले छात्र वीजा की संख्या पर अवधि लगाई है। संघीय सरकार का लक्ष्य तीन लाख 60 हजार स्नातक अध्ययन परमिट को मंजूरी देना है, जिससे 2023 से संख्या 35 प्रतिशत कम हो जाएगी। इस फैसले से भारतीय छात्रों पर बड़ा असर पड़ेगा। भारत का कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का बड़ा समूह है, जिन्हें 2022 में 41 प्रतिशत से अधिक परमिट प्राप्त हुए हैं। आंकड़े बताते हैं

कि 2023 में तीन लाख से अधिक भारतीय छात्र कनाडा गए। कनाडा में अब प्रांतों और क्षेत्रों को जनसंख्या के आधार पर कुल परमिट का एक हिस्सा आवंटित किया जाएगा।

वीजा की संख्या का होगा पुनर्मूल्यांकन

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में परमिट कैसे वितरित किए जाएंगे। यह सीमा दो साल के लिए लागू रहेगी, जिसमें 2025 में जारी किए जाने वाले वीजा की संख्या का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। मिलर ने कहा, यह अस्थायी है कि कुछ निजी संस्थानों ने कम संसाधनों वाले परिसरों का संचालन करके, छात्रों के लिए समर्थन की कमी और उच्च ट्यूशन फीस वसूल कर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का लाभ उठाया है।' संघीय सरकार को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को परमिट के लिए आवेदन करते समय एक प्रांत या क्षेत्र से एक सत्यापन पत्र प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

विकास के अमृत काल में संवैधानिक मूल्यों के साथ

रामराज्य की ओर बढ़ता मध्यप्रदेश

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा | सशक्त और आत्मनिर्भर नारी शक्ति | अंत्योदय उत्थान
समृद्ध होता अन्नदाता | सक्षम युवा | सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं | सांस्कृतिक समृद्धि

75 वें गणतंत्र दिवस
की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं...

"आइये, हम सब मिलकर मध्यप्रदेश को एक ऐसे गणतंत्र के रूप में लेकर आगे बढ़ें, जो सुराज, सुशासन सम्मत कार्यशैली और रामराज्य के आदर्शों का द्योतक हो, जिसमें सबका हित - सबका मंगल समाहित हो। शुभकामनाएं।"

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

D-11180/R-49406/2024

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

मध्यप्रदेश शासन

आवरणपृष्ठ : म.प्र. शासन/2024

स्वामी- मध्यप्रदेश माध्यम, प्रकाशक - संदीप यादव, मुद्रक - संदीप यादव द्वारा मेसर्स डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, 10-11, सेक्टर-B, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित एवं मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक- रंजना चितले।